न्यायालय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–4, बलिया

पीठासीन अधिकारी– (सैफ अहमद), (उच्चतर न्यायिक सेवा)

J.O. Code No.– UP 6404

UPBL010000192006

सत्र परीक्षण संख्या–105/2007

उ0प्र0 राज्य

––––अभियोजन

(विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक)– श्री संदीप तिवारी)

बनाम

1– जवाहर गोड़ पुत्र रामानन्द गोड़

2– मुन्नीलाल उर्फ मुनील पुत्र रामानन्द गोड़

3– विजेन्द्र वर्मा पुत्र रामाशंकर वर्मा

4– शिवकुमार उर्फ फन्नी पुत्र स्व० परशुराम वर्मा

निवासीगण– शेर(बड़की शेरिया), थाना– बाँसडीह रोड, जिला– बलिया

––––अभियुक्तगण

(बचाव पक्ष/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण– श्री अवधेश कुमार तिवारी, श्री चन्द्रशेखर तिवारी)

मु०अ०सं०–101/2006
धारा– 147,148,307/149 भा०दं०सं०
थाना–बाँसडीह रोड
जिला–बलिया

UPBL010000182006

सत्र परीक्षण संख्या–201/2011

उ0प्र0 राज्य

Digitally signed by SAIF AHMAD
Date: 2026.08.11 16:44:42 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

----अभियोजन

(विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक)– श्री संदीप तिवारी)

बनाम

1– रामानन्द गोड़ पुत्र स्व० हरिद्वार गोड़

2– जयचन्द गोड़ पुत्र रामानन्द

निवासीगण– दुधीपुर शेर(बड़की शेरिया), थाना– बाँसडीह रोड, जिला– बलिया

----अभियुक्तगण

(बचाव पक्ष/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण– श्री अवधेश कुमार तिवारी, श्री चन्द्रशेखर तिवारी)

मु०अ०सं०–101/2006
धारा– 147, 148, 307/149 भा०दं०सं०
थाना–बाँसडीह रोड
जिला–बलिया

&

UPBL010020272017

सत्र परीक्षण संख्या–170/2017

उ0प्र0 राज्य

----अभियोजन

(विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक)– श्री सुधीर मिश्रा)

बनाम

1– मिथिलेश सिंह पुत्र स्व० मथुरा सिंह

2– भूपेन्द्र सिंह उर्फ पप्पू पुत्र सूर्यबली सिंह **(मृतक)**

3– नीरज उर्फ झंझट पुत्र विश्वनाथ सिंह

4– अजय सिंह पुत्र स्व० राजेन्द्र सिंह

5– हरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ गुप्ती सिंह पुत्र स्व० सुखपाल सिंह

6– रिशु सिंह पुत्र अरविन्द सिंह

7– पशुपति सिंह पुत्र स्व० सुदामा सिंह

8– विनोद सिंह पुत्र श्रीराम सिंह

–निवासीगण– शेर(बड़की शेरिया), थाना– बाँसडीह रोड, जिला– बलिया

9– विजय सिंह पुत्र स्व० शिवशंकर सिंह **(मृतक)**

10– राकेश सिंह पुत्र स्व० सीताराम सिंह, निवासी– परसिया, थाना– हल्दी, जिला–बलिया

––––अभियुक्तगण

(बचाव पक्ष/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण– श्री सुभाष चन्द्र श्रीवास्तव, श्री केदार नाथ पाण्डेय, श्री भुवाल सिंह, श्री राजेश कुमार सिंह)

मु०अ०सं०–101A/2006
धारा– 147,148,307/149, 324/149 भा०दं०सं०
थाना–बाँसडीह रोड
जिला–बलिया

UPBL010028542017

<u>सत्र परीक्षण संख्या–299/2017</u>

उ0प्र0 राज्य

––––अभियोजन

(विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक)– श्री सुधीर मिश्रा)

बनाम

1– संजय सिंह पुत्र स्व० सुरेन्द्र सिंह, निवासी–परसिया, थाना– हल्दी, जिला–बलिया

––––अभियुक्त

(बचाव पक्ष/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता– श्री राजेश कुमार सिंह)

मु०अ०सं०–101A/2006
धारा– 147,148,307/149, 324/149 भा०दं०सं०
थाना–बाँसडीह रोड
जिला–बलिया

1– प्रस्तुत प्रकरण में सत्र परीक्षण सं०–105/2007 उ०प्र० राज्य बनाम जवाहर वगै० व सत्र परीक्षण सं०–201/2011 उ०प्र० राज्य बनाम रामानन्द गोड़ व अन्य एक ही

मु०अ०सं०–101/2006, धारा– 147,148,307/149 भा०दं०सं०, थाना–बाँसडीह रोड, जिला–बलिया की पत्रावलियाँ है जिनका निस्तारण एक साथ ही संयुक्त रूप से **केस–A** के रूप में किया जा रहा है, तथा सत्र परीक्षण सं०–170/2017 उ०प्र० राज्य बनाम मिथिलेश सिंह वगै० व सत्र परीक्षण सं०–299/2017 उ०प्र० राज्य बनाम संजय सिंह एक ही मु०अ०सं०–101A/2006, धारा– 147,148,307/149, 324/149 भा०दं०सं०, थाना–बाँसडीह रोड, जिला–बलिया की पत्रावलियाँ है जिनका निस्तारण एक साथ ही संयुक्त रूप से **केस–B** के रूप में किया जा रहा है।

केस–A (सत्र परीक्षण सं०–105/2007 उ०प्र० राज्य बनाम जवाहर वगै० व सत्र परीक्षण सं०–201/2011 उ०प्र० राज्य बनाम रामानन्द गोड़ व अन्य) के तथ्य

2– उपरोक्त आपराधिक प्रकरण में थाना–बाँसडीह रोड, जिला–बलिया की पुलिस द्वारा मु०अ०सं०–101/2006 में अभियुक्तगण 1– जवाहर गोड़, 2– मुन्नीलाल उर्फ मुनील, 3– विजेन्द्र वर्मा, 4– शिवकुमार उर्फ फन्नी के विरूद्ध आरोप पत्र सं0– 5/2007 अन्तर्गत धारा– 147,148,149,307 भा०दं०सं० प्रस्तुत किया गया, जिस पर न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बलिया द्वारा संज्ञान लिया गया। शेष अभियुक्तगण रामानन्द गोड़ व जयचन्द गोड़ के विरूद्ध आरोप पत्र सं0– 5A/2007 अन्तर्गत धारा– 147,148,149,307 भा०दं०सं० प्रस्तुत किया गया, जिस पर न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बलिया द्वारा संज्ञान लिया गया।

3– अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि "प्रार्थी मिथिलेश कुमार सिंह पुत्र श्री मथुरा सिंह, ग्राम शेर (बड़की शेरिया) थाना बाँसडीह रोड, जिला बलिया का निवासी हूँ। प्रार्थी के गाँव में विगत ग्राम पंचायत चुनाव में स्व० संतोष सिंह प्रधान निर्वाचित हुए थे। हम लोग उनका समर्थन किये थे। स्व० संतोष सिंह की हत्या होने के बाद इस समय रिक्त प्रधान पद के चुनाव में स्व० सतोष सिंह की पत्नी श्रीमती सीमा सिंह प्रधान पद की प्रत्याशी हैं। हम लोग इस समय उक्त सीमा सिंह के समर्थक हैं। मेरे गाँव के जवाहर पुत्र रामानन्द गोड़ संतोष सिंह के विरुद्ध प्रधान पद के प्रत्याशी थे तथा संतोष सिंह की हत्या में उसके पिता रामानन्द वगैरह अभियुक्त हैं। इस समय प्रधान पद के चुनाव में सीमा सिंह के विरुद्ध जवाहर गोड़ पुनः प्रत्याशी है। हम लोगों पर उक्त जवाहर वगैरह सीमा सिंह का समर्थन न करने के लिए दबाव डालते थे इसी रंजिशवश आतंक पैदा करने व दबाव डालने के लिए जान से मारने की नीयत से योजनाबद्ध तरीके से आज दिनांक 27.11.2006 को समय करीब 4.30 बजे जवाहर गोड़ पुत्र रामानन्द, रामानन्द पुत्र हरिद्वार गोड़, मुन्नीलाल उर्फ मुनील पुत्र रामानन्द, जयचन्द पुत्र रामानन्द, विजेन्द्र वर्मा पुत्र रामाशंकर वर्मा, शिवकुमार उर्फ फन्नी पुत्र परशुराम साकिन दुधीपुर शेर नाजायज गोल बनाकर बन्दूक व कट्टे के साथ मेरे दरवाजे पर चढ़ आये

और सीमा सिंह का समर्थन न करने का दबाव देने लगे। विरोध करने पर कहासुनी के दौरान और लोगों के जुट जाने पर पीछे हटे और जान से मारने की नीयत से जवाहर ने अपनी लाइसेन्सी बन्दूक व मुन्नीलाल व जयचन्द ने कट्टे से रामानन्द, विजेन्द्र और शिवकुमार के ललकारने पर फायर कट्टा व बन्दूक दोनो से करने लगे जिससे हमलोग के बचते बचते प्रार्थी एवं परिवार के संजय सिंह, सूर्यबली सिंह, मणिशंकर सिह को चोटें आयीं। घटना को गाँव के विश्वनाथ सिंह पुत्र जगरनाथ सिंह, पशुपति नाथ सिंह पुत्र सुदामा सिंह वगै० गाँव के काफी लोगों ने देखा है।"

4– वादी की सूचना के आधार पर थाना बाँसडीह रोड, बलिया में 1– जवाहर गोड़, 2– रामानन्द गोड़, 3– मुन्नीलाल उर्फ मुनील, 4– जयचन्द गोड़, 5– विजेन्द्र वर्मा व 6– शिवकुमार उर्फ फन्नी के विरूद्ध धारा–147,148,149,307 भा०द०सं० में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुआ।

5– विवेचक द्वारा मामले की विवेचना ग्रहण कर गवाहान के बयान अंकित किये गये, घटनास्थल का नक्शा नजरी तैयार किया गया तथा विवेचना की अन्य आवश्यक कार्यवाहियों को पूर्ण करने के उपरान्त अभियुक्तगण– 1– जवाहर गोड़, 2– मुन्नीलाल उर्फ मुनील, 3– विजेन्द्र वर्मा, 4– शिवकुमार उर्फ फन्नी के विरूद्ध आरोप पत्र सं0– 5/2007 अन्तर्गत धारा– 147,148,149,307 भा०दं०सं० प्रस्तुत किया गया, जिस पर न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बलिया द्वारा संज्ञान लिया गया। शेष अभियुक्तगण रामानन्द गोड़ व जयचन्द गोड़ के विरूद्ध आरोप पत्र सं0– 5A/2007 अन्तर्गत धारा– 147,148,149,307 भा०दं०सं० प्रस्तुत किया गया, जिस पर न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बलिया द्वारा संज्ञान लिया गया। अभियुक्तगण को नकलें प्रदान की गयीं।

6– सत्र न्यायालय द्वारा **सत्र परीक्षण सं०–105/2007 उ०प्र० राज्य बनाम जवाहर आदि** में दिनाँक–02.02.2011 को अभियुक्तगण 1– जवाहर गोड़, 2– मुन्नीलाल उर्फ मुनील, 3– विजेन्द्र वर्मा, 4– शिवकुमार उर्फ फन्नी के आरोप पर सुनवाई के पश्चात् विरूद्ध धारा– 147,148,307/149 भा०दं०सं० के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। उक्त आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया, जिससे अभियुक्तगण ने इंकार किया तथा विचारण की मांग की। न्यायालय द्वारा **सत्र परीक्षण सं०–201/2011 उ०प्र० राज्य बनाम रामानन्द गोड़** व अन्य में दिनांक 30.08.2012 को अभियुक्तगण 1– रामानन्द गोड़, 2– जयचन्द गोड़ के आरोप पर सुनवाई के पश्चात् विरूद्ध धारा– 147,148,307/149 भा०दं०सं० के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। उक्त आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया, जिससे अभियुक्तगण ने इंकार किया तथा विचारण की मांग की।

7– अभियोजन की ओर से मौखिक साक्ष्य में PW–1 पशुपति नाथ सिंह, PW–2 सूर्यबली सिंह, PW–3 मिथिलेश सिंह (वादी मुकदमा), PW–4 संजय कुमार सिंह, PW–5 सेवानिवृत्त उ०नि० रमेश चन्द्र मिश्र, PW–6 मणिशंकर सिंह, PW–7 सेवानिवृत्त उ०नि० सुरेश राय, PW–8 सेवानिवृत्त सी.एम.ओ. डॉ० अजीत सिंह व PW–9 सेवानिवृत्त उ०नि० सुरेश राय को परीक्षित कराया गया है।

8– अभियोजन साक्षीगण उपरोक्त के द्वारा निम्नलिखित प्रपत्रों को प्रदर्श के रूप में साबित किया गया है–

क्र.सं.	प्रपत्र	प्रदर्श	साबित करने वाला साक्षी
1.	लिखित तहरीर/प्रार्थना पत्र	**प्रदर्श क–1**	PW–3 मिथिलेश सिंह (वादी मुकदमा)
2.	आरोप पत्र सं०– 5/2007	**प्रदर्श क–2**	PW–5 सेवानिवृत्त उ०नि० रमेश चन्द मिश्र
3.	नक्शा नजरी	**प्रदर्श क–3**	PW–7 सेवानिवृत्त उ०नि० सुरेश राय
4.	मजरूबी चिट्ठी संजय सिंह	**प्रदर्श क–4**	PW–7 सेवानिवृत्त उ०नि० सुरेश राय
5.	मजरूबी चिट्ठी मणिशंकर सिंह	**प्रदर्श क–5**	PW–7 सेवानिवृत्त उ०नि० सुरेश राय
6.	मजरूबी चिट्ठी मिथिलेश कुमार सिंह	**प्रदर्श क–6**	PW–7 सेवानिवृत्त उ०नि० सुरेश राय
7.	मजरूबी चिट्ठी सूर्यबली सिंह	**प्रदर्श क–7**	PW–7 सेवानिवृत्त उ०नि० सुरेश राय
8.	चिक एफ.आई. आर.	**प्रदर्श क–8**	PW–7 सेवानिवृत्त उ०नि० सुरेश राय
9.	कायमी जी.डी.	**प्रदर्श क–9**	PW–7 सेवानिवृत्त उ०नि० सुरेश राय
10.	गिरफ्तारी दाखिला अभियुक्त जवाहर का.सं. 6 क/3	**प्रदर्श क–10**	PW–7 सेवानिवृत्त उ०नि० सुरेश राय
11.	गिरफ्तारी दाखिला अभियुक्त जवाहर का.सं. 6 क/4	**प्रदर्श क–11**	PW–7 सेवानिवृत्त उ०नि० सुरेश राय
12.	फर्द बन्दूक मय 6 कारतूस– 12 बोर	**प्रदर्श क–12**	PW–7 सेवानिवृत्त उ०नि० सुरेश राय

13.	आघात आख्या मजरूब संजय कुमार सिंह	**प्रदर्श क–13**	PW–8 सेवानिवृत्त सी.एम.ओ. डॉ० अजीत सिंह
14.	आघात आख्या मजरूब मणिशंकर सिंह	**प्रदर्श क–14**	PW–8 सेवानिवृत्त सी.एम.ओ. डॉ० अजीत सिंह
15.	आघात आख्या मजरूब मिथिलेश कुमार सिंह	**प्रदर्श क–15**	PW–8 सेवानिवृत्त सी.एम.ओ. डॉ० अजीत सिंह
16.	आघात आख्या मजरूब सूर्यबली सिंह	**प्रदर्श क–16**	PW–8 सेवानिवृत्त सी.एम.ओ. डॉ० अजीत सिंह
17.	आरोप पत्र सं०–5ए/2007	**प्रदर्श क–17**	PW–9 सेवानिवृत्त उ०नि० सुरेश राय

9– **सत्र परीक्षण सं०–105/2007 उ०प्र० राज्य बनाम जवाहर वगै०** में अभियुक्तगण 1– जवाहर गोड़, 2– मुन्नीलाल उर्फ मुनील, 3– विजेन्द्र वर्मा, 4– शिवकुमार उर्फ फन्नी का बयान अन्तर्गत धारा–313 दं०प्र०सं० दिनांक 20.11.2025 को अंकित किया गया तथा सम्बन्धित **सत्र परीक्षण सं०–201/2011 उ०प्र० राज्य बनाम रामानन्द गोड़ व अन्य** में अभियुक्तगण 1– रामानन्द गोड़, 2– जयचन्द का बयान अन्तर्गत धारा–313 दं०प्र०सं० दिनांक 20.11.2025 को अंकित किया गया। अभियुक्तगण ने अपने बयान में अभियोजन कथानक एवं साक्ष्यों को गलत बताते हुए गलत ढंग से प्रपत्र तैयार किया जाना और साक्षियों द्वारा झूठा बयान दिया जाना बताया। अभियुक्तगण ने शत्रुतावश मुकदमा चलने का कथन किया। अभियुक्तगण द्वारा सफाई साक्ष्य देने के प्रश्न पर **''देना है''** का कथन किया गया। अभियुक्तगण ने स्वयं को निर्दोष बताया। अभियुक्तगण की ओर से सफाई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

<u>केस–B (सत्र परीक्षण सं०–170/2017 उ०प्र० राज्य बनाम मिथिलेश सिंह वगै० व सत्र परीक्षण सं०–299/2017 उ०प्र० राज्य बनाम संजय सिंह) के तथ्य</u>

10– उपरोक्त आपराधिक प्रकरण में थाना–बाँसडीह रोड, जिला–बलिया की पुलिस द्वारा मु०अ०सं०–101A/2006 में अभियुक्तगण 1– मिथिलेश सिंह, 2– भूपेन्द्र सिंह उर्फ पप्पू, 3– नीरज उर्फ झंझट, 4– अशोक सिंह 5– अजय सिंह, 6– हरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ गुप्ती सिंह, 7– रिशु सिंह, 8– पशुपति सिंह, 9– अरविन्द सिंह, 10– विनोद सिंह, 11– संजय सिंह, 12– विजय सिंह, 13– राकेश सिंह के विरूद्ध आरोप पत्र सं0– 50A/2007 अन्तर्गत धारा–147,148,324,307 भा०दं०सं० प्रस्तुत किया गया, जिस पर न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बलिया द्वारा संज्ञान लिया गया।

11– अभियोजन कथानक अन्तर्गत **धारा–156(3) दं०प्र०सं०** इस प्रकार है कि "प्रार्थी सुनील कुमार गोड़ पुत्र रामानन्द गोड़ साकिन– शेर, थाना बांसडीह रोड जिला बलिया का रहने वाला हूँ। मेरी माता जी विमला देवी एवं भाई जवाहर लाल ग्राम पंचायत के उपचुनाव में ग्राम प्रधान के प्रत्याशी हैं। दिनांक 27.11.2006 को पांच बजे मैं तथा मेरे पिता रामानन्द गोड़ व गांव के बहुत सारे लोग मेरी माता जी के चुनाव के प्रचार में घूम रहे थे कि मेरे ही गांव के मिथिलेश सिंह पुत्र मथुरा सिंह, भूपेन्द्र सिंह उर्फ पप्पू सिंह पुत्र सूर्यबली सिंह, नीरज कुमार उर्फ झंझट पुत्र विश्वनाथ सिंह, अशोक सिंह पुत्र रामेश्वर सिंह, अजय सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह ने अपने लाईसेंसी बन्दुक से तथा उनके साथी हरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ गुप्ती सिंह पुत्र सुखपाल सिंह, रिशु सिंह पुत्र अरविन्द सिंह, पशुपति सिंह पुत्र सुदामा सिंह, अरविन्द सिंह पुत्र बैजू सिंह, विनोद सिंह पुत्र श्री राम सिंह अवैध कट्टे से हम लोगों के चुनावी जुलूस पर फायर करने लगे। हम लोग मकानों की ओर भागने लगे। इसी बीच हमलावरों के साथ बाहर से आए संजय सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह, विजय सिंह, राकेश सिंह निवासी परसिया थाना हल्दी जिला बलिया वालों द्वारा चलाये गये गोली के छर्रे से मिथिलेश सिंह, पप्पू सिंह, सूर्यबली सिंह व रिंकू सिंह, अजय सिंह एवं बाजार में सब्जी बेच रही महिलाएं भी घायल हुई। इस घटना को मेरे परिवार के अलावे कामेश्वर गोड़, तुफानी वर्मा, साधु बिंद, रामजी बिन्द तथा गांव व बाजार में स्थित कई लोगों ने देखा है। घटना के बारे में रिपोर्ट करने गये मेरे भाई जवाहर गोड़ को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना के बाद फायर से सभी लोग भाग खड़े हुए। उपरोक्त घटना की क्रास केस अपराध संख्या 101/2006, सरकार बनाम जवाहर वगैरह थाना स्थानीय पर दर्ज है तथा हम लोग रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु बार–बार थाने पर दौड़ते रहे परंतु हम लोगों की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी बल्कि हम प्रार्थी के भाई जवाहर को गिरफ्तार कर लिया गया। हम प्रार्थी ने घटना की सूचना जरिये रजिस्टर्ड डाक पुलिस अधीक्षक, बलिया को भी दिया परंतु प्रार्थी की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी और न पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही की गयी। चूंकि उपरोक्त अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध संज्ञेय प्रकृति का अपराध है जिसकी रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने का आदेश थानाध्यक्ष बांसडीह रोड को दिया जाना न्यायहित में आवश्यक है, अतः श्रीमान् जी से अनुरोध है कि उपरोक्त तथ्यों पर ध्यान देते हुए अन्तर्गत धारा–156(3) दं०प्र०सं० में निहित शक्तियों का प्रयोग कर उपरोक्त घटना की रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने हेतु थानाध्यक्ष बाँसडीह रोड, जनपद बलिया को आदेश देने की कृपा प्रदान की जाय।"

12– वादी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 156(3) दं०प्र०सं० पर न्यायालय जे०एम० प्रथम, बलिया के आदेशानुसार थाना बाँसडीह रोड, बलिया में अभियुक्तगण 1– मिथिलेश सिंह, 2– भूपेन्द्र सिंह उर्फ पप्पू, 3– नीरज उर्फ झंझट, 4– अशोक सिंह 5– अजय सिंह, 6– हरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ गुप्ती सिंह, 7– रिशु सिंह, 8– पशुपति सिंह, 9– अरविन्द सिंह, 10– विनोद सिंह, 11– संजय सिंह, 12– विजय सिंह, 13– राकेश सिंह के विरूद्ध धारा–147,148,325

भा०द०सं० में विवेचना हेतु मुकदमा पंजीकृत हुआ।

13– विवेचक द्वारा मामले की विवेचना ग्रहण कर गवाहान के बयान अंकित किये गये, घटनास्थल का नक्शा नजरी तैयार किया गया तथा विवेचना की अन्य आवश्यक कार्यवाहियों को पूर्ण करने के उपरान्त अभियुक्तगण 1– मिथिलेश सिंह, 2– भूपेन्द्र सिंह उर्फ पप्पू, 3– नीरज उर्फ झंझट, 4– अशोक सिंह 5– अजय सिंह, 6– हरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ गुप्ती सिंह, 7– रिशु सिंह, 8– पशुपति सिंह, 9– अरविन्द सिंह, 10– विनोद सिंह, 11– संजय सिंह, 12– विजय सिंह, 13– राकेश सिंह के विरूद्ध आरोप पत्र सं0– 50A/2007 अन्तर्गत धारा– 147,148,324,307 भा०दं०सं० प्रस्तुत किया गया, जिस पर न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बलिया द्वारा संज्ञान लिया गया। अभियुक्तगण को नकलें प्रदान की गयीं।

14– सत्र न्यायालय द्वारा **सत्र परीक्षण सं०–170/2017 उ०प्र० राज्य बनाम मिथिलेश सिंह वगै०** में दिनाँक–25.09.2017 को अभियुक्तगण 1– मिथिलेश सिंह, 2– भूपेन्द्र सिंह उर्फ पप्पू, 3– नीरज उर्फ झंझट, 4– अजय सिंह, 5– हरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ गुप्ती सिंह, 6– रिशु सिंह, 7– पशुपति सिंह, 8– विनोद, 9– विजय सिंह, 10– राकेश सिंह के आरोप पर सुनवाई के पश्चात् विरूद्ध धारा– 147,148,307/149,324/149 भा०दं०सं० के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। उक्त आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया, जिससे अभियुक्तगण ने इंकार किया तथा विचारण की मांग की। न्यायालय द्वारा **सत्र परीक्षण सं०–299/2017 उ०प्र० राज्य बनाम संजय सिंह** में दिनांक 16.10.2017 को अभियुक्त संजय सिंह के आरोप पर सुनवाई के पश्चात् विरूद्ध धारा– 147,148,307/149,324/149 भा०दं०सं० के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। उक्त आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया, जिससे अभियुक्त ने इंकार किया तथा विचारण की मांग की।

15– अभियुक्तगण अरविन्द सिंह पुत्र बैजू सिंह, भूपेन्द्र सिंह उर्फ पप्पू पुत्र सूर्यबली सिंह तथा विजय सिंह पुत्र स्व० शिवशंकर सिंह की मृत्यु हो चुकी है। सरकार बनाम मिथिलेश की पत्रावली में संलग्न कागज सं०–14क/9 में अशोक सिंह की नामजदगी गलत पायी गयी थी।

16– मजरूब विमला देवी व जयचन्द को विवेचक द्वारा साक्षी नहीं बनाया गया था। न्यायालय द्वारा स्वयं मजरूब जयचन्द को C.W.–1 व मजरूब विमला देवी को C.W.–2 तथा फार्मासिस्ट दयाशंकर त्रिपाठी को C.W.–4 व फार्मासिस्ट शैलेन्द्र कुमार तिवारी को C.W.–5 के रूप में तलब करके उनका साक्ष्य संकलन कराया। अभियोजन व न्यायालय की ओर से मौखिक साक्ष्य में निम्नलिखित साक्षियों को परीक्षित कराया गया है–

क्र०सं०	साक्षी	नाम
1.	P.W.–1	तूफानी बिन्द
2.	P.W.–2	बरमेश्वर यादव
3.	P.W.–3	सुनील कुमार(वादी मुकदमा)
4.	P.W.–4	सेवा निवृत उ०नि० मातादीन कनौजिया
5.	P.W.–5	निरीक्षक विनीत मोहन पाठक
6.	P.W.–6	विवेचक रमेशचन्द्र मिश्र
7.	C.W.–1	मजरूब जयचन्द गोड़
8.	C.W.–2	मजरूब विमला देवी
9.	C.W.–3	कां० विनय यादव
10.	C.W.–4	फार्मासिस्ट दयाशंकर त्रिपाठी
11.	C.W.–5	फार्मासिस्ट शैलेन्द्र कुमार तिवारी

17– अभियोजन साक्षीगण उपरोक्त के द्वारा निम्नलिखित प्रपत्रों को प्रदर्श के रूप में साबित किया गया है–

क्र.सं.	प्रपत्र	प्रदर्श	साबित करने वाला साक्षी
1.	प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–156(3) Cr.P.C.	**प्रदर्श क–1**	PW–3 सुनील कुमार (वादी मुकदमा)
2.	आरोप पत्र सं०–50A/2007	**प्रदर्श क–2**	PW–5 निरीक्षक विनीत मोहन पाठक
3.	नक्शा नजरी	**प्रदर्श क–3**	PW–6 रमेशचन्द्र मिश्र

18– **सत्र परीक्षण सं०–170/2017 उ०प्र० राज्य बनाम मिथिलेश सिंह वगै०** में अभियुक्तगण 1– मिथिलेश सिंह, 2– भूपेन्द्र सिंह उर्फ पप्पू, 3– नीरज उर्फ झंझट, 4– अजय सिंह, 5– हरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ गुप्पी सिंह, 6– रिशु सिंह, 7– पशुपति सिंह, 8– विनोद सिंह, 9– राकेश सिंह का बयान अन्तर्गत धारा–313 दं०प्र०सं० तथा सम्बन्धित **सत्र परीक्षण सं०–299/2017 उ०प्र० राज्य बनाम संजय सिंह** में अभियुक्त संजय सिंह का बयान अन्तर्गत धारा–313 दं०प्र०सं० अंकित किया गया। अभियुक्तगण ने अपने बयान में अभियोजन कथानक एवं साक्ष्यों को गलत बताते हुए गलत ढंग से प्रपत्र तैयार किया जाना और साक्षियों द्वारा गलत बयान दिया जाना बताया। अभियुक्तगण ने मुकदमा चलने के प्रश्न पर कथन किया कि "मु०अ०सं०–101/2006, धारा–307 भा०दं०सं० के बचाव में कानूनी राय लेकर मुकदमा दाखिल किया

गया।" अभियुक्तगण द्वारा सफाई साक्ष्य देने के प्रश्न पर **''हाँ''** का कथन किया गया। अभियुक्तगण की ओर से सफाई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

19– विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्तागण (दाण्डिक) तथा बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की विस्तृत बहस सुनी तथा पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया।

केस–A (सत्र परीक्षण सं०–105/2007 उ०प्र० राज्य बनाम जवाहर वगै० व सत्र परीक्षण सं०–201/2011 उ०प्र० राज्य बनाम रामानन्द गोड़ व अन्य) के साक्ष्य का विवरण –

20– प्रश्नगत मामले में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी PW–1 **पशुपतिनाथ सिंह** ने दिनांक 22.04.2015 को अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया कि "सन् 2006 में ग्राम पंचायत में प्रधानी का उप चुनाव चल रहा था। ग्राम प्रधान के लिए ग्राम सभा प्रत्याशी के रूप में सीमा सिंह, विमला देवी, जवाहर लाल थे और अपने अपने पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे थे। दिनांक 27.11.2006 को अपने गाँव के विश्वनाथ सिंह के साथ बजार में मौजूद था कि समय करीब 4.30 बजे मिथिलेश सिंह के दरवाजे के सामने शोरगुल कि आवाज सुनाई दी। शोर गुल पर मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर काफी लोगों की भीड़ थी। गाँव के काफी लोग इकट्ठा थे। वहाँ पर लोगों में वोट को लेकर आपस में कहा सुनी हो रही थी। भीड़ में से किसने बन्दूक व कट्टे से फायर कर दिया जिससे मिथिलेश, संजय, सूर्यबली, व मणिशंकर सिंह को गोली की चोटें लगी थीं, भीड़ में किसने गोली मार कर चोटें पहुँचायीं, मैंने नहीं देखा। मैंने किसी को गाली गुप्ता देते हुए नहीं देखा और न ही बंदूक व लाठी डंडा लेते हुए किसी को देखा।" इस स्तर पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित कर अभियोजन को जिरह की अनुमति दी गयी।

20.1– अभियोजन की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (दां०) द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने बयान किया कि "इस मुकदमे में दरोगा जी ने मेरा बयान नहीं लिया था। इस मुकदमे के अभियुक्त जवाहर गोड़, मुन्नीलाल, विजेन्द्र वर्मा, शिवकुमार उर्फ फन्नी, रामानन्द व जयचन्द्र को मिथिलेश सिंह के दरवाजे पर नारा लगाते हुए व अपने पक्ष में वोट देने के लिए दबाव देते हुए मैंने नहीं देखा। मैने जवाहर को अपनी लाइसेन्सी बन्दूक से फायर करके मिथिलेश सिंह को चोट पहुँचाते नही देखा और न ही जवाहर वगै० के द्वारा गाली गुप्ता व जान से मारने की धमकी देते हुए सुना। घटनास्थल पर रामानन्द गोड़ व शिवकुमार उर्फ फन्नी के द्वारा गाली गुप्ता व फायर करते हुए नहीं देखा। मुन्नीलाल, विजेन्द्र वर्मा व रामानन्द के हाथ में लाठी डंडा लेकर गाली गुप्ता देते हुए व ललकारते हुए नहीं देखा और न ही सुना। गवाह को उसका 161 दं०प्र०सं० का बयान पढ़कर सुनाया गया कि *'दिनांक 27.11.2006 को मैं व विश्वनाथ सिंह पुत्र जगरनाथ सिंह बाजार*

में.............तो लोग अपने पक्ष में वोट करने हेतु दबाव बनाने के लिए..........इसीलिए मिथिलेश सिंह पर फायर कर जान से मारने की धमकी दी।' बयान सुनकर गवाह ने कहा कि इस तरह का बयान मैं दरोगा जी को नहीं दिया था। अगर लिखा है तो इसका कारण नहीं बता सकता।"

20.2– बचाव पक्ष की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने बयान किया कि "मैं नौकरी करता हूँ। मैं घटना के समय ड्यूटी पर था। मैं घटनास्थल पर मौजूद नहीं था।"

21– प्रश्नगत मामले में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी PW–2 **सूर्यबली सिंह** ने दिनांक 11.06.2015 अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया कि "दिनांक 27.11.2006 को ग्राम प्रधानी के उप चुनाव की चर्चा हम व मिथिलेश सिंह, संजय, मणिशंकर अपने दरवाजे के सामने खड़े होकर आपस में कर रहे थे। हम लोग उप चुनाव में सीमा सिंह प्रत्याशी के समर्थन में थे। उनके प्रतिद्वन्दी के रूप में अन्य लोग भी उप चुनाव में खड़ थे जो गाँव में घूम घूम कर अपने पक्ष में वोट डालने का प्रचार कर रहे थे। समय करीब 4.30 बजे शाम को दो प्रत्याशियों के दो गोल अपने समर्थकों के साथ दो दिशाओं से मेरे दरवाजे के सामने आ गये और उन दोनो लोगों के बीच में वोट की बात को लेकर वाद विवाद गाली गलौज शुरू हो गया। देखते ही देखते वहाँ पर फायर शुरू हो गया। हमलोग भी पास में खड़े थे कि फायर से मुझे भी चोटें कट्टे की आयीं थीं। किसके फायर करने से मुझे चोटे आयीं, मैं नहीं देखा। मै फायर करने वालों को मौके पर पहचान नहीं पाया क्योंकि प्रत्याशियों के समर्थ में दोनो तरफ से काफी भीड़ थी।" इस स्तर पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित कर अभियोजन को जिरह की अनुमति दी गयी।

21.1– अभियोजन की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (दां०) द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने बयान किया कि "इस मुकदमे में दरोगा जी ने मेरा बयान नहीं लिया था। मौके पर जवाहर को अपनी लाइसेंसी बन्दूक से फायर करते नहीं देखा था और न ही उनके साथ मुन्नीलाल, विजेन्द्र वर्मा, शिवकुमार उर्फ फन्नी, रामानन्द गोड़, व जयचन्द गोड़ को ही देखा था।" गवाह को उसका 161 दं०प्र०सं० का बयान पढ़कर सुनाया कि *'दिनांक 27.11.2006 की शाम को मैं व मिथिलेश..............तब वे लोग सभी फायर करते हुए अपने अपने घरों की ओर भागने लगे।'* बयान सुनकर गवाह ने कहा कि इस तरह का बयान "मैं दरोगा जी को नहीं दिया था। उन्होंने कैस लिख लिया, इसका कारण नहीं बता सकता। यह कहना सही है कि उप प्रधानी के चुनाव जवाहर की माता जी प्रत्याशी थीं।"

22– प्रश्नगत मामले में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी PW–3 **मिथिलेश सिंह** ने दिनांक 12.01.2021 को अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया कि "मेरे गाँव के ग्राम प्रधान संतोष सिंह थे। चुनाव में मैं उन्ही का समर्थक था। संतोष सिंह की हत्या सन 2005 में हो गयी थी, उनकी

हत्या के बाद प्रधान पद रिक्त हो गया था। सन् 2006 में प्रधानी का चुनाव शुरू हुआ था जिसमें संतोष सिंह की पत्नी सीमा सिंह प्रधान पद की प्रत्याशी थीं। संतोष सिंह की हत्या में जवाहर गोड़ के पिता रामानन्द वगै० भी अभियुक्त थे। प्रधान पद के चुनाव में सीमा सिंह के विरुद्ध जवाहर गोड़ प्रत्याशी थे। हम लोग सीमा सिंह के समर्थक थे। हम लोगों के ऊपर जवाहर वगै० दबाव बनाते थे कि आप लोग हम लोगों का समर्थन करिये, सीमा सिंह का नहीं। इसी रंजिश को लेकर दिनांक 27.11.2006 को समय करीब 4:30 बजे शाम जवाहर गोड़, रामानंद, मुन्नीलाल, जयचंद, विजेंद्र, शिवकुमार उर्फ फन्नी ने नाजायज गोल बनाकर, जवाहर बंदूक लेकर, जयचंद व मुन्नीलाल कट्टा लेकर मेरे दरवाजे पर आ गये और दबाव बनाने लगे की सीमा सिंह का समर्थन ना करें बल्कि अपना समर्थन करने की बात कह रहे थे। इसी बात को लेकर हम लोगों ने विरोध किया तो जवाहर ने जान से मारने की नियत से अपनी लाइसेंसी बंदूक से, मुन्नीलाल व जयचंद ने कट्टे से तथा रामानंद, विजेंद्र व शिव कुमार के ललकारने पर लाइसेंसी बंदूक व कट्टे से जान से मारने की नियत से फायर करने लगे जिससे मुझे, संजय सिंह, सूर्यबली सिंह व मणिशंकर सिंह को चोटें आई थीं। इस घटना को विश्वनाथ सिंह, पशुपति सिंह और गाँव के बहुत से लोगों ने देखा। हम लोगों की चोटों का डॉक्टरी मुआइना सरकारी अस्पताल बलिया में हुआ था। इस घटना की तहरीर मेरे बोलने पर गाँव के एक आदमी ने लिखा था जिसका नाम मैं नहीं बता सकता। वह तहरीर पत्रावली शामिल कागज सं०– 4क/2 को देखकर गवाह ने कहा कि यह वही तहरीर है जो मेरे बोलने पर एक आदमी ने लिखा था, पढ़वा कर सुनने के बाद अपना हस्ताक्षर बनाया था, तसदीक करता हूँ जिसपर **प्रदर्श क–1** डाला गया। विवेचक ने पूछताछ किया था।"

22.1– बचाव पक्ष की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने दिनांक– 12.01.2021 को बयान किया कि "मैं हाई स्कूल पास हूँ।"

22.2– बचाव पक्ष की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने दिनांक– 18.09.2021 को बयान किया कि "संतोष सिंह सन् 2005 में प्रधानी का चुनाव जीते थे। दौरान कार्यकाल इनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु होने के बाद सन् 2006 में मेरे गाँव का उपचुनाव था जिसमें प्रधान पद के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति क्रमशः सीमा सिंह, जवाहर गोड़ तथा इन लोगों के बाद और कौन–कौन लोग चुनाव लड़े थे, नहीं बता सकता। मेरे गोल से सीमा सिंह चुनाव लड़ी थीं। मैं दो भाई हूँ। मेरा घर शेर बाजार के सटे स्कूल प्राथमिक पाठशाला के पास है। मेरे गाँव का बाजार हर रोज शाम को लगता है। काफी भीड़ भाड़ बाजार में रहती है। मेरे गाँव में सबसे ज्यादा कोइरी बिरादरी के लोग हैं, उसके बाद ठाकुर समाज तथा यादव समाज का बाहुल्य है। गोड़ बिरादरी के लोगों की संख्या मेरे गाँव में कम है। मेरे पास एकनाली 12 बोर की लाइसेंसी बंदूक है तथा सूर्यबली सिंह के पास भी एक बंदूक है। हिम्मत सिंह के चाचा रामनाथ सिंह के पास भी एक बंदूक है। अशोक

सिंह के पास भी एक बंदूक है। मेरी बंदूक इस विवाद के बाद से थाना बांसडीह रोड में जब्त है, फिर कहा की मेरी बंदूक की दुकान पर मेरी लाइसेंसी बंदूक जब्त है। जब्ती के बाद उसकी रसीद थाना बाँसडीह रोड में जमा है। मेरे घर से बब्लू सिंह का घर पश्चिम दिशा में बाजार में है। सूर्यबली सिंह का घर मेरे घर से दक्षिण है तथा रामनाथ सिंह का घर भी मेरे घर से दक्षिण पश्चिम में है। अशोक सिंह का घर मेरे घर से पश्चिम में है। ये सभी लोग एक ही कुल के नहीं हैं लेकिन हम लोगों का गोत्र एक ही है। हम लोगों के विरुद्ध भी इस मुकदमे का क्रॉस केस चलता है जिसमें कौन कौन मुल्जिमान हैं, नहीं बता सकता परन्तु मैं मुल्जिम हूँ। इस मुकदमे की रिपोर्ट मैने ही लिखवाया है। घटना की तहरीर मै थाने पर लिखा था। मेरे साथ थाने मेरा भतीजा संजय व सूर्यबली सिंह व इनके अलावा बहुत से लोग गए थे जिनका नाम आज याद नहीं आ रहा है। मुझे थाने पर किसने तहरीर लिख कर दिया यह मुझे याद नहीं है। उस तहरीर पर मैं अपना हस्ताक्षर बनाकर दरोगा जी को दे दिया था। मेरे भतीजे संजय सिंह जो थाने पर मेरे साथ गए थे वह अधिवक्ता हैं। सूर्यबली सिंह भी मेरे साथ रहे हैं जो इस मुकदमे में साक्षी हैं। सूर्यबली सिंह का साक्ष्य अभी हुआ है कि नहीं, मैं नहीं बता सकता। थाना पर तहरीर देने के बाद हम लोगों ने मेडिकल मुआइना हेतु जिला चिकित्सालय बलिया आये। हम लोगों के साथ थाना का सिपाही भी अस्पताल आया था। मेडिकल कराने के उपरांत हम लोग घर आ गए फिर सुबह एक्स–रे कराने बलिया आये।"

22.3– बचाव पक्ष की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने दिनांक– 17.12.2021 को बयान किया कि "मेरे ग्राम पंचायत में तीन तरफ से सड़क आकर बीचो–बीच में तिराहा बनता है। जहाँ पर बाजार बाजार कटरा बाजार के तीनों रोड पर गाँव की आबादी के अनुसार जहां तक आबादी है तीनो रोडों पर कटरा बने हैं। उस कटरे में लोगों द्वारा भिन्न–भिन्न चीजों का दुकान लिया गया है। उसी रोड पर तिराहे वाले तीनों रोडों पर प्रत्येक दिन शाम को सब्जी के दुकान रोड के पटरियों पर लगते हैं। सब्जी का बाजार 3:00 बजे दिन से लग जाता है और शाम को 6:00 बजे तक बंद हो जाता है। बाजार के समय भीड़भाड़ रहता है। गाड़ी घोड़ा चलती रहती है। भीड़ से कोई दिक्कत नहीं होती है। उस तिराहे से मेरे घर की दूरी लगभग 200 मीटर के करीब है। मेरे घर के सामने सहन के जमीन को घेरने के लिए बाउंडरी की जमीन है। मेरे घर के हाते की ऊंचाई लगभग 6 फीट के करीब है। जिस समय की घटना कही जा रही है उस समय ग्राम सभा का चुनाव था। उस समय ग्राम पंचायत के चुनाव में ग्राम प्रधान के प्रत्याशी सीमा सिंह, विमला देवी, जवाहर गोड़ थे। और कौन–कौन से लोग थे, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। हम लोग सीमा सिंह के समर्थन में थे। हम लोग सीमा सिंह के लिए ग्राम सभा में किसी से वोट माँगने के लिए नहीं गए थे।"

22.4– बचाव पक्ष की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने दिनांक– 07.03.2022 को बयान किया कि "तिराहा पर जो शेर बाजार लगता है वह मेरे घर के पश्चिम तक लगता है। सीमा

सिंह के स्व० संतोष सिंह की हत्या के अभियुक्त रामानंद गोड़ मुकदमें में दोष मुक्त हो चुके हैं। संतोष सिंह के पिता श्री राम सिंह दो भाई थे एक का नाम संग्राम सिंह व दूसरे श्री राम ही थे। संग्राम सिंह की मृत्यु गोली लगने से हुई थी उस हत्या के मुकदमे में कौन–कौन लोग अभियुक्त थे, मैं नहीं बता सकता। गाँव के लोग थे या नहीं, मैं नहीं बता सकता। परशुराम सिंह के पिता महेश सिंह की हत्या हुई थी, उस मुकदमे में संतोष सिंह के परिवार के लोग अभियुक्त थे कि नहीं, इसकी जानकारी मुझे नहीं है।"

22.5– बचाव पक्ष की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने दिनांक– 14.11.2022 को बयान किया कि "हमारे घर के उत्तरी छोर से प्रधान पद प्रत्याशी सीमा सिंह का घर 50–60 मकान बाद है। मैं भी प्रधान पद का चुनाव सन 2000 में लड़ा था। हमारे विरुद्ध जवाहर लाल प्रसाद, विमला देवी, अशोक सिंह, गंगामल चुनाव लड़े थे। उस चुनाव में मेरे वीरुद्ध जवाहर लाल चुनाव जीते थे। मेरे पिता जी स्व० मथुरा सिंह गाँव के हमेशा सरपंच रहे हैं। यह मै नहीं बता सकता है कि गाँव का सबसे बड़ा परिवार मेरा ही रहा है। गाँव के लोग मेरे मकान को हवेली कहते हैं इसकी भी जानकारी मुझे नहीं है।"

22.6– बचाव पक्ष की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने दिनांक– 19.06.2023 को बयान किया कि "घटना की तहरीर जो मैने थाने पर दिया था वह मैने अपने हस्तलेख में नहीं लिखा था। वह तहरीर किसी अन्य के द्वारा लिखी गई थी, मैने केवल उस पर अपना हस्ताक्षर बनाया था। मेरे साथ थाने पर चार लोग गए थे, उन चारों में से किसी ने वह तहरीर नहीं लिखी थी। तहरीर थाने पर ही लिखी गई थी। वह तहरीर गाँव के किसी व्यक्ति ने लिखा था, किसने लिखा था मुझे याद नहीं है। समय 6:00 बजे के करीब मैं घटना की सूचना देने थाने पर पहुँचा था। जाड़े का दिन था, इसीलिए धुंध हो गया था। मैने घटना की सूचना दरोगा जी को ही दिया था। मैने तहरीर दरोगा जी को दे दिया था। मुकदमा लिखा गया कि नहीं, इसकी जानकारी नहीं हो सकी। सिपाही हम लोगों को मेडिकल कराने अस्पताल लेकर चला गया। अस्पताल से मेडिकल कराने के बाद हम सभी लोगों को थाने लेकर आया और थाने से हम लोग घर चले गए। मुकदमा लिखे जाने के पश्चात मुझे एफ.आई.आर. की एक प्रति मिली थी। अस्पताल से थाने पर करीब 8:30 से 9:00 बजे पहुँचे थे, उसी समय एफ.आई.आर. की कॉपी प्राप्त हुई। मुकदमा पंजीकृत कराने के बाद इस मुकदमा के संबंध में मैं थाने कभी नहीं गया।"

22.7– बचाव पक्ष की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने दिनांक– 08.08.2023 को बयान किया कि "घटना स्थल मेरे बैठका के अन्दर है। एफ.आई.आर दर्ज होने के बाद दरोगा जी से मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई। मेरे गाँव से 2–3 किलोमीटर पूर्व–उत्तर की तरफ रोहुआ गाँव है। मंजू सिंह जो तथाकथित घटना के समय हम लोगों के क्षेत्र की विधायिका थी वह मेरी ही बिरादरी

की है। मेरी उनसे कोई जान–पहचान नहीं है। चुनाव के दौरान वोट माँगने के लिए मेरे दरवाजे पर अक्सर वह आया–जाया करती थी। अभियुक्तगणों का घर मेरे घर से 500 मी. पूर्व–दक्षिण दिशा में है। अभियुक्तगणों के परिवार के लोग बीसों साल से प्रधान का चुनाव लड़ते आ रहे हैं। मैं हमेशा उन लोगों के विरोध में ही रहा हूँ और मैं विरोध में चुनाव भी लड़ा हूँ। मैं अपनी चोटों को दिखाने के लिए दोबारा डॉक्टर के पास नहीं गया। मेरे बैठका से हनुमान मन्दिर पश्चिम बाजार में एक घर के बाद है। बाजार की स्थायी दुकाने दिनभर खुली रहती हैं और सब्जी का बाजार प्रतिदिन शाम को लगता है। सब्जी का बाजार शाम 3 बजे से शाम 7 बजे तक लगा रहता है। बाजार में भीड़–भाड रहता है। अभियुक्त जवाहर की माँ विमला देवी प्रधान पद पर चुनाव लड़ रही थी। इस चुनाव के पहले भी विमला देवी मेरे ग्राम पंचायत की प्रधान रह चुकी है। विमला देवी जब प्रधान पद पर निर्वाचित हुई थी तो उनके निर्वाचन का भी विरोध चुनाव याचिका द्वारा हुआ था। उस समय मैं चुनाव नहीं लड़ा था। जब उनके लड़के जवाहर चुनाव लड़े थे उस समय मैं उनके विरोध में चुनाव लड़ा था। मैं सूर्यबली सिंह व पशुपति सिंह को जानता हूँ जो इस मुकदमे के गवाह हैं। सूर्यबली सिंह को मैंने मजरूब के रूप में अपने आवेदन पत्र में दर्शाया है। सूर्यबली सिंह और पशुपति सिंह इस मुकदमे में अपना साक्ष्य दिये हैं कि नहीं इसकी जानकारी मुझे नहीं है। पशुपति सिंह डाक विभाग में नौकरी करते थे अब वह रिटायर हो चुके हैं। पशुपति सिंह के अपने बयान में अपने को नौकरी पर होना बताया है तो उसका कारण मैं नहीं बता सकता। मेरे गाँव का डाकघर उनके घर में ही है। मेरे बैठका से दक्षिण उनका बैठका है और उसके दक्षिण–पश्चिम उनका मकान है। मेरे बैठका में बैठकर देखा जाये तो पशुपति सिंह का मकान इस समय दिखायी नहीं देगा। मैंने अपने बयान में अपने बैठका की बाउन्ड्री की ऊँचाई 6 फीट बताया है बाउन्ड्री की ऊँचाई 6 फीट होने के कारण रोड के भी व्यक्ति दिखायी नहीं देते है। घटना के बाद से ही मेरी बन्दूक दुकान में जमा है और जमा की रसीद मैं थाने में जमा कर दिया हूँ। घटना के समय जो चुनाव हुआ था उस चुनाव में जवाहर वगै० जेल में निरुद्ध हो गये थे। जवाहर की अनुपस्थिति में ही प्रधान पद का मतदान हुआ था। जवाहर जेल से अपना मतदान करने के लिये गाँव पर आये थे। उस चुनाव में जवाहर चुनाव हार गये थे।"

23– प्रश्नगत मामले में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी PW–4 **संजय कुमार सिंह** ने दिनांक 24.01.2024 को अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया कि "मेरे गाँव के ग्राम प्रधान संतोष सिंह सन् 2005 में थे। उनकी हत्या हो जाने के बाद उपचुनाव ग्राम प्रधान पद का हो रहा था। उस ग्राम प्रधान के चुनाव में प्रत्याशी संतोष सिंह की पत्नी सीमा सिंह थीं और जवाहर गोड़ भी थे। हम लोग सीमा सिंह के समर्थक थे इसी वजह से जवाहर गोड़ के पक्ष व उनके परिवार के लोग हम लोगों से रंजिश रखते थे। घटना दिनांक– 27.11.2006 समय करीब 4:30 बजे शाम की है। मैं दरवाजे पर अपने चाचा मिथिलेश सिंह, चचेरे भाई मणिशंकर सिंह व पटीदार सूर्यबली सिंह के साथ

खड़ा होकर बातचीत कर रहे थे कि मेरे ही गाँव के जवाहर गोड़, रामानंद गोड़, जयचंद गोड़, मुन्नीलाल, विजेंद्र वर्मा व शिव कुमार उर्फ फन्नी वर्मा एक गोल बनाकर अपने हाथों में बंदूक व कट्टा लेकर आये और चुनाव पर चर्चा होने लगी तो उपरोक्त मुल्जिमान अपने पक्ष में मतदान करने की बात कह रहे थे और सीमा सिंह का समर्थन न करने की बात कह रहे थे। जब हम लोगों ने कहा कि हम लोग सीमा सिंह का समर्थन करेंगे, आप लोगों का नहीं करेंगे तो इसी बात पर नाराज होकर रामानंद गोड़, विजेंद्र वर्मा व शिव कुमार उर्फ फन्नी वर्मा के ललकारने पर जवाहर गोड़ अपनी लाइसेंसी बंदूक से जयचंद व मुन्नीलाल कट्टे से जान से मारने के नियत से हम लोगों पर फायर करने लगे। इन लोगों के मारने से मुझे व मिथिलेश सिंह, मणिशंकर सिंह व सूर्यबली सिंह को चोटें आयीं। शोरगुल व फायर की आवाज सुनकर मेरे ही गाँव के विश्वनाथ सिंह, पशुपतिनाथ सिंह व अन्य बहुत से लोग आये और घटना को देखे तब तक काफी भीड़ होने के करण मुल्जिमान फायर करते हुए अपने घर की तरफ चले गए। हम लोगों की चोटों का डॉक्टरी मुआइना सरकारी अस्पताल बलिया में हुआ था। विवेचक ने पूछताछ किया था।"

23.1– बचाव पक्ष की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने दिनांक 24.01.2024 को बयान किया कि "मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ और सिविल कोर्ट, बलिया में फौजदारी की प्रैक्टिस करता हूँ। मेरे परिवार में भी लाइसेंसी बंदूक है जो मेरे चाचा मिथिलेश सिंह के नाम से है। संतोष सिंह के पिता की हत्या नहीं हुई थी। संतोष सिंह के पिता का नाम स्व० श्री राम सिंह है। श्री राम सिंह दो भाई थे, दूसरे भाई का नाम विजय प्रताप सिंह था। श्री राम सिंह के चचेरे भाई संग्राम सिंह थे कि नहीं, यह मुझे जानकारी नहीं है। श्री राम सिंह के दूसरे भाई सगे विजय प्रताप सिंह को ही संग्राम सिंह के नाम से भी जाना जाता है। संग्राम सिंह उर्फ विजय प्रताप सिंह की हत्या हुई थी यह मैं सुना था, उस समय मैं छोटा था। उस मामले के हत्या के आरोपी कौन–कौन से लोग थे, मैं नहीं बता सकता। यह मुझे जानकारी है कि उस मामले में गाँव के ही लोग मुलजिम थे। उस मामले में परशुराम सिंह अभियुक्त थे कि नहीं, मुझे जानकारी नहीं है। परशुराम सिंह के पिता महेश सिंह की हत्या हुई थी, यह भी मैं सुना हूँ। उस हत्या के मामले में मृतक संतोष सिंह के परिवार के लोग मुल्जिम थे कि नहीं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। मुझे यह भी जानकारी नहीं है कि परशुराम सिंह व संतोष सिंह के परिवार के लोगों के मध्य पुरानी दुश्मनी रही है। सीमा सिंह व जवाहर गोड़ के अलावा प्रधान पद के उपचुनाव में कौन–कौन से लोग प्रत्याशी थे, मैं नहीं बता सकता। मेरे घर के सामने प्रत्येक दिन सब्जी का बाजार नहीं लगता है लेकिन सटे बगल कुछ दूरी करीब 10–15 मीटर की दूरी पर पश्चिम तरफ लगता है। मेरे घर के सामने जो रोड जाती है उसी रोड पर व ग्राम समाज की जमीन पर बाजार लगता है। इस मामले के गवाह सूर्यबली सिंह के पास भी लाइसेंसी बंदूक है। नीरज सिंह के चाचा के पास भी लाइसेंसी बंदूक है। नीरज सिंह व उनके चाचा रामनाथ सिंह का

मकान अलग अलग है। इस केस के क्रॉस केस के अभियुक्त अशोक सिंह के पास भी एक लाइसेंसी बंदूक है। अभियुक्त अजय सिंह के भाई बबलू सिंह के नाम लाइसेंसी बंदूक है कि नहीं, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। मेरे गाँव में मतदाता चार हजार हैं। आबादी लगभग 8 से 10 हजार की होगी। मेरे गाँव में सभी बिरादरी के लोग हैं। हमारे गाँव में बहुसंख्यक वर्मा बिरादरी के लोग हैं दूसरे नंबर पर यादव बिरादरी और तीसरे नंबर पर राजपूत बिरादरी के लोग हैं। गोड़ बिरादरी की संख्या मेरे बिरादरी से थोड़ा बहुत कम है। मेरे गाँव में मेरी बिरादरी के 300–400 लोग रहते हैं और मेरे बिरादरी के लोग बाहर रहकर अपने रोजी रोजगार में हैं। सभी लोगों को मिलाकर कुल आबादी मेरी बिरादरी की करीब 500–600 के करीब होगी। मेरे गाँव में गोड़ बिरादरी की संख्या करीब 400–500 की होगी। ग्राम प्रधान के उपचुनाव में विमला देवी प्रत्याशी थी कि नहीं, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। विमला देवी का लड़का जयचन्द गोड़ है। इस मुकदमे के क्रॉस केस में विमला देवी व जयचन्द मजरूब/घायल हैं। विमला देवी जो प्रधान पद की प्रत्याशी थीं, अपने लड़के जयचंद व परिवार के लोगों को लेकर अपना चुनाव प्रचार नहीं कर रही थी। बाजार में तिराहे के पास हनुमान जी का व शंकर जी का मंदिर है। मेरे दरवाजे के सामने प्राइमरी पाठशाला व स्कूल है। प्राइमरी स्कूल मेरे बैठके के दक्षिण है। प्राइमरी स्कूल व मेरे बैठके के बीच में जो रोड जाती है वह पूरब–पश्चिम को जाती है। बैठके के पश्चिम रोड पर कटरानुमा दुकाने हैं जो बाजार तक हैं। उन दुकानों के 10 मीटर आगे पश्चिम तरफ सब्जी का बाजार लगता है।"

23.2– बचाव पक्ष की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने दिनांक 07.02.2024 को बयान किया कि "मेरे बाबा स्व० मथुरा सिंह न्याय पंचायत शेर के सरपंच थे। बहुत दिनों तक मेरे बाबा सरपंच के पद पर बने रहे। सन् 2000 में मेरे चाचा मिथिलेश सिंह जवाहर गोड़ के विरुद्ध चुनाव लड़े थे। उस समय अशोक सिंह जो इस मुकदमे के क्रॉस केस में अभियुक्त हैं उन्होंने भी प्रधान पद का चुनाव लड़ा था। मिथिलेश सिंह व अशोक सिंह जवाहर गोड़ से चुनाव हार गए थे। जवाहर गोड़ प्रधान पद का चुनाव जीते थे। जवाहर गोड़ से मेरी कोई राजनैतिक दुश्मनी नहीं है। मेरे चाचा मिथिलेश सिंह की बंदूक शस्त्र लाइसेंस की दुकान पर जमा है। उक्त चुनाव के पहले से ही बंदूक पुलिस के द्वारा सूचना पर जमा किया गया था। रामानंद गोड़ की उम्र इस समय लगभग 65 वर्ष होगी। रामानंद गोड़ के चार लड़के हैं। जवाहर गोड़ रामानंद गोड़ के बड़े लड़के हैं और मुझसे साल दो साल बड़े हैं। जवाहर गोड़ की उम्र इस समय 50 वर्ष के इर्द–गिर्द होगी। मैं न्यायालय विधि व्यवसाय हेतु रोज आता हूँ। विशेष परिस्थितियों में ही कभी–कभार न्यायालय नहीं आता हूँ। न्यायालय का कार्य संपादित कर 6:00 बजे के करीब मैं घर पहुँचता हूँ। संतोष सिंह की हत्या के मामले में रामानंद गोड़ दोष मुक्त हो चुके हैं। संतोष सिंह के साले संजय सिंह इस मुकदमे के क्रॉस केस में अभियुक्त हैं। मणिशंकर सिंह मेरे चचेरे भाई हैं और सूर्यबली सिंह मेरे सगे पटीदार हैं। उक्त

चुनाव के सभी प्रत्याशीगण अपना पर्चा/नामांकन दाखिल कर चुके थे और जो भी उस चुनाव में चुनाव लड़ा था वह अपना प्रचार प्रसार कर रहा था। विमला देवी प्रत्याशी नहीं थी। मेरा राजनैतिक परिवार रहा है। विमला देवी पूर्व में प्रधान रह चुकी हैं। उक्त चुनाव के प्रत्याशियों को चुनाव चिह्न आवंटित हुआ था या नहीं, मुझे याद नहीं है। शिवकुमार वर्मा का घर मेरे घर से दक्षिण 1 किलोमीटर की दूरी पर है। शिवकुमार वर्मा व उनके परिवार के लोग खेती–बड़ी व साग सब्जी का व्यवसाय करते हैं। विजेंद्र वर्मा भी खेती बाड़ी व साग सब्जी का कारोबार करते हैं। उक्त चुनाव के समय मेरे क्षेत्र का विधायक कौन था यह याद नहीं है। उक्त चुनाव अक्टूबर या नवंबर माह में घटना के समय घोषित हुआ था। उस समय ठंडी का मौसम हल्का जाड़ा था। हल्की सर्दी थी जिसके कारण लोग अपने घरों में सुबह शाम नहीं रहते थे और रोड व बाजार में काफी चहल पहल थी।"

24– प्रश्नगत मामले में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी PW–5 **रिटायर्ड उ०नि० रमेश चन्द्र मिश्र** ने दिनांक 11.03.2024 को अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया कि "मैं दिनांक 02.12.2006 को बतौर थानाध्यक्ष थाना बांसडीह रोड पर तैनात था। थाने पर पंजीकृत मु०अ०सं०– 101/06 धारा–147, 148, 149, 307 भा०दं०सं० की विवेचना मेरे पूर्ववर्ती उपनिरीक्षक सुरेश राय द्वारा की जा रही थी। उनके स्थानांतरण के बाद उक्त अपराध की विवेचना मुझे मिली। दिनांक 02.12.2006 को मैंने विवेचना ग्रहण किया, जो पर्चा नं०–3 किता किया गया तथा जिसमें बयान गवाह विश्वनाथ सिंह, एफ.आई.आर. की ताईद व तस्दीक किया है। पर्चा नं–4 दिनांक 05.12.2006 अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास व गवाहों की तलाश, पर्चा नं०– 5 दिनांक 07.12.2006 अभियुक्तों की गिरफ्तारी मुन्नीलाल, विजेन्द्र वर्मा, शिवकुमार उर्फ फन्नी ग्राम बड़की सेरिया थाना बांसडीह रोड किया गया व बयान अंकित किया गया और 14 दिवस न्यायिक रिमाण्ड हेतु न्यायालय रवाना किया गया। पर्चा नं०–6 दिनांक 12.12.2006 अभियुक्त जवाहर गोड़ की न्यायिक रिमाण्ड हेतु आवेदन किया गया। पर्चा नं०–7 दिनांक 22.12.2006 अभियुक्त रमानन्द गोड़ आदि की गिरफ्तारी का प्रयास किया लेकिन नहीं मिला। अभियुक्त जवाहिर की 14 दिवस न्यायिक रिमाण्ड हेतु आवेदन किया गया। पर्चा नं०–8 दिनांक 27.12.2006 घटना में प्रयुक्त बरामदशुदा एस.बी.बी.एल. गन परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ जरिये आरक्षी आशिक हुसैन भेजा गया व आरक्षी का बयान दर्ज किया गया। पर्चा नं०–9 दिनांक 04.01.2007 रिमाण्ड जवाहर गोड़ की 14 दिवस न्यायिक रिमाण्ड हेतु आवेदन। पर्चा नं०– 10 दिनांक 18.01.2007 किता किया, जिसमें बयान गवाह पशुपतिनाथ सिंह जिन्होंने एफ.आई.आर. का ताईद व तस्दीक किया व अभियुक्त रमानन्द गोड़ आदि की गिरफ्तारी हेतु एन.बी.डब्लू. न्यायालय द्वारा जारी किया गया है, अभियुक्तगण वादस्तूर फरार हैं। न्यायालय से अभियुक्तों के विरूद्ध 82–83 दं०प्र०सं० जारी करने हेतु चारागोयी की गयी। पर्चा नं०– 11 दिनांक 22.01.2007 किता

किया, जिसमें अभियुक्तगण जवाहर गोड़, मुन्नीलाल उर्फ मुनिल, विजेन्द्र वर्मा व शिवकुमार उर्फ फन्नी के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाकर आरोप पत्र सं०– 05/2007 धारा–147, 148, 149, 307 भा०दं०सं० दिनांक 22.01.2007 को प्रेषित किया गया। वह आरोप पत्र पत्रावली शामिल कागज सं०–3 क है, जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, तस्दीक करता हूँ, जिस पर **प्रदर्श क–2** डाला गया।"

24.1– बचाव पक्ष की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने बयान किया कि "मैं थाना बांसडीह रोड पर दिनांक 02.12.2006 से कब तक कार्यरत रहा यह मुझे याद नहीं है। उक्त मामले की विवेचना मेरे पूर्ववर्ती उपनिरीक्षक सुरेश राय ने किया था, उनके स्थानान्तरण के पश्चात विवेचना मुझे मिली थी। पूर्व विवेचक द्वारा ही नक्शा नजरी व मौके का निरीक्षण किया गया था। मैंने मौके का निरीक्षण नहीं किया था। इस मामले की विवेचना मेरे द्वारा अग्रेत्तर करते हुए पर्चा नं०– 3 से पर्चा नं०– 11 तक सम्पादित की गयी। उक्त मामले में गवाह विश्वनाथ सिंह व पशुपतिनाथ सिंह का बयान अंकित किया था। उक्त मामले में मैंने पूर्व के विवेचक द्वारा किये गये विवेचना के आधार पर ही संकलित साक्ष्यों का अवलोकन कर आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया था। पूर्व विवेचक द्वारा बनाये गये नक्शे का अवलोकन मैंने सरसरी तौर पर किया था, गंभीरता से नहीं किया था। पूर्व के विवेचक द्वारा नक्शा नजरी पर गाँव या मौजे का नाम अंकित नहीं किया गया है, जबकि नक्शा–नजरी पर मौजा व गाँव का नाम अंकित किया जाता है। जवाहर गोड़ की लाईसेंसी बंदूक पूर्व से थाने में पूर्व विवेचक द्वारा दाखिल की गयी थी मेरे द्वारा कब्जे में नहीं ली गयी थी। मैंने उस बंदूक को दाखिल नहीं किया था। मैंने बंदूक की जांच के लिए बंदूक को विधि विज्ञान प्रयोगशाला के लिए भेजा था। जिसका इंद्राज मेरे द्वारा किया गया है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन मेरे द्वारा नहीं किया गया है। बिना रिपोर्ट प्राप्त किये ही मैंने आरोप पत्र प्रेषित कर दिया था। रिपोर्ट न मिलने के कारण यह मैं नहीं जान पाया था कि मामले में बरामद की गयी लाईसेंसी बंदूक से फायर किया गया था कि नहीं।"

25– प्रश्नगत मामले में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी PW–6 **मणिशंकर सिंह** ने दिनांक 08.07.2024 को अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया कि "घटना दिनांक 27.11.2006 की है। शाम को लगभग 4:30 बजे हम अपने घर के बैठकी पर मैं, मणिशंकर सिंह, मेरे पापा मिथिलेश सिंह, मेरे चचेरे भाई संजय सिंह व मेरे पड़ोसी सूर्यबली सिंह बैठे थे, तभी जवाहर गोड़, मुनीर गोड़, जयचंद गोड़, रामानंद तथा फन्नी वर्मा व विजेंद्र वर्मा ये छः लोग मेरे दरवाजे पर आए। उस समय मेरे गाँव में प्रधानी उपचुनाव का माहौल था। उस समय हम सीमा सिंह के समर्थक थे। इन छः लोगों ने हमें विमला देवी के पक्ष में वोट देने को कहा। हमारे मना करने पर इन लोगों ने हमें धमकी दिया तभी हमारे बैठकी गेट से बाहर निकलकर रामानंद गोड़, फन्नी वर्मा, विजेंद्र वर्मा के ललकारने पर जवाहर गोड़ ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से तथा मुनीर गोड़ व जयचंद गोड़ ने कट्टे से

हमारे ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर दी जिसमें हमें चोटे आईं। हमें सिर में चोट लगी। मेडिकल कराने जिला चिकित्सालय बलिया गए। मुझे दाहिने तरफ सिर में चोट लगी। मेरे पिताजी मिथिलेश सिंह चेस्ट के बीच में व बाये साइड में पीठ के पास चोटें आईं। मेरे चचेरे बड़े भाई संजय सिंह को बाएं हाथ में चोटें आईं। पुलिस अधिकारी ने मेरा बयान लिया था।"

25.1– बचाव पक्ष की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने दिनांक 08.07.2024 को बयान किया कि "मैं सिविल से डिप्लोमा किया हूँ। इंटरमीडिएट पास करने के उपरांत मैं डिप्लोमा किया हूँ। माँ भगवती इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी से डिप्लोमा किया हूँ। सन् 2020 में मैं डिप्लोमा कंप्लीट किया हूँ। हाई स्कूल सन् 2006 में किया हूँ। श्री हीरालाल बच्चू लाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छाता से हाईस्कूल किया हूँ। मिथिलेश सिंह मेरे पिता हैं। दिनांक 27.11.2006 को शाम लगभग 4:30 बजे की घटना है। उस समय मैं हाई स्कूल में पढ़ता था। मैं स्कूल जाता था, उस दिन मैं नहीं गया था। स्कूल का समय 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक का था। स्कूल मेरे घर से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। मैं कोचिंग भी पढ़ता था। कोचिंग का समय सुबह 6:00 से 8:00 बजे तक था। रघुनाथपुर में कोचिंग पढ़ता था। यह मुझे बखूबी याद है कि मेरे गाँव में प्रधान पद का उपचुनाव हो रहा था। उस उपचुनाव में विमला देवी, सीमा सिंह प्रत्याशी थे, इनके अलावा दूसरा कोई अन्य प्रत्याशी नहीं था। उस दिन कोई चुनाव प्रचार विमला देवी व सीमा सिंह का नहीं था। उस समय मेरे क्षेत्र की विधायिका मंजू सिंह नहीं थी बल्कि नारद राय थे। मेरे पिता जी मिथिलेश सिंह के नाम से लाइसेंसी बंदूक थी। सीमा सिंह के पति संतोष सिंह प्रधान थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर कहा की हत्या हो गई थी जिससे पद रिक्त हो गया था और उपचुनाव कराना पड़ा। हम लोगों के समर्थन से सीमा सिंह प्रधान पद का चुनाव लड़ रही थीं। मेरे परिवार से कोई सदस्य सीमा सिंह का वोट नहीं माँग रहा था। मेरा घर व बैठका आमने–सामने है। मेरा घर वह बैठका दोनों बाजार के समीप हैं।"

25.2– बचाव पक्ष की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने दिनांक– 09.07.2024 को बयान किया कि "सूर्यबली सिंह मेरे पड़ोसी हैं। उनके पास लाइसेंसी बंदूक शायद है, कन्फर्म नहीं है। रामनाथ सिंह मेरे गाँव के हैं शायद उनके पास भी लाइसेंसी बंदूक है। अशोक सिंह मेरे गाँव के हैं, उनके बारे में विशेष जानकारी नहीं है। मुझे जानकारी नहीं है कि उनके पास लाइसेंसी बंदूक है कि नहीं। बबलू सिंह को मैं जानता हूँ, उनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके पास लाइसेंसी बंदूक है या नहीं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। मिथिलेश सिंह मेरे पापा सन् 2000 में प्रधान पद का चुनाव लड़े थे। उस समय प्रधान पद का कौन–कौन से लोग चुनाव लड़ रहे थे, मुझे याद नहीं है। सन् 2000 के प्रधान पद के चुनाव के बाद हुए 2005 के चुनाव में संतोष सिंह प्रधान नहीं चुने गए थे। मेरे पापा जब प्रधान पद का चुनाव लड़े थे, उस समय जवाहर के घर से कोई चुनाव लड़ा था। जवाहर लड़े थे

कि कौन लड़ा था, मुझे याद नहीं है। उस चुनाव में मेरे पापा चुनाव हार गए थे। सन् 2000 के चुनाव में जवाहर प्रधान पद का चुनाव शायद जीते थे। जवाहर या उनके परिवार का कोई सदस्य ही जीता था लेकिन कौन जीता था, यह याद नहीं है। जवाहर गोड़ बिरादरी के हैं। मेरे गांव में गोड़ बिरादरी के लोग कितने हैं इसकी पूरी जानकारी मुझे नहीं है लेकिन 70–75 लोगों का घर है। मेरी बिरादरी के भी लोग 90–100 घर हैं। जवाहर व जवाहर के घर के लोग मेरी ग्राम पंचायत के कई बार प्रधान रह चुके हैं। उप चुनाव जो प्रधान पद का हो रहा था, उस समय मैं तथा मेरे परिवार के लोग सीमा सिंह के समर्थन में थे। उसके पहले जो प्रधान पद का चुनाव हुआ था उसमें हम लोग संतोष सिंह मृतक के साथ चुनाव में थे। मैं किसी खेमे में नहीं था। मैं और मेरा परिवार किसी के साथ नहीं थे बल्कि तटस्थ थे। उस समय हम जवाहर के समर्थन में नहीं थे बल्कि सीमा सिंह के समर्थन में थे। प्रधान पद के उपचुनाव में विमला देवी चुनाव लड़ी थी कि नहीं, इस समय याद नहीं है परंतु उनके यहाँ कोई खड़ा था। उस चुनाव में प्रधान पद के लिए जो जो लोग चुनाव लड़े होंगे वे अपना वोट मांगते होंगे, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। सीमा सिंह जो प्रधान पद का उपचुनाव लड़ी थीं, गाँव में शायद वह वोट माँग रही होंगी। मैंने सीमा सिंह को वोट माँगते नहीं देखा था। किसी को भी गाँव में घूमकर वोट माँगते नहीं देखा था। मैं पढ़ने वाला छात्र था, मैं स्कूल चला जाता था। मैं जब स्कूल जाता था तो 4:00 बजे के आसपास घर आता था। स्कूल का समय 10:00 बजे से 3:30 तक था। 4:00 बजे तक मैं घर आ जाता था। मैं स्कूल साइकिल से आता जाता था। मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि मेरे पिता मिथिलेश सिंह, भूपेंद्र सिंह, नीरज सिंह, अजय सिंह, हरेंद्र प्रताप, रिशु सिंह, पशुपति सिंह, विनोद सिंह, विजय सिंह व राकेश सिंह के विरुद्ध धारा– 147, 148, 149, 307, 324 भारतीय दंड संहिता का लिखवाया गया है कि नहीं। जवाहर कितनी बार ग्राम पंचायत रहे हैं इस बात की जानकारी मुझे नहीं है। इनकी माँ विमला देवी कितनी बार प्रधान रही हैं, मुझे इस बात की भी जानकारी नहीं है। सूर्यबली सिंह मेरे पड़ोसी हैं। मुझे इस समय याद नहीं है कि सूर्यबली सिंह मेरे मुकदमे में गवाह हैं कि नहीं। पशुपति सिंह को मैं उनके नाम से जानता हूँ, मैं उनको देखा हूँ। मुझे अभी याद नहीं आ रहा है कि इस मुकदमे में पशुपति सिंह गवाह है कि नहीं तथा मुकदमे के क्रॉस केस में अभियुक्त हैं या नहीं। कल मैं गवाही देने आया था। मुझे अभी यह याद नहीं है कि कल इस मुकदमे के साथ चल रहे क्रॉस केस में मेरे पिता व उनके साथ रहे अभियुक्तगण पशुपति सिंह वगै0 आए थे कि नहीं। मेरे पिता मिथिलेश सिंह मेरे साथ आए थे। उनके साथ मेरे गाँव का अन्य व्यक्ति आया था कि नहीं, इसकी जानकारी नहीं है।"

26– प्रश्नगत मामले में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी PW–7 **सेवा निवृत्त उ0नि0 सुरेश राय** ने दिनांक 09.09.2024 को अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया कि "दिनांक 27.11.2006 को समय 18.40 बजे के बावत वादी मिथिलेश कुमार सिंह पुत्र मथुरा सिंह के लिखित रिपोर्ट पर उसी दिन थाना बांसडीह रोड जिला बलिया पर मुकदमा अपराध सं0–

101/2006, धारा– 147, 148, 149, 307 थाना बाँसडीह रोड, बलिया दर्ज होकर विवेचना मेरे द्वारा ग्रहण की गई। मैं उस दिन बतौर उपनिरीक्षक थाना बाँसडीह रोड, बलिया पर तैनात था। दिनांक 27.11.2006 को पर्चा नं0–1 किता किया जिसके अवलोकन में नकल एफ.आई.आर. नकल रपट संलग्न किया कायमी मुकदमा बयान अभियुक्त जवाहर गोड़ की गिरफ्तारी की गई तथा बंदूक बरामद की गई जिसका फर्द दो गवाहों के समक्ष तैयार किया गया तथा बंदूक नं0–SBBL नं0–BE 1931–2001–12 बोर छः अदद जिंदा कारतूस मय लाइसेंस नं0– 954 कब्जा में लेकर रपट नं0– 37, समय 2:30 बजे उसी दिन थाने में दाखिल किया गया व पर्चा किता किया गया। दिनांक 28.11.2006 को पर्चा नं0–2 किता किया जिसके अवलोकन में अभियुक्तों की तलाश करते हुए उस गाँव में गया तथा वादी मुकदमा मजरूब मिथिलेश सिंह पुत्र मथुरा सिंह का बयान अंकित किया गया तथा मजरूब सूर्यबली सिंह का बयान व बयान मजरूब संजय सिंह, मणिशंकर सिंह अंकित किया तथा घटनास्थल का वादी के निशान देही पर नक्शा नजरी बनाया गया तथा अवलोकन डॉक्टरी रिपोर्ट मजरूब सूर्यबली सिंह, मिथिलेश सिंह, मणिशंकर सिंह, संजय सिंह व बयान गवाह फर्द हरेंद्र पासवान, मंतोष यादव का अंकित किया गया। पत्रावली में संलग्न कागज सं0– 5क जो नक्शा नजरी है, जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया गया है, जिसे मैं पहचान करता हूँ जिस पर **प्रदर्श क–3** डाला गया। पत्रावली में संलग्न कागज संख्या 8क/1 लगायत 8क/4 जो क्रमशः संजय कुमार सिंह, मणिशंकर सिंह, मिथिलेश कुमार सिंह, सूर्यबली सिंह का आघात आख्या तैयार करके कांस्टेबल द्वारा सदर अस्पताल बलिया में भेज कर उसी दिन कराया था जिस पर मेरा हस्ताक्षर है जिसे मैं पहचानता हूँ जिस पर **प्रदर्श क–4, प्रदर्श क–5, प्रदर्श क–6, प्रदर्श क–7** डाला गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट हेड कांस्टेबल रामभरत सिंह द्वारा उनके लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया गया था जिसके लेख व हस्ताक्षर को भली भांति जानता पहचानता हूँ। उस दिन दिनांक 27.11.2006 को मुकदमा अपराध सं०–101/2006 धारा– 147,148,149,307 भारतीय दंड संहिता, थाना– बांसडीह रोड उसे दिन हेड कांस्टेबल मुंशी के पद पर तैनात थे जिसे मैं पहचान करता हूँ। पत्रावली में संलग्न कागज सं० 4क/1 जिस पर मेरा हस्ताक्षर है तथा हेड कांस्टेबल रामभरत सिंह द्वारा लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया गया जिनके लेख व हस्ताक्षर को मैं जानता पहचानता हूँ जिस पर **प्रदर्श क–8** डाला गया। साथ ही साथ मुकदमा अपराध सं०–101/2006, धारा– 147, 148, 149, 307 भारतीय दंड संहिता का नकल रपट, कायमी जी.डी. कार्बन प्रति शामिल पत्रावली कागज सं०– 6क/2 है जो हेड कांस्टेबल राम भरत सिंह द्वारा तैयार किया गया था जो उनके लेख में है, मैं उनके लेख को जानता पहचानता हूँ, पहचान करता हूँ, जिस पर **प्रदर्श क–9** डाला गया। अभियुक्त जवाहर को गिरफ्तार करके दिनांक–27.11.2006 को समय 21:30 बजे दाखिल किया गया जिस पर हे०मो० द्वारा हस्ताक्षर किया गया है व उनके द्वारा ही लिखा गया है। पत्रावली में संलग्न कागज सं०– 6क/3 लगायत 6क/4 है

तथा हेड कांस्टेबल के हस्ताक्षर हैं, कार्बन कॉपी शामिल मिशिल है जिस पर **प्रदर्श क–10, प्रदर्श क–11** डाला गया। पत्रावली में संलग्न कागज सं०– 7 क है जो फर्द मुरतब की गई है, जो बंदूक लिया गया, बंदूक नं०–BE193/2001 SBBL मय 6 कारतूस 12 बोर अभियुक्त जवाहर गोड़ के पास से बरामद हुई थी जो कब्जा में लेकर फर्द तैयार किया था जो दो गवाह के रूप में हरेंद्र पासवान व मंतोष यादव के सामने तैयार किया गया था जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया गया। मैं अपने लेख व हस्ताक्षर में तस्दीक करता हूँ जिस पर **प्रदर्श क–12** डाला गया।"

26.1– बचाव पक्ष की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने बयान किया कि "मैं बांसडीह रोड थाने पर दिनांक 28.11.2006 तक कार्यरत था। दिनांक 28.11.2006 की रात्रि में उसके बाद बयासी दीयर रात्रि में ही ट्रांसफर जो थाना कोतवाली के अंतर्गत है, हो गया। रात्रि में बयासी पहुँच गया व अपना आमद दिनांक 29.11.2006 को बयासी चौकी पर कराया था। इस मामले की विवेचना दिनांक 27.11.2006 को शाम को 4:30 बजे के करीब मिली थी। मैंने नक्शा नजरी में यह उल्लेख नहीं किया है कि नक्शा नजरी किस गाँव का है। विवेचना ग्रहण करने के उपरांत सूचना प्राप्त होने पर तुरंत बाद में मौका घटनास्थल पर गया। मेरे थाने से घटनास्थल की दूरी कितनी है, नक्शा नजरी में मेरे द्वारा अंकित नहीं किया गया है। मैं घटनास्थल पर सरकारी जीप से गया था। घटनास्थल पर लगभग डेढ़ से दो घंटे तक रुका था, स्पष्ट याद नहीं है। विवेचना ग्रहण करने के बाद चिक एफ.आई.आर. का अवलोकन किया व लिखा पढ़ी किया व घटनास्थल के लिए रवाना हुआ। विवेचना ग्रहण करने के कितनी देर बाद पहुँचा, मुझे समय याद नहीं है। नवंबर का महीना था इसलिए हल्का–फुल्का ठंडा था। मेरे साथ सरकारी जीप से घटनास्थल पर कौन–कौन गया था, मुझे याद नहीं है, अभिलेख देखकर बता सकता हूँ। कौन सरकारी जीप चला रहा था, याद नहीं है। मैं थाना से घटनास्थल पहुँचा और घटनास्थल का निरीक्षण किया व वादी मुकदमा से पूछताछ किया और वहाँ की स्थिति देखकर अग्रिम कार्यवाही किया, जो सी०डी० में अंकित है। मैं कितने बजे थाना वापस आया यह मुझे याद नहीं है, सी०डी० देखकर बता सकता हूँ। मैं थाने पर 9:30 बजे वापस आ गया था। घटना के दिन मैं किसी स्वतंत्र साक्षी का बयान अंकित नहीं किया था। मैं काफी व्यस्त था। अन्य मुकदमे के भी काम थे जिसके कारण मुझे समय नहीं मिला कि मैं किसी स्वतंत्र साक्षी का बयान अंकित करूं व घटना की वास्तविकता से वाकिफ हो सकूं। दिनांक 28/29 की रात में मेरा ट्रांसफर हो गया। वादी मुकदमा का बयान मैंने किस तिथि को लिया, मैं अदालत के समक्ष दिए गए बयान में– यह सही है कि वादी मुकदमा का बयान कब किया है, का उल्लेख समक्ष अदालत में दिए गए बयान में अंकित नहीं किए हैं बल्कि सी०डी० नं०–2 में इसका उल्लेख किया हूँ। मैं जो बयान दिया हूँ कि दिनांक 28.11.2006 को निशानदेही पर नक्शा नजरी बनाया है, वह सही है। नक्शा नजरी मेरे द्वारा ही बनाया गया था। मैं दूसरी बार घटनास्थल कब

गया, यह मुझे याद नहीं है। दिनांक 28.11.2006 के बाद मैं नहीं गया था। मैं दूसरी बार सुबह या शाम को गया था, यह भी मुझे याद नहीं है। सूर्यबली सिंह, हरेंद्र पासवान, मंतोष यादव का बयान अंकित किया हूँ, यह हमने साक्ष्य में बताया है। यह मुझे कहाँ मिले थे, याद नहीं है, सी०डी० नं०–2 में अंकित है। सी०डी० नं०–2 देखकर गवाह ने बताया कि मैं सेरिया गाँव में ही तलब किया था, जगह अंकित नहीं किया हूँ। उस दिन मैं वादी मुकदमा के दरवाजे पर गया था। अन्य जगह वादी मुकदमा के अलावा नहीं गया। पशुपति सिंह का बयान मैंनें अंकित नहीं किया था। उस समय मैं ही घटना के समय थाने का प्रभारी था। घटना की तहरीर वादी मुकदमा द्वारा दीवान जी को दिया गया था। शाम को आवश्यकता होने पर क्षेत्र की रवानगी होती है। मैंनें उक्त घटना का आरोप पत्र दाखिल नहीं किया है। मैं रामभरत सिंह दीवान जी के साथ अन्य किसी स्टेशन थाने पर कार्यरत नहीं रहा। रामभरत सिंह हेड कांस्टेबल कहाँ से सेवानिवृत हुए इसकी भी जानकारी मुझे नहीं हुई। रामभरत सिंह कहाँ के रहने वाले हैं इसकी भी जानकारी मुझे नहीं है। उनका देहांत कब हुआ मुझे जानकारी नहीं है। पैरोकार ने बताया कि वह मर चुके हैं। बांसडीह रोड थाना क्षेत्र सदर विधानसभा में आता है। जिस समय मैं प्रभारी एस.ओ. था उस समय सदर विधानसभा के विधायक नारद राय थे, यह मुझे याद है। मैं दौरान विवेचना अभियुक्त शिवकुमार के घर कभी नहीं गया। मैं दौरान विवेचना विजेंद्र वर्मा के यहाँ भी कभी नहीं गया था। प्रदर्श क–4, प्रदर्श क–5, प्रदर्श क–6, प्रदर्श क–7 जो कागज सं०– 8क/1 लगायत 8क/4 है, को लेकर किस कांस्टेबल को भेजा था उसके नाम का उल्लेख अपने बयान में अंकित नहीं किया है। कौन कांस्टेबल गया था यह मुझे याद नहीं है, आघात आख्या देखकर बता सकता हूँ। जवाहर गोड़ ग्रामसभा शेर के प्रधान थे या नहीं, इसकी जानकारी हमें नहीं है। उनकी माँ विमला देवी भी प्रधान रही थी या नहीं, मुझे पता नहीं है। मैं बांसडीह रोड में डेढ़ साल के करीब रहा। इस घटना के पूर्व डेढ़ साल के दौरान रात्रि गश्त में शेर में गया था। दिन में गया था या नहीं, याद नहीं है। थाने का क्षेत्र हल्के में बटा रहता है। शेर हल्के में उस समय कौन दरोगा था, किसके अंडर में आता था, उस एस.आई. का नाम मैं नहीं जानता। संभवतः प्रधानी चुनाव के दौरान ही यह घटना प्रकाश में आई। दौरान विवेचना मुझे इस बात की जानकारी उस समय नहीं हुई कि प्रधान पद का उपचुनाव हो रहा था। जिस समय घटनास्थल पर पहुँचा तो उस समय घटनास्थल पर कोई था कि नहीं, मुझे याद नहीं है।"

27– प्रश्नगत मामले में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी PW–8 **डॉ० अजीत सिंह,** रिटायर्ड सी०एम०ओ०, प्रयागराज ने दिनांक– 19.09.2024 को जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया कि "दिनांक 27.11.2006 को समय 08.30 बजे मेरी ड्यूटी आकस्मिक कक्ष में लगायी गयी थी उसी दिन रात के 09.00 बजे चोटहिल संजय कुमार सिंह, जिसकी उम्र 29 वर्ष पुत्र वशिष्ठ नारायण सिंह साकिन– बड़की शेर थाना बांसडीह रोड जिला

बलिया के निवासी थे। जिसे कॉ० 894 लालबहादुर सिंह थाना बांसडीह रोड, जिला बलिया द्वारा लाया गया था। ओ.पी.डी. स्लिप लेकर नहीं गये थे। चोट का विवरण निम्न है–

चोट सं०–1 फायर आर्म द्वारा उत्पन्न घाव 0.2 सेमी x 0.2 सेमी मांसपेशी तक गहरा प्रवेश का घाव बाये हाथ की बाहरी सतह पर इन्डेक्स फिंगर के आधार पर किनारे अन्दर की ओर मुडे हुए। **ओपिनियन**– फायर आर्म का घाव ताजा था। जिसे निगरानी में रखते हुए बायें हाथ के एक्स–रे की सलाह देते हुए सर्जन को रेफर किया गया। पत्रावली में संलग्न कागज संख्या–8 क/1 मेरे लेख व हस्ताक्षर में की गयी जिस पर चोटहिल संजय कुमार सिंह का निशान अंगूठा मेरे द्वारा प्रमाणित है जिस पर **प्रदर्श क–13** डाला गया।

उसी दिन मजरूब मणिशंकर सिंह उम्र 14 वर्ष पुत्र मिथिलेश कुमार सिंह साकिन–बड़की शेर, थाना बांसडीह रोड, जनपद बलिया को कॉ० लालबहादुर सिंह द्वारा लाया गया था। दिनांक 27.11.2006 समय 08.50 pm पर लाया गया था। चोट का विवरण निम्न है–

चोट सं०–1 फायर आर्म का घाव 0.2 सेमी x 0.2 सेमी मांसपेशी तक गहरा दाहिने कनपटी पर दाहिने कान से 4 सेनी ऊपर किनारे अन्दर की ओर मुड़े हुए। **ओपिनियन–** मेरी राय में चोट किसी फायर आर्म द्वारा पहुँचाई गयी ताजी थी। जिसे निगरानी में रखते हुए सर्जन को रेफर की गयी और सिर के एक्स–रे की सलाह दी गयी। पत्रावली में संलग्न कागज सं०–8 क/2 मेरे लेख व हस्ताक्षर में है चोटहिल मणिशंकर का निशान अंगूठा मेरे द्वारा प्रमाणित है जिसे मैं पहचान करता हूं जिस पर **प्रदर्श क–14** डाला गया।

उसी दिन मजरूब मिथिलेश कुमार सिंह उम्र 42 वर्ष पुत्र मथुरा सिंह साकिन–बड़की शेर, थाना बांसडीह रोड, जनपद बलिया को कॉ० लालबहादुर सिंह द्वारा लाया गया था। दिनांक 27.11.2006 समय 08.40 pm पर लाया गया था। चोट का विवरण निम्न है–

चोट सं०–1 फायर आर्म द्वारा उत्पन्न घाव 0.2 सेमी x 0.2 सेमी उसकी गहराई नापी नहीं गयी बायें चेस्ट के मध्य में मौजूद किनारे अन्दर की ओर मुड़े हुए।

चोट सं०–2 फायर आर्म द्वारा उत्पन्न घाव 0.2 सेमी x 0.2 सेमी गहराई का मापन नहीं किया गया। पीठ पर बायें शोल्डर प्लेट से 28 सेमी नीचे किनारे अन्दर की ओर मुड़े हुए। **ओपिनियन–** मेरी राय में दोनों चोटें फायर आर्म द्वारा पहुँचाई गयी थीं जो ताजी प्रकृति की थीं जिन्हें निगरानी में रखते हुए सीने एवं पेट के एक्स–रे की सलाह देकर सर्जन को रेफर किया गया। पत्रावली में सलंग्न कागज सं०– 8 क/3 मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। चोटहिल मिथिलेश कुमार सिंह का निशान अंगूठा मेरे द्वारा प्रमाणित है जिसे मैं पहचान करता हूँ जिस पर **प्रदर्श क–15** डाला गया।

उसी दिन मजरूब सूर्यबली सिंह उम्र 70 वर्ष पुत्र स्व० मनबहाल सिंह साकिन–बडकी शेर, थाना बांसडीह रोड, जनपद बलिया को कॉ० लालबहादुर सिंह द्वारा लाया गया था। दिनांक 27.11.2006 समय 08.30 pm पर लाया गया था। चोट का विवरण निम्न है–

चोट सं0–1 फायर आर्म द्वारा पहुँचाया गया घाव 0.2 सेमी x 0.2 सेमी x मांसपेशी तक गहरा प्रवेश का घाव दाहिने अग्र बाहू फोर आर्म के सामने की सतह पर दाहिने कलाई से 11 सेमी ऊपर किनारे अन्दर की ओर मुडे हुए। **<u>ओपिनियन–</u>** मेरी राय में यह चोट फायर आर्म द्वारा पहुँचाई गयी ताजी थी, जिसे निगरानी में रखते हुए दाहिने अग्र बाहू की एक्स–रे की राय देते हुए सर्जन को रेफर किया गया। पत्रावली में सलंग्न कागज सं०– 8 क/4 मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। चोटहिल सूर्यबली सिंह का निशान अंगूठा मेरे द्वारा प्रमाणित है जिसे मैं पहचान करता हूं जिस पर **प्रदर्श क–16** डाला गया। उपरोक्त मजरूबान की चोटें 5–6 बजे के लगभग पहुंचाया जाना सम्भव है।"

27.1– बचाव पक्ष की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने बयान किया कि "मेरे पास मूल मेडिकल रिपोर्ट का रिकार्ड रजिस्टर जो अस्पताल में रखा जाता है वह मेरे समक्ष आज नहीं है। उसकी ई प्रति मेरे पास है। संजय कुमार सिंह के मेडिकल रिपोर्ट में इंजरी के उल्लेख के दूसरे शब्द नीयर में ओवर राइटिंग की गयी है। मणिशंकर सिंह के मेडिकल रिपोर्ट के ओपिनियन में फायर आर्म शब्द को हाईलाइट करने के उद्देश्य से ओवरराइटिंग की गयी है। मिथिलेश सिंह के मेडिकल रिपोर्ट मे दिनांक का उल्लेख जहाँ किया गया है उसमें दिनांक को ओवरराइटिंग की गयी है। चौथी लाईन में कटिंग की गयी है। चोट सं०–2 वाली लाईन के अंतिम शब्द काटकर दूसरा शब्द लिखा गया है। कटिंग के ऊपर ही मेरा हस्ताक्षर है। चार लोगों का मेडिकल मेरे द्वारा किया गया है। चारों लोगों संजय कुमार सिंह, मणिशंकर सिंह, मिथिलेश सिंह व सूर्यबली सिंह की चोटों का आकार मैंने मेडिकल रिपोर्ट पर समान आकार का लिखा है। किसी भी मजरूब को मेरे द्वारा अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया था। सभी मजरूब मेरे समक्ष चल फिर कर आये थे। किसी मजरूब की सर्जन रिपोर्ट या एक्स–रे रिपोर्ट मुझे नहीं मिली। स्कीन से मांसपेशी की गहराई का मापन नहीं किया जा सकता है क्योंकि मांसपेशी में रेशे होते हैं और रेशों में अगर मापन करेंगे तो वहाँ पर ऐसा कोई बैरियर नहीं है जहाँ प्रसाईस बिन्दु पता चल सके। चारों मजरूबों की इन चोटों का स्वयं बनाया जाना सम्भव नहीं है। सभी मजरूब जिनका मैंने मेडिकल बनाया था उनकों पुलिस कांस्टेबल को सुपुर्द कर दिया गया। दोबारा कोई मजरूब मेरी ड्यूटी के समय नहीं आया। सप्लीमेंटरी रिपोर्ट सर्जन बनाते है या जिस चिकित्सक को रेफर किया जाता है वही बनाते हैं। मैंने कोई सप्लीमेंटरी रिपोर्ट नहीं बनाया है। किसी भी मजरूब की चोट चिकित्सालय में भर्ती करने लायक नहीं थी।"

28– प्रश्नगत मामले में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी PW–9 **सेवा निवृत्त उ०नि० सुरेश**

राय ने दिनांक–31.10.2025 को अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया कि "मैं वह एस.आई. महेंद्र नाथ दुबे एक साथ जिला बलिया में कार्य कर चुके हैं। उपनिरीक्षक महेंद्र नाथ दुबे को कई बार कोर्ट से N.B.W. व 350 Cr.P.C. पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर एस.आई. महेंद्र नाथ दुबे को बुलाने के लिए कोर्ट द्वारा प्रॉसेस भेजकर काफी प्रयास किया गया किंतु उनका कोई अता–पता नहीं होने के कारण उनकी जगह पर मैं एस.आई. सुरेश राय सेकेंडरी करने के लिए आज कोर्ट में उपस्थित हुआ हूँ क्योंकि इस मुकदमे के वादी की निशानदेही पर नक्शा नजरी मेरे ही द्वारा तैयार किया गया था जो पहले से प्रदर्श क–3 के रूप में प्रमाणित कर चुका हूँ। मैं एस.आई. महेंद्रनाथ दुबे को जो एस.टी. नं०– 201/2011, अपराध सं०–101/2006, धारा– 147, 148, 149, 307 आई.पी.सी. थाना बांसडीह रोड का आरोप पत्र जो उनके लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया गया है तथा एस.आई. महेंद्र नाथ दुबे का लेख व हस्ताक्षर मैं भलीभांति जानता पहचानता हूँ क्योंकि महेंद्र नाथ दुबे को लिखते पढ़ते मैं अपनी आँखों से देखा हूँ तथा कई बार उनको अपना हस्ताक्षर बनाते हुए भी देखा हूँ, वह उन्हीं का हस्ताक्षर है। पत्रावली में संलग्न कागज सं०– 3 क/1 जो आरोप पत्र सं०– 5A/2007 दिनांक– 31.08.2009 को एस.आई. महेंद्रनाथ दुबे जो अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किए हैं जिसे मैं प्रमाणित करता हूँ जिस पर **प्रदर्श क–17** डाला गया। पत्रावली में संलग्न कागज सं०– 5 क जो एस.टी. नं०–105/2007 की मूल पत्रावली का नक्शा नजरी की छायाप्रति जो प्रमाणित है जो एस.टी. नं०– 201/2011 में संलग्न है जो मूल नक्शा नजरी में प्रदर्श क–3 के रूप में पहले से डाला जा चुका है जो नक्शा नजरी मेरे लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया गया था जिसे पहचान करता हूँ।"

28.1– बचाव पक्ष की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने बयान किया कि "यह बात सही है कि इस मुकदमे के विवेचक जिन्होंने आरोप पत्र दिया है वह जीवित हैं या मर गए हैं, मैं नहीं जानता हूँ। यह बात सही है कि मेरा बयान इस मुकदमे में पूर्व में भी हो चुका है। मुझे याद नहीं है कि महेंद्र नाथ दुबे के साथ कहाँ और कि पुलिस स्टेशन पर कब काम किया हूँ। इस मुकदमे में मैं दो पर्चा किता किया हूँ, तब तक मेरा स्थानांतरण हो गया। जिन–जिन लोगों के साथ काम किया हूँ उनके हस्ताक्षर पहचानता हूँ। यह बात सही है कि मैं हस्तलेख विशेषज्ञ नहीं हूँ। यह बात सही है कि नक्शा नजरी प्रदर्श क–3 में वर्णित स्थान C से D, B से A या A से E की दूरी कितनी है, अंकित नहीं है। यह बात भी सही है कि नक्शा नजरी में उस स्थान विशेष को प्रदर्शित नहीं किया गया है जहाँ से कोई बुलेट, प्लेट, छर्रा, बायड, टिकली मिला है। यह बात सही है कि नक्शा नजरी प्रदर्श क–3 में उस स्थान विशेष को प्रदर्शित नहीं किया गया है जहाँ कोई खून गिरा पड़ा मिला हो। यह बात सही है कि उस चिह्न विशेष को प्रदर्शित नहीं किया गया है, जिधर से अभियुक्त आए हों। नक्शा नज प्रदर्श क–3 में कमरा कमरा बरामदा अंकित है, किस आदमी विशेष का है, मकान मालिक का

नाम दर्ज नहीं है। यह बात सही है कि मेरी रवानगी की जी.डी. में साक्ष्य के समय पत्रावली में संलग्न नहीं है। यह बात सही है कि प्रदर्श क–17 पर विवेचक के हस्ताक्षर लघु हस्ताक्षर हैं जो पठनीय नहीं हैं।

<u>केस–B (सत्र परीक्षण सं०–170/2017 उ०प्र० राज्य बनाम मिथिलेश सिंह वगै० तथा सत्र परीक्षण सं०–299/2017 उ०प्र० राज्य बनाम संजय सिंह) के साक्ष्य का विवरण–</u>

29– प्रश्नगत मामले में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी PW–1 **तूफानी बिन्द** ने दिनांक– 24.03.2018 को अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया कि "अभियोजन की ओर से दिनांक– 27.11.2006 को समय करीब 05:00 बजे ग्राम पंचायत का चुनावी जुलूस निकल रहा था जिसमें गाँव के बहुत से लोग घूम रहे थे जिसमें मैं भी घूम रहा था। वादी मुकदमा सुनील कुमार की माँ विमला देवी तथा भाई जवाहर लाल भी प्रत्याशी थे। लोग एक दूसरे का प्रचार कर रहे थे। घटना के दिन मिथिलेश सिंह, भूपेंद्र सिंह उर्फ पप्पू, नीरज, अजय सिंह, हरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ गुप्ती, रिशु सिंह, पशुपति सिंह, विनोद, विजय, राकेश सिंह व संजय के अलावा चुनाव प्रचार में सुनील वादी मुकदमा की तरफ से भी बहुत लोग चुनाव प्रचार कर रहे थे। चुनाव प्रचार के दौरान दोनों लोग आपसी झगड़ा व विवाद किए थे। मैं घटनास्थल पर नहीं था। बाद में मुझे लोगों के द्वारा जानकारी प्राप्त हुई थी कि ये लोग आपस में झगड़ा किए थे। संजय सिंह, विजय सिंह व राकेश सिंह के हाथ में किसी प्रकार का असलहा नहीं देखा। मेरे सामने विमला देवी व जयचंद को उपरोक्त लोग बंदूक से फायर करके घायल किए थे तथा उनको कैसे चोट लगी, इस बात की जानकारी मुझे नहीं है।" इस स्तर पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित कर अभियोजन को जिरह की अनुमति दी गयी।

29.1– अभियोजन की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (दां०) द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी को इसका बयान अन्तर्गत धारा– 161 Cr.P.C. पढ़ कर सुनाया गया तो इंकार किया। "दरोगा जी ने मेरा बयान नहीं लिया था। मैंने दरोगा जी को यह बयान नहीं दिया था कि *'मैं बाजार में सब्जी खरीद रहा था कि जवाहर गोड़ व उनकी माँ विमला देवी का चुनावी जुलूस जा रहा था........'* **उत्तर–** 'नहीं। अशोक सिंह उस समय घटना में नहीं थे। ठाकुर होने तथा एक ही गाँव के होने के नाते इनका नाम दे दिए होंगे। इस घटना में नहीं थे।' वादी मुकदमा तथा उपरोक्त अभियुक्तगण मेरे ही गाँव के हैं लेकिन संजय, विजय व राकेश दूसरे गाँव के हैं। उपरोक्त मुल्जिमान से मुझे किसी भी प्रकार से रंजिश नहीं है। न्यायालय द्वारा मुझे वारंट हुआ है जिससे मैं जरिये अधिवक्ता हाजिर होकर बयान दे रहा हूँ। मुल्जिम ने मुझे डराया व धमकाया नहीं है।"

29.2– बचाव पक्ष की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने बयान किया कि "मैं घटना के दिन गाँव पर नहीं था। उपरोक्त घटना के बावत गाँव के किसी व्यक्ति द्वारा मुझे नहीं बताया गया। मेरे सामने मिथिलेश सिंह, भूपेंद्र सिंह उर्फ पप्पू, नीरज सिंह, अजय सिंह, हरेंद्र सिंह उर्फ गुप्पी सिंह, रिशू सिंह, पशुपति सिंह, अरविंद सिंह, विनोद सिंह, संजय सिंह, विजय सिंह व राकेश सिंह दिनांक 27.11.2006 को 5:00 बजे शाम को न तो किसी को गाली दिए, न तो कोई एक होकर गोल बनाकर आए थे और न तो उनके पास हथियार थे। मैं लाठी, डंडा, कट्टा, कारतूस भी किसी के पास नहीं देखा, न तो इनका प्रयोग करते हुए किसी के ऊपर देखा और न ही सुना। अदालत द्वारा वारंट जब मुझे तलब किया गया तो पुलिस इलाका बाँसडीह रोड के माध्यम से आकर मैं साक्ष्य दे रहा हूँ। अभियुक्त विजय सिंह की उम्र आज लगभग 90 वर्ष है, काफी वृद्ध तथा बीमार रहते हैं, बिना किसी सहारे के विगत कई वर्षों से चल फिर नहीं पा रहे हैं। शेर गाँव के संतोष सिंह की हत्या हो गई थी जिससे संतोष सिंह की खेती बाड़ी की देखभाल करने वाला कोई नहीं था इसलिए उनके साले संजय व ससुर विजय सिंह व गाँव के राकेश सिंह ग्राम शेर में कभी–कभी आते थे, खेती की देखभाल करके चले जाते थे।"

30– प्रश्नगत मामले में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी PW–2 **बरमेश्वर यादव** ने दिनांक–24.03.2018 को अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया कि "नवंबर सन् 2006 प्रधानी का चुनाव हो रहा था। उसी में प्रत्याशी लोग अपना–अपना चुनावी प्रचार कर रहे थे। घटना दिनांक–27.11.2006 को समय शाम के 5:00 बजे का था। अंधेरा हो गया था, प्रत्याशियों का जुलूस उस समय निकला था। वहाँ पर गाँव के बहुत से व्यक्ति थे। गाँव के नाते मैं भी जुलूस में था। भीड़भाड़ के लोगों में से किसी व्यक्ति ने बंदूक से फायर कर दिया था जिससे विमला देवी व जयचंद घायल हो गए थे। मिथिलेश सिंह, भूपेंद्र सिंह उर्फ पप्पू, नीरज सिंह, अजय, हरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ गुप्पी, रिशु सिंह, पशुपति सिंह, विनोद, विजय, राकेश सिंह व संजय इन व्यक्तियों के हाथ में मैंने कोई असलहा नहीं देखा था और न ही इन लोगों द्वारा फायर करते हुए देखा था।" इस स्तर पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित कर अभियोजन को जिरह की अनुमति दी गयी।

30.1– अभियोजन की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (दां०) द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी को इसका बयान अन्तर्गत धारा– 161 Cr.P.C. पढ़ कर सुनाया गया तो इंकार किया। "दरोगा जी ने मेरा बयान नहीं लिया था। मैंने दरोगा जी को यह बयान नहीं दिया था कि *'मैं बाजार में सब्जी खरीदने जा रहा था कि जवाहर गोड़ व उनकी माँ विमला देवी का चुनावी जुलूस जा रहा था........'* **उत्तर–** 'नहीं, अशोक सिंह उस समय घटना में नहीं थे। ठाकुर होने तथा एक ही गाँव के होने के नाते इनका नाम दे दिए होंगे। इस घटना में नहीं थे।' वादी मुकदमा तथा उपरोक्त अभियुक्तगण मेरे ही गाँव के हैं लेकिन संजय, विजय व राकेश दूसरे गाँव के हैं। उपरोक्त मुल्जिमान से मुझसे किसी भी प्रकार से रंजिश नहीं है। न्यायालय से मुझे वारंट प्राप्त हुआ है जिससे

मैं जरिये अधिवक्ता हाजिर होकर बयान दे रहा हूँ। मुल्जिमानों ने मुझे डराया व धमकाया नहीं है। मैं सब्जी खरीद कर जुलूस में घूम रहा था।"

30.2– बचाव पक्ष की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने बयान किया कि "मेरे सामने मिथिलेश सिंह, भूपेंद्र सिंह उर्फ पप्पू, नीरज सिंह, अजय सिंह, हरेंद्र सिंह उर्फ गुप्ती, पशुपति सिंह, विनोद सिंह, रिशु सिंह, विजय सिंह, अरविंद सिंह व राकेश सिंह दिनांक 27.11.2006 को 5:00 बजे शाम को न तो किसी को गाली दिए थे और न तो एक राय होकर गोल बनाकर आए थे और न ही उनके पास लाठी, डंडा, कट्टा व बंदूक थी और न ही उपरोक्त लोग किसी के ऊपर कट्टा, बंदूक या लाठी का प्रयोग किए थे। दरोगा जी से मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई है। जब मेरे ऊपर अदालत द्वारा वारंट जारी हुआ और इलाका पुलिस द्वारा सूचना दिया गया तो मुझे मुझे पहली बार पता चला कि उपरोक्त मुकदमे में मुझे गवाह बनाया गया। राकेश सिंह, विजय सिंह व संजय सिंह ग्राम– परसिया, थाना– हल्दी, बलिया के रहने वाले हैं। संजय सिंह के बहनोई स्वर्गीय संतोष सिंह की हत्या हो जाने की वजह से उनकी खेती बाड़ी कराने के लिए संजय सिंह, राकेश सिंह व विजय सिंह कभी–कभी गाँव शेर में आते थे। विजय सिंह की उम्र आज करीब 90 वर्ष की है वह काफी वृद्ध हैं और बिना किसी सहारे के चल फिर नहीं सकते हैं।

31– प्रश्नगत मामले में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी PW–3 **सुनील कुमार** ने दिनांक– 24.03.2022 को अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया कि "मुझे घटना का दिन तारीख व महीना याद है। घटना दिनांक– 27.11.2006 समय 5:00 बजे शाम की है, घटनास्थल बड़की शेरिया बाजार की है। हम लोग सपरिवार माता–पिता, भाई सभी प्रचार के लिए गाँव में जा रहा थे, गाँव में ही प्राइमरी पाठशाला जहाँ पर बाजार लगी थी उसी के पास घात लगाकर मिथिलेश सिंह, भूपेंद्र सिंह उर्फ पप्पू सिंह, नीरज सिंह उर्फ झंझट सिंह, अशोक सिंह, अजय सिंह, हरेंद्र प्रताप सिंह, पशुपति सिंह, विनोद सिंह और रिशु सिंह व संजय सिंह निवासीगण– परसिया, थाना– हल्दी, विजय सिंह व राकेश सिंह निवासीगण– परसिया आदि लोग लाइसेंसी बंदूक से मेरे ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर किया। उपरोक्त में से कुछ लोगों ने अवैध असलहे से भी फायर किया जिससे मेरी माता के बाएँ हाथ में गोली लगी थी और मुझे या मेरे पिता व भाई को कोई गोली नहीं लगी थी। घटना के समय बाजार लगी थी जिसमें मेरे गाँव के व अगल–बगल के गाँव के दुकानदार व ग्राहक आए हुए थे। घटना के समय बाजार में आए हुए गाँव के व आसपास के गाँव के तमाम लोग महिला, पुरुष व बच्चे इकट्ठा हो गए थे, इन सभी लोगों ने घटना को देखा था। घटना के बाद हम लोग घायल अपनी माता को लेकर रोड पर गए और वहाँ से टेंपो लेकर सरकारी अस्पताल सोनवानी लेकर गए। वहाँ पर मेरी माता की डॉक्टरी हुई और डॉक्टर ने मेरी माता को बलिया अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। तब हम लोग जीप से सरकारी अस्पताल सोनवानी से लेकर

जिला अस्पताल बलिया लेकर आए जहाँ पर डॉक्टर ने मेरी माँ का इलाज व डाक्टरी परीक्षण किया और मेरी माँ को भर्ती कर लिया। उसके बाद मेरे भाई जयचंद को चोट लगा था, उसको मुल्जिमान लाठी घूँसा व फैट से मारे थे। इनका भी डाक्टरी परीक्षण जिला अस्पताल बलिया में कराया था। उसके बाद मैं अपने से टाइप करा कर लिखित तहरीर थाना बाँसडीह रोड पर दिया था लेकिन मेरी रिपोर्ट दरोगा जी ने नहीं लिखी। तब उसके बाद घटना की रिपोर्ट करने एस.पी. साहब के पास गया, वहाँ भी प्रार्थना पत्र दिया। वहाँ भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। तब अपने वकील के माध्यम से न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया व न्यायालय के आदेश से घटना की एफ.आई.आर. थाने पर दर्ज हुई थी। पत्रावली में शामिल मिसिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 156(3) सी.आर.पी.सी. कागज सं0–5 क लगायत 5 क/5 को देखकर गवाह ने कहा कि यह वही प्रार्थना पत्र है जिससे मैं अपने वकील के माध्यम से अपना हस्ताक्षर करते हुए न्यायालय में दाखिल किया था। गवाह ने अपने हस्ताक्षर की पहचान किया जिस पर **प्रदर्श क–1** डाला गया। दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था।"

31.1– बचाव पक्ष की ओर से अभियुक्तगण पशुपति सिंह, भूपेन्द्र सिंह, नीरज सिंह, अजय सिंह, हरेन्द्र सिंह, रिशू सिंह के लिए की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने दिनांक–05.08.2023 को सशपथ बयान किया कि "मैं घटना के बावत थाना बांसडीह रोड में रिपोर्ट करने गया था। मैं दिनांक– 27.11.2006 को 05:00 बजे शाम को थाने में पहुँचा था तब मैं एस० पी० को दरखास्त दिया था। पत्रावली में न तो एस०पी० की दरखास्त है और न तो उसकी कॉपी है, और न ही रजिस्ट्री रसीद पत्रावली में संलग्न है। इसका मैं कोई वजह नहीं बता सकता हूँ। पत्रावली में यदि 156(3) दं०प्र०सं० के तहत अदालत में प्रस्तुत मूल प्रार्थना पत्र पत्रावली में नहीं हैं तो मैं इसकी वजह नहीं बता सकता। पत्रावली में अदालत द्वारा पारित 156(3) दं०प्र०सं० के तहत मूल आदेश यदि मूल पत्रावली में नहीं है तो मैं इसकी वजह नहीं बता सकता। मुझे अभी याद नहीं कि घटना के कितने दिन बाद पुलिस अधीक्षक बलिया को प्रार्थना पत्र प्रेषित किया था। मैं पुलिस अधीक्षक को दिये गये प्रार्थना पत्र में यह लिखा था कि घटना के वक्त मेरी माँ विमला देवी व भाई जयचंद को भी चोट लगी थी और उसी आधार पर मैं 156(3) दं०प्र०सं० के प्रार्थना पत्र में भी लिखवाया था कि मेरी माँ विमला देवी को व जयचंद को भी चोट लगी थी। गवाह को कागज सं0 5 क/4 व 5 क/5 प्रदर्श–क 1 को दिखाकर व पढ़वाकर पूछा गया कि इस प्रार्थना पत्र में माँ विमला देवी व जयचंद को भी चोटे आयी यदि यह नहीं लिखा है तो मैं वजह नहीं बता सकता। घटना के बावत अदालत में 156(3) दं०प्र०सं० के तहत मेरे द्वारा कब प्रार्थना पत्र दिया गया, मुझे याद नहीं। यह कहना सही है कि विजय सिंह व राकेश सिंह के आगे बाप का नाम नहीं लिखा है। प्रदर्श क 1 फोटोकॉपी पर मेरा मूल हस्ताक्षर नहीं है। जब मैं अदालत में 156(3) दं०प्र०सं० का प्रार्थना पत्र दिया था तो विमला देवी की चोटों का डॉक्टरी रिपोर्ट दिया था कि नहीं, मुझे याद नहीं। मैंने 156(3) दं०प्र०सं० के

प्रार्थना पत्र में यह लिखवाया था कि इस मुकदमे का क्रॉस केस सरकार बनाम जवाहर थाने पर दर्ज है। उसमें जवाहर वर्मा के अलावा रामानंद, मुन्नी लाल उर्फ सुशील, जयचंद, बिजेन्द्र व शिवकुमार मुल्जिम हैं। उसमें पशुपति सिंह पुत्र सुदामा सिंह, सूर्यबली सिंह पुत्र मनबहाल सिंह, विश्वनाथ सिंह पुत्र जगन्नाथ गवाह हैं। इस मुकदमे के मुल्जिम पप्पू सिंह सरकार बनाम जवाहर क्रास केस के गवाह सूर्यबली सिंह के लड़के हैं और इस मुकदमे के अभियुक्त नीरज सिंह उर्फ झंझट क्रास केस के व सरकार बनाम जवाहर सिंह के गवाह विश्वनाथ सिंह के लड़के हैं। क्रॉस केस सरकार बनाम जवाहर में पशुपति सिंह का बयान हो चुका है। यह बात लिखवाया था कि संजय, विजय व राकेश के छर्रे से मिथिलेश सिंह, पप्पू सिंह, सूर्यबली सिंह व रिशू सिंह को चोटे आयी थीं और किसी को मौके पर चोट आयी थी कि नहीं, मुझे याद नहीं है। मैं अपनी माँ विमला देवी व भाई जयचंद का घटना के बाद डॉक्टरी मुआयना कराने अस्पताल ले गया था। दोनों लोगों को सोनवानी सरकारी अस्पताल ले गये थे। डॉ० साहब चोटहिलों को अस्पताल ले जाने के बावत मेरा नाम लिखे होंगे। उसके बाद लिखा–पढी करने के बाद दोनों चोटहिलों को बलिया सदर अस्पताल रेफर कर दिया। घटनास्थल से हम लोग 5 बजे चलकर 7 बजे अस्पताल पहुँचे थे। सोनवानी एक घण्टा तक रुके थे। दोनों चोटहिलो को लेकर सदर अस्पताल बलिया 8.30 बजे पहुँचे थे। मेरी माता जी को अस्पताल में भर्ती कर लिया गया और जयचंद को डॉक्टरी मुआयना करके छोड़ दिया गया। भर्ती कराने के बावत मुझे कोई पर्ची मिला था कि नहीं, मुझे याद नहीं। जयचंद का डॉक्टरी मुआयना सदर अस्पताल बलिया में मुझे मिला होगा, लेकिन मुझे याद नहीं। वह डॉक्टरी मुआयना पत्रावली में लगी होगी। डॉक्टरी मुआयना जो मेरी माँ व भाई जयचंद का मुझे मिला था वह एफ.आई.आर. के साथ अपने वकील को दे दिया था। अगर पत्रावली में सदर अस्पताल बलिया में मेरी माँ विमला देवी व मेरे भाई जयचंद का डॉक्टरी मुआयना अगर पत्रावली में नहीं लगा हुआ है तो मैं इसकी वजह नहीं बता सकता।"

31.2– बचाव पक्ष की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने दिनांक–07.08.2023 को सशपथ बयान किया कि "मिथिलेश सिंह अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र के विरुद्ध में अदालत में कोई शपथ पत्र दाखिल किया था कि नहीं, मुझे जानकारी नहीं। मेरे भाई जयचंद को मुल्जिमान गोली मारे थे व लाठी–उण्डे से मारे थे। मेरे गाँव से बाँसडीह रोड कितने किलोमीटर है, मैं नहीं नापा हूँ इसलिए मैं अन्दाज से भी नहीं बता सकता हूँ। सोनवानी मेरे गाँव से छः किलोमीटर पूर्व की तरफ है और बाँसडीह रोड मेरे गाँव से पश्चिम की तरफ है। घटना के एक–डेढ़ माह बाद दरोगा जी घटना स्थल पर गये थे। उस समय मेरे दरवाजे पर मैं, मेरी माँ विमला देवी, भाई जयचंद व पूरा परिवार था। दरोगा जी मेरे अलावा और किसी का बयान नहीं लिये थे। मेरी माँ विमला देवी व भाई जयचंद ने भी मुझे कभी नहीं बताया कि विवेचना के दौरान दरोगा जी बयान लिये थे। जिस समय मेरी पहली–पहल निगाह मुल्जिमान पर पड़ी तब मैं उन लोगों से 5 किलोमीटर पश्चिम की तरफ था और

वहीं से मुल्जिमान मुझे निशाना बनाकर मुझे गोली मारे। मुझसे सटे दाहिने मेरी माँ विमला खड़ी थी और मेरे सामने दो कदम पर मेरा भाई जयचंद खड़ा था। निशाना लगाकर मारने के बाद भी मुझे और मेरे भाई को गोली नहीं लगी। घटना के बाद मौके पर पुलिस नहीं आयी थी। मैं किसी के जमानत पर अदालत में कोई बयानहल्फी नहीं दिया। मुझे यह याद नहीं है कि मिथिलेश सिंह के जमानत में मैं शपथ पत्र के जरिये यह कहा था कि घटना के बाद मौके पर पुलिस फोर्स आ गयी। मुझे यह मालूम नहीं कि क्रास केस में पशुपति सिंह व सूर्यबली सिंह अदालत में आकर क्या बयान दिये थे। यह बात मेरे परिवार के किसी सदस्य ने भी मुझे नहीं बताया। पशुपति सिंह व सूर्यबली सिंह क्रॉस केस सरकार बनाम जवाहर में क्या बयान दिये, मुझे यह भी नहीं मालूम। मुझे यह भी नहीं मालूम कि सरकार बनाम जवाहर के मुकदमे में सूर्यबली सिंह चोटहिल गवाह है। पप्पू सिंह सूर्यबली के लड़के हैं और रिशू सिंह पप्पू सिंह के भतीजे हैं और सूर्यबली सिंह के नाती है। मुझे यह भी नहीं मालूम कि सरकार बनाम जवाहर में विश्वनाथ सिंह चोटेल गवाह है। यह सही है कि नीरज उर्फ झंझट विश्वनाथ सिंह के लड़के हैं। मेरी माँ को जो गोली लगी थी वह कितनी लम्बी–चौड़ी थी मैं नहीं बता सकता हूँ।"

31.3– आगे इस साक्षी ने विनोद सिंह, संजय सिंह, विजय सिंह व राकेश सिंह के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में कहा कि "इस घटना वाले चुनाव से पहले गाँव के प्रधान सन्तोष सिंह पुत्र श्री राम सिंह थे। सन्तोष सिंह के खिलाफ मेरे पिताजी रामानंद चुनाव नहीं लड़े थे बल्कि मेरी माता विमला देवी लड़ी थी। उस चुनाव में मेरी माता विमला देवी चुनाव हार गयी थीं। यह मुझे मालूम नहीं है कि सन्तोष सिंह जब चुनाव जीत गये, उनकी हत्या हो गयी। सन्तोष सिंह की हत्या में मेरे पिता रामानंद का भी नाम था, उन्हें फँसाया गया था। यह मुझे मालूम नहीं है कि जिस समय इस मुकदमा से संबंधित घटना वाला चुनाव के समय सन्तोष सिंह की हत्या का मुकदमा चल रहा था कि नहीं। इस घटना से संबंधित चुनाव में मेरी माता विमला देवी के विरुद्ध स्व० सन्तोष सिंह की पत्नी चुनाव लड़ी थी उनका क्या नाम था, मुझे मालूम नहीं है। उनका नाम सीमा सिंह हो सकता है। बहुत समय हो जाने की वजह से मैं नहीं बता सकता कि सीमा सिंह मेरी माँ के विरुद्ध लड़ी थी। सन्तोष सिंह की पत्नी सीमा सिंह चुनाव जीती थी। मैं दरोगा जी को घटना स्थल दिखाया था। दरोगा जी को मैं घटनास्थल पर छर्रा, खोखा गिरा हुआ नहीं दिखाया था। जब गोली चलने लगी तब हम लोग हनुमान जी के मंदिर के बगल में मकान की आड़ में हो गये। मैं यह कभी ध्यान नहीं दिया कि हनुमान जी के मन्दिर या उसके बगल के मकान में कोई छर्रे का निशान था कि नहीं। मुझे यह जानकारी नहीं कि दरोगा जी किसी के पास से कट्टा व बन्दुक बरामद किये थे कि नहीं। सन्तोष सिंह की शादी परसिया हुयी थी, तीन लोग वहाँ रहते थे, तीन लोग को मैं पहचानता था। यह मुझे मालूम नहीं है कि जिस समय की घटना कही जा रही है उस समय विजय सिंह की उम्र लगभग 80 से 90 साल तक की रही होगी। घटना के पहले से ये लोग बड़की शेरिया में रहते थे और अभी भी

रह रहे हैं। आज भी रहने वाले में संजय सिंह, विजय सिंह व राकेश सिंह हैं। हमारे पास कोई कागजी सबूत नहीं है कि उपरोक्त लोग बड़की शेरिया में रह रहे हैं। यह मुझे मालूम नहीं है कि विजय सिंह की मृत्यु हो गयी है। मैं गाँव पर नहीं रहता हूँ। मैं घटना के पहले से ही पटना रहता हूँ, घटना के समय में छुट्टी पर आया था। घटना के दो साल पहले से मैं पटना में रहता हूँ, अभी मैं पटना रहता हूँ और केयरटेकर का काम करता हूँ। दरोगा जी मेरा बयान लिये थे। मेरा बयान घटना के लगभग डेढ़ से दो माह बाद लिये थे। दरोगा जी मेरा बयान घटना स्थल पर लिये थे। हम लोग दस–पन्द्रह आदमी वोट माँगने निकले थे जुलूस लेकर नहीं निकले थे। जुलूस में कितने आदमी थे, मुझे नहीं मालूम। मैंने दरोगा जी को बताया था कि हम लोग पश्चिम से पूर्व की तरफ वोट मांगने जा रहे थे। मैंने उपरोक्त बाते दरोगा जी को बताया था। अगर दरोगा जी नक्शा–नजरी में नहीं दर्शाये हैं तो मैं कारण नहीं बता सकता। मैं यह भी नहीं बता सकता हूँ कि दरोगा जी मेरे बताने पर भी हम लोग द्वारा लिये गये ओट वाले मकान व मन्दिर को क्यों नहीं नक्शा–नजरी में दर्शाये हैं। मैंने अपने बयान में बताया है कि 'विजय सिंह, राकेश सिंह निवासीगण– परसिया आदि लोग लाइसेंसी बन्दूक से मेरे ऊपर जान मारने की नियत से फायर किया।' मिथिलेश सिंह लाइसेंसी बन्दूक से फायर किया। अगर मेरे मुख्य परीक्षा में अस्पष्ट रूप से मिथिलेश द्वारा अपनी लाइसेंसी बन्दूक से फायर करने वाली बात नहीं लिखा है तो मैं कारण नहीं बता सकता। मेरे द्वारा मुख्य परीक्षा में जान से मारने की नियत शब्दों का जो प्रयोग किया गया वह न तो 161 के बयान में है और न ही प्रथम सूचना रिपोर्ट में लिखा गया है, इसका कारण मैं नहीं बता सकता। मैं अपनी मुख्य परीक्षा में विजय सिंह व राकेश सिंह के पिता का नाम नहीं लिखाया हूँ और न ही 161 में और न ही प्रथम सूचना रिपोर्ट में विजय सिंह व राकेश सिंह के पिता का नाम लिखवाया हूँ, इसका कारण मैं नहीं बता सकता। मेरे गाँव से थाना लगभग 10 किलोमीटर दूर है। घटना स्थल से हम लोग वहाँ से तुरन्त भागकर अस्पताल चले गये। अस्पताल मेरे गाँव से लगभग 6 किलोमीटर दूर है। मेरे गाँव से मेन रोड 100 गज की दूरी पर है वहाँ से हम लोग टैम्पू से सोनवानी अस्पताल गये थे। उस टैम्पू से हम लोग सदर अस्पताल बलिया नहीं गये थे। टैम्पू का नम्बर मुझे मालूम नहीं है।

31.4– आगे इस साक्षी ने अभियुक्त मिथिलेश सिंह के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में कहा कि "घटना के दिन हम लोग जुलूस नहीं निकाले थे। घटना के समय ग्राम पंचायत प्रधान के चुनाव में मेरी माता जी विमला देवी और सीमा सिंह चुनाव लड़ रहे थे। उस चुनाव में मेरे बड़े भाई जवाहर गोड़ भी ग्राम प्रधान चुनाव के प्रत्याशी थे। चुनाव से कितने दिन पहले यह घटना घटी थी मुझे ज्ञात नहीं है। घटना के दिन मैं व मेरे परिवार के लोग वोट मांगने के लिए गाँव में घूम रहे थे। हम लोग वोट माँगते हुए बाजार में पहुँचे थे और बाजार में ही यह घटना हो गयी। उस घटना के पूरब तरफ एक मुहल्ला है जिसमें लगभग सभी वर्ग के लोगों की आबादी है। घटना स्थल के पूरब मुहल्ले में पिण्टू सिंह, सुभाष वर्मा और पण्डित जी लोगों का मकान है। घटना स्थल से करीब 20

गज की दूरी पर पिण्टू सिंह का मकान व 30 गज की दूरी पर सुभाष वर्मा का घर है और उससे कुछ ही दूरी पर अन्य लोगों की मकाने है। घटनास्थल बाजार से 10 गज पूरब की तरफ है जिसके पश्चिम बाजार 10 गज की दूरी पर है। बाजार 10 से 5 गज चौडाई और लम्बाई 50 गज में लगती है। उस बाजार में बहुत लोगों की स्थायी दुकान है और कुछ लोग आते–जाते हैं। बाजार जहाँ लगती है उस एरिया के पश्चिम बहुत से लोगों की दुकाने हैं। घटनास्थल से उत्तर मिथिलेश सिंह का घर व दरवाजा है जिसके दक्षिण प्राइमरी पाठशाला है। घटनास्थल से उत्तर मिथिलेश सिंह का बैठका है जिसमें फाटक लगा हुआ है और उसके दक्षिण तरफ प्राइमरी स्कूल और उसके दक्षिण–पश्चिम उनकी रिहायशी मकान है। बाजार के दक्षिण तरफ प्राइमरी पाठशाला है फिर कहा कि विश्वनाथ सिंह का मकान है। विश्वनाथ के मकान से प्राइमरी स्कूल 30 गज की दूरी पर पूरब की तरफ है। उस घटना के समय मैं मिथिलेश सिंह के दरवाजे के 10 गज पश्चिम खड़े थे उस समय मेरे साथ मेरे माता–पिता, भाई और गाँव के दो–चार अन्य व्यक्ति थे। मिथिलेश सिंह के गेट से दक्षिण व प्राइमरी पाठशाला से उत्तर के बीच में सड़क है जो बाजार की तरफ जाता है। प्राइमरी स्कूल से सटे पश्चिम धोबी जात के लोगों के 10 से 20 मकाने हैं और उसके पश्चिम विश्वनाथ सिंह का मकान है। आस–पास के धोबी मुहल्ले के मकानों के लोग व आस–पास के मकानों के लोग अपने घर पर ही थे। हम लोग बाजार से पूरब तरफ वोट माँगकर जा रहे थे तो अभियुक्तगण हम लोगों पर हमला कर दिये। मिथिलेश सिंह अपनी एक नाली बन्दूक लिये थे, भूपेन्द्र सिंह दो नाली बन्दूक लिये थे। अजय सिंह दो नाली बन्दूक लिये थे, अशोक सिंह एक नाली बन्दूक लिये थे। हरेन्द्र सिंह, पशुपति सिंह, अरविन्द सिंह, विनोद सिंह, रिशू सिंह ये सब लोग अवैध हथियार कट्टा लिये थे और लाठी–डण्डे भी लिये थे। लाठी–डण्डा की चोट मेरे भाई जयचंद को बहुत सारी चोटे आयी थी। दस–बीस चोट लगी थी या ज्यादा लगी थी, यह ध्यान नहीं है। और किसी को लाठी–डण्डे की चोट नहीं लगी थी। मेरे भाई जयचंद को सभी अभियुक्तगण घेरकर एक साथ लाठी–डण्डा चला रहे थे जिसमें से किसकी–किसकी लाठी का चोट जयचंद को लगा, मैं नहीं बता सकता। यह लाठी–डण्डा से मुल्जिमान पाँच–दस मिनट मारे थे। जब जयचंद को चोट लगी उस समय मेरे परिवार के अन्य लोग वहीं पर थे लेकिन मेरे परिवार के अन्य किसी सदस्य को नहीं मारे थे। हम लोग अपने साथ लाठी–डण्डे, कट्टा वगै० नहीं लिये थे। जहाँ लाठी–डण्डे से मारपीट हो रही थी वहाँ मेरे परिवार के अलावा अन्य लोग भी थे उनमें से किसी का नाम मै नहीं बता सकता। उसके बाद जिन अभियुक्तगणों के पास बन्दूक व कट्टा होना बताया जा रहा है वे सभी लोग एक साथ अपने अपने हथियार से फायर किये, कितनी–कितनी फायर मुल्जिमान किये, मैं यह नहीं बता सकता। ये गोली चलाने वाले लोग मुझसे पाँच–सात गज पूरब मिथिलेश सिंह के बैठका के पास थे। बहुत सारे लोगों को चोटे लगी थी जिसमें मेरी माता जी को चोटे लगी थी। मेरी माँ मुझसे दो गज पश्चिम थी, मेरे पिता मेरे बगल में थे और मेरे भाई जवाहर भी मेरे बगल में ही खड़े थे। मेरे भाई जयचंद पश्चिम तरफ जवाहर के बगल में

खड़े थे। माता विमला के अलावा और किसी को चोट नहीं आयी थी। घटना स्थल पर हम लोग लगभग पाँच–दस मिनट रुके थे। मैं नहीं बता सकता कि उपरोक्त घटना के समय किन–किन मुल्जिमानों को चोटे लगी थी और किस हथियार की चोटे लगी थी, मैं नहीं बता सकता। अभियुक्त मिथिलेश सिंह के शरीर पर उस समय मैंने कोई चोट नहीं देखा था। मिथिलेश सिंह के भतीजे संजय सिंह को भी चोट लगी मैंने नहीं देखी। मणिशंकर के शरीर पर भी घटना के समय मैंने कोई चोट नहीं देखी व सूर्यबली सिंह के शरीर पर मैंने कोई चोट नहीं देखा था। उस दिन एक ही बार घटना हुई थी। **मेरी माता विमला देवी को गोली की चोट कहाँ लगी मैंने नहीं देखा।** मेरी माँ विमला देवी को कितनी गोली की चोटे लगी थी, मैंने नहीं देखा। प्रत्याशी सीमा सिंह के पति सन्तोष सिंह जो प्रधान थे उनकी हत्या हुयी थी जिसमें मेरे पिता व अन्य लोग अभियुक्त थे। सन्तोष सिंह की हत्या हो जाने की वजह से ग्राम प्रधान का पद रिक्त हो गया था जिसपर उप चुनाव हो रहा था जिसमें उनकी पत्नी सीमा प्रत्याशी थीं। घटनास्थल से घटना के बाद मेरे परिवार के दो–चार लोग सोनवानी अस्पताल गये थे। सोनवानी अस्पताल करीब 07 बजे पहुँचे थे। मैं अस्पताल अपने भाइयों को पहुँचाकर चला आया था। अस्पताल से आने के बाद मैं थाने पर गया था। **मैं थाना बांसडीह रोड पर 7.30 या 8.00 के करीब पहुँचा था।** थाने पर मैं 20 से 25 मिनट रुका था। थाने पर मैं अकेला गया था। थाने पर मैं जब तक रहा मेरा गाँव का कोई व्यक्ति दिखायी नहीं दिया। मैं इस घटना के संबंध में थाने पर तहरीर दिया था, तहरीर मैं बोलकर लिखवाया था, अपने वकील से बोलकर लिखवाया था। थाने पर हमारे वकील नहीं गये थे। थाने पर अपने वकील साहब से तहरीर लिखवाकर उसी दिन थाने पर दिया था। मैं वकील साहब के घर गया था और वहाँ से तहरीर लिखवाकर लाया था वकील साहब का घर बघौली में है जहाँ मैं उनसे तहरीर लिखवाने गया था। मैं वकील साहब से तहरीर लिखवाने कितने बजे गया था यह मुझे याद नहीं है। थाने जाने के पहले मैं वकील साहब के यहाँ गया था। क्या क्या बोलकर मैं तहरीर लिखवाया था यह भी मुझे ध्यान नहीं है। **थाने पर मैं यह तहरीर 07.00 बजे के करीब दिया था।** मेरे गाँव से वकील साहब का घर लगभग दस या ग्यारह किलोमीटर की दूरी पर है। वकील साहब के घर से थाना बांसडीह रोड तीन–चार किलोमीटर की दूरी पर है। वह तहरीर मैंने थानाध्यक्ष बांसडीह रोड को दिया था। वह तहरीर थानाध्यक्ष नहीं लिये और थाने से भगा दिये। थाने से लौटने के दूसरे दिन मैं एस.पी. बलिया के पास गया था। एस.पी. से मेरी मुलाकात हुई थी। एस.पी. साहब मेरी तहरीर लिये और उसके बाद मैं घर चला गया। एस.पी. साहब तहरीर लेने के बाद मुझसे कुछ नहीं कहे। घटना के दिन दरोगा जी के भगाने पर मैं घर चला गया। जब मैं थाने से घर गया उस समय मेरे भाई लोग घर पर मौजूद मिले। मैं अपने भाइयों से यह नहीं पूछा कि अस्पताल में क्या–क्या हुआ इसलिए मेरे भाई लोग मुझसे कुछ नहीं बताये। घटना के दूसरे दिन एस.पी. साबह के यहाँ आने के बाद मैं न्यायालय में आया था। मुकदमे का दरखास्त देने न्यायालय आया था और अपने वकील के माध्यम से दरखास्त दिया था। दरखास्त देने के एक महीने बाद

उसपर कार्यवाही हुयी। सोनवानी से बसुधरपाह गाँव करीब 4–5 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण की ओर है। बसुधरपाह गाँव में कोई पी.एच.सी. नहीं है। ग्राम सोनवानी में पी.एच.सी. है। न्यायालय में अपने वकील साहब से जो तहरीर दिलवाया उसके पहले इस मुकदमे की क्रॉस केस जो मिथिलेश सिंह मुकदमा अपराध सं०–101/2006, धारा–147, 148, 149,307 आई.पी.सी. का अंकित कराया था उस केस के बारे में मुझे जानकारी थी। इस केस के दर्ज होने के पश्चात मेरे भाई जवाहर थाने पर अकेले गये थे और वह वहीं गिरफ्तार हो गये थे और इस बात का जिक्र मैंने अपने दरखास्त में अपने वकील साहब से कराया है। जवाहर कि जमानत हाई कोर्ट से हुई थी। कितने दिन बाद हुयी थी, यह मुझे जानकारी नहीं है। न्यायालय में दरखास्त देने के लगभग एक माह बाद मेरा मुकदमा थाने पर अंकित हुआ था। मुकदमा दर्ज होने के एक–सवा माह बाद मेरे मुकदमे में चार्जशीट लगी थी। चार्जशीट किन–किन दफाओं में लगा था इसकी मुझे जानकारी नहीं है। उस घटना के बाद मिथिलेश सिंह व उनके परिवार के अन्य लोगों से मेरी कही मुलाकात नहीं हुई। विवेचक इस घटना के संबंध में घटनास्थल पर मुझे लेकर गये थे और वहीं पर मेरा बयान लिये थे। मैं अपने 161 में विवेचक को बताया था कि इस घटना में मेरे भाई जयचंद को लाठियों की चोट लगी थी तथा मेरी माता विमला देवी को गोली की चोट लगी थी, अन्य किसी को किसी हथियार से चोट नहीं लगी थी।"

31.5– बचाव पक्ष की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने दिनांक–08.08.2023 को सशपथ बयान किया कि "विवेचक इस मुकदमे में मेरा बयान घटना के एक–सवा महीने बाद लिया था। विवेचक से मैंने बताया था कि घटना बाजार में हुई है। मैंने विवेचक से अपने 161 के बयान में यह बात बतायी थी कि अभियुक्त हरेन्द्र सिंह, पशुपति सिंह, अरविन्द सिंह, विनोद सिंह, रिशू सिंह अपने हाथ में अवैध हथियार कट्टा व लाठी लिये थे और ये मुल्जिमान मेरे भाई जयचंद को लाठियों से घेरकर पाँच–दस मिनट तक मारे जिससे जयचंद को चोटे आयी थी। नीरज उर्फ झंझट सिंह जयचंद को लाठी से नहीं मारे, बल्कि बन्दूक लिये थे। अशोक सिंह, अजय सिंह, भूपेन्द्र सिंह व मिथिलेश सिंह बन्दूक लिये थे और एक साथ सभी लोग बन्दूक और कट्टे से फायर करने लगे। **मिथिलेश सिंह की बन्दूक से मेरी माता विमला देवी की बायी बाँह में गोली लगी।** यह बात मैंने अपनी तहरीर में लिखवाया था कि मेरी माता जी को मिथिलेश सिंह की बन्दूक से गोली लगी थी। काफी अधिक दिन होने के कारण मुझे याद नहीं है कि मैंने अपने 156(3) के प्रार्थना पत्र में यह बात लिखवाया था कि नहीं। मैंने यह बात विवेचक को बताया था। उपरोक्त सभी बातें विवेचक ने यदि मेरे बयान में नहीं लिखा हो तो मैं इसका कारण नहीं बता सकता। **मैंने विवेचक को यह बात बताया था कि अभियुक्त संजय सिंह, विजय सिंह, राकेश सिंह कट्टे से फायर किये जिससे अभियुक्त मिथिलेश सिंह, पप्पू सिंह, रिशू सिंह व बाजार में सब्जी बेच रही महिलाओं को तथा जुलूस में चल रही मेरी माँ विमला देवी व भाई जयचंद भी घायल हो गये।** **आज के पहले मैंने मिथिलेश सिंह के बन्दूक से**

माता जी के बाये बाँह में चोट लगी यह बात मैंने अपने एफ.आई.आर. में दर्शाया है। मैंने अपने जिरह के पेज 10 पर यह बयान दिया है कि "मेरी माता विमला देवी को गोली की चोट कहाँ लगी मैंने नहीं देखा, मेरी माँ विमला देवी को कितनी गोली की चोटे लगी थी मैंने नहीं देखा था।" मेरा यही बयान सही है मैं पहले भूल वश बोल दिया था।"

31.6– इस साक्षी ने दिनांक 09.08.2024 को अपनी पुनः मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया कि "पत्रावली में संलग्न कागज सं०–5क/3 लगायत 5क/5 जो 156(3) के आवेदन पत्र की छाया प्रति है जिसको साक्ष्य के समय मैंने साबित किया है उस समय मूल पत्रावली शामिल मिसिल नहीं थी, वह रिकॉर्ड रूम से तलब होकर पत्रावली में शामिल मिसिल है, गवाह ने देखकर बताया कि यह वही 156(3) प्रार्थना पत्र है जिसे मैंने न्यायालय में प्रस्तुत किया था जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं, तसदीक करता हूँ। इसी आवेदन पत्र की छाया प्रति साक्ष्य के समय पत्रावली में उपलब्ध थी, साबित किया है, जिस पर पहले से प्रदर्श क–1 डाला जा चुका है जो मूल से मिलान किया, जो सही है।"

31.7– बचाव पक्ष की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने दिनांक–14.08.2024 को सशपथ बयान किया कि "मैं प्राइवेट नौकरी पटना में करता हूँ। मैं टाटा इंडिगो एयरलाइन्स में केयर टेकर के पद पर कार्य करता हूँ। मैंने ही न्यायालय जे.एम., प्रथम, बलिया के यहाँ 156(3) दं0प्र0सं0 का प्रार्थनापत्र दिया था। जिस दिन मैंने जे.एम. प्रथम के यहाँ 156(3) दं0प्र0सं0 का मुकदमा दाखिल किया था उस दिन अपने घर के लोगों का मेडिकल रिपोर्ट दाखिल किया था। मुकदमे के दाखिले के दिन मैंने विमला देवी और जयचन्द का मेडिकल रिपोर्ट दाखिल किया था। गवाह को पत्रावली पर लगा फार्म सबूत जिसका का०सं०– 4क/1 है, दिखाया गया जो दिनांक 13.12.2006 को दाखिल है, देखकर गवाह ने बताया कि इस पर उसकी माता विमला देवी व उसके भाई जयचन्द का मेडिकल रिपोर्ट का जिक्र नहीं है। मुकदमे के दाखिले के समय मेरे पास मेडिकल रिपोर्ट मेरी माँ का और मेरे भाई का था। मैं मेडिकल रिपोर्ट अधिवक्ता को दिया था वे अपने हिसाब से लेट से दाखिल किये होंगे। मुझे नहीं जानकारी है कि कब–कब मेडिकल रिपोर्ट इस पत्रावली में दाखिल हुआ। मैंने अपनी माता जी विमला देवी व भाई जयचन्द का मेडिकल सोनवानी अस्पताल में बनवाया था। मैंने जो वकील साहब को मेडिकल दिया था वह सोनवानी अस्पताल का था फिर कहा कि सोनवानी पी.एच.सी. का था। गवाह से जब यह पुछा गया कि आप कि बसुधरपाह पी.एच.सी. गये थे तो गवाह ने कहा कि बसुधरपाह सोनवानी के अन्तर्गत आता है। बसुधरपाह पी.एच.सी अलग अस्पताल होगा मैं सोनवानी गया था और डाक्टर साहब ने जो मेडिकल मुझे दिया वहीं मैं लगाया। जो मेडिकल मैंने दाखिल किया है वह सोनवानी अस्पताल पर डाक्टर साहब ने बनाकर मुझे दिया था। मेरी माता जी का दो मेडिकल लगा है दोनों सही हैं। गवाह से का०सं० – 12 क जो सत्र परीक्षण सं०– 170/17 में लगा है, दिखाया गया तो उसने बताया कि यह मेडिकल

सही है तथा 156(3) की मूल पत्रावली जो शामिल मिसिल है, पर लगा उसकी माता विमला देवी का मेडिकल दिखाकर पूछा गया तो बताया कि ये भी सही है। जो मेडिकल का०सं०– 12 क लगा है वह डाक्टर साहब सोनवानी अस्पताल पर मुझे दिये थे वह मैं वकील साहब को दे दिया था जो पत्रावली में लगा हुआ है। पत्रावली सत्र परीक्षण सं०– 170/17 में जो का०सं०– 8 क लगा है वह मेरी माता विमला देवी का ओ.पी.डी. पर्चा है। वह ओ.पी.डी. दिनांक– 27.11.2006 को बना था। मुझे मालूम नहीं है कि यह पर्चा कितने बजे मैंने कटवाया था। पर्चे पर केन्द्र का नाम पी.एच.सी बसुधरपाह/सोनवानी जनपद बलिया लिखा है। जब गवाह से यह पूछा गया कि यह पर्चा आपने बसुधरपाह पी.एच.सी. पर कटवाया था तो गवाह ने कहा कि बसुधरपाह और सोनवानी दोनों एक ही है। डाक्टर साहब ने पर्चे पर क्या लिखा है यह मैं नहीं जानता हूँ, उन्होंने मुझे मेडिकल दिया और मैं मेडिकल लेकर बलिया वकील साहब के यहाँ आया। डाक्टर साहब मुझे नहीं बताये थे कि कार्डियोलोजिस्ट बलिया अस्पताल में दिखाईये तथा एक्स–रे सीने का कराइये या ई.सी.जी. करवाईये। घर के लोगों से बताये होंगे। यह मुझे नहीं मालूम है कि डाक्टर साहब ने मेरे घर के किस सदस्य से यह सम्पूर्ण बातें बताई थी। जब डाक्टर साहब मेडिकल बना रहे थे और मेरी माता जी का ईलाज कर रहे थे तो मैं वहीं पर मौजूद था। मैं ठीक ठाक सुन लेता हूँ लेकिन डाक्टर साहब की बात मैं नहीं सुना। मेरी माता जी की हालत मेडिकल कराते समय बहुत खराब थी। गवाह से जब यह पूछा गया कि जब उसकी माता की हालत इतनी खराब थी तो वह अपनी माता को लेकर क्यों जिला अस्पताल नहीं गया तो गवाह ने कहा कि क्यों का कोई जवाब नहीं होता है, घर के लोग लेकर गये थे। घर का कोई गार्जियन ही लेकर गया था। घर के गार्जियन जयप्रकाश लेकर गये थे। जयप्रकाश कहाँ लेकर गये थे यह मैं नहीं जानता। जयप्रकाश ने मेरी माता का जो ईलाज कराया वह भी मैं नहीं जानता। मिथिलेश सिंह की बन्दूक से जो गोली लगी थी उसी का ईलाज कराने गये थे। जयप्रकाश मेरी माता जी का बन्दूक से लगी गोली का क्या ईलाज कराये थे यह मैं नहीं जानता हूँ, यह जयप्रकाश बतायेंगे। जयप्रकाश मेरे सगे छोटे भाई हैं। मैंने कभी इस संबंध में आज तक कोई चर्चा नहीं किया कि मेरी माता जी का जो मिथिलेश सिंह की बन्दूक से गोली लगी थी क्या क्या और कहाँ–कहाँ ईलाज हुआ और कौन सी दवाईयाँ चलीं। मैंने एक मेडिकल जयचन्द का दाखिल किया है, जयचन्द घायल हुए थे। मैंने अपने 156(3) के प्रार्थनापत्र में यह लिखवाया था कि मेरी माता विमला देवी व मेरे भाई जयचन्द को चोटें लगी थी। **गवाह को 156(3) का प्रार्थनापत्र पढ़कर यह बताने को कहा गया कि कहाँ पर उसने अपनी माता विमला व भाई जयचन्द के चोट आने के संबंध में लिखा है तो गवाह ने पढ़कर बताया कि इसमें नहीं लिखा है। मैने 156(3) की पत्रावली डी.जी.पी. को दिनांक 28.11.2006 को जो पत्र दिया था उसकी कॉपी का०सं०– 7क/3 है जो पत्रावली में संलग्न है। डी.जी.पी. को दिये गये प्रार्थनापत्र को गवाह को दिखाया गया और कहा गया कि कहाँ पर उन्होंने इस प्रार्थनापत्र में अपनी माता तथा अपने भाई के चोटिल होने की बात लिखी है**

तो गवाह ने कहा कि इसमें नहीं लिखा है। गवाह को पुलिस अधीक्षक बलिया को प्रेषित प्रार्थनापत्र जो गवाह ने भेजा है जिस पर का०सं०– 5 क/1 अंकित है, को पढ़कर गवाह ने बताया कि इसमें भी मेरी माता जी व भाई के चोटिल होने का कोई उल्लेख नहीं है। जवाहर गोड़ मेरे बड़े भाई हैं। जवाहर गोड़ का जमानत प्रार्थनापत्र जो दिया गया है वह मैंने दाखिल नहीं किया था। मुझे याद नहीं है कि मैंने उसका शपथपत्र दिया था या नहीं। गवाह को जवाहर गोड़ की जमानत प्रार्थनापत्र सं०–966/06 सत्र न्यायाधीश बलिया के यहाँ की प्रमाणित प्रति को दिखाकर उसमें लगे शपथपत्र पर किये गये हस्ताक्षर के संबंध में पूछा गया तो गवाह ने कहा कि यह मेरा हस्ताक्षर है। मैं मौके पर था इसलिए मुझे घटना की उसी समय जानकारी हो गयी थी। इसकी सूचना मैं अपने घर दिया। थाने गया था। **मैं थाने में करीब 6.30 बजे शाम को गया था।** मैं थाने पर 27.11.2006 को गया था। मैंने थानाध्यक्ष बांसडीह रोड को प्रार्थनापत्र दिया था। ज्यादा दिन होने के कारण मुझे याद नहीं है कि मैंने जवाहर गोड़ के जमानतपत्र में थानाध्यक्ष बांसडीह रोड को दिये गये प्रार्थनापत्र की कॉपी लगाई थी या नहीं लगाई थी। जब गवाह को जवाहर गोड़ के जमानत प्रार्थनापत्र में दाखिल किये गये Annexure–3 को दिखाकर पुछा गया कि यह प्रार्थनापत्र थानाध्यक्ष बांसडीह रोड को आपने दिया था तो गवाह ने कहा कि यह वही प्रार्थनापत्र है जो मैंनें थानाध्यक्ष को दिया था। थानाध्यक्ष को जो मैंने प्रार्थनापत्र दिया है वह 28.11.2006 का है, ज्यादा दिन हो जाने के कारण मुझे याद नहीं है। गवाह को जवाहर गोड़ के जमानत प्रार्थनापत्र का Annexure–3 का प्रमाणित प्रति दिखाकर पढ़कर यह बताने को कहा गया कि उसमें उसने कहाँ अपनी माता और अपने भाई को चोटिल होने की बात लिखी है तो गवाह ने पढ़कर कहा कि इसमें नहीं लिखा है। इस प्रार्थनापत्र में मैंने यह लिखा है कि जवाहर गोड़ को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पर गवाह से जब पूछा गया कि यह प्रार्थनापत्र उसने जवाहर गोड़ की गिरफ्तारी के बाद दिया था तो गवाह ने कहा कि साथ गये थे तो गिरफ्तार कर लिये। **यह प्रार्थनापत्र लेकर मैं और मेरा भाई जवाहर गोड़ साथ में थाने पर गये थे।** थानाध्यक्ष बांसडीह रोड को दिया गया प्रार्थनापत्र मैंने 156(3) के प्रार्थनापत्र में दाखिल नहीं किया है, मैं इसका कारण नहीं बता सकता हूँ। जो मैंने 156(3) के प्रार्थनापत्र में फार्म सबूत जिसका कागज संख्या– 4क/1 दाखिला दिनांक 13.12.2006 है, में जिन 8 प्रपत्रों का जिक्र है, जिसे मैंने दाखिल किया है, वह सही है, वह कूटरचित नही है। जो फार्म सबूत जिसका पेपर संख्या 13 क/1 है, पर जो मेडिकल रिपोर्ट दाखिल की गयी है उसपर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वसुधरपाह लिखा है, दिखाकर गवाह से पूछा गया तो गवाह ने बताया कि वह सोनवानी गया था और यह मैंने फार्म सबूत पर नहीं लिखा है। जब गवाह से यह पूछा गया कि उसने अपने भाई जयचंद का मेडिकल रिपोर्ट दाखिले के समय नहीं दाखिल किया तो गवाह ने कहा कि जब डाक्टर साहब ने दिया तब मैंने दाखिल किया। मैं अपनी माता जी का मेडिकल 156(3) का निर्णय होने के बाद दिनांक–25.01.2007 को फार्म सबूत जिसका पेपर संख्या 15 क/1 है पर दर्ज कर दाखिल किया है

क्योंकि जब मुझे डाक्टर साहब से मिला तब मैंने न्यायालय में दाखिल किया। जब गवाह से यह पूछा गया कि जब उसने अपने भाई जवाहर गोड़ के जमानत प्रार्थना पत्र में कही भी इस बात का आधार या जिक्र नहीं किया है कि उसकी माँ या भाई को किसी प्रकार की चोट लगी थी या किसी ने उनके ऊपर गोली चलायी थी जिससे वे घायल हुये थे तो गवाह ने कहा कि बहुत दिन पहले की बात है जमानत आवेदन पत्र में क्या लिखा गया है मुझे याद नहीं है। इसका कारण पूछा गया कि वो पीड़ित है इसका जिक्र उन्होंने क्यों नही किया है तो गवाह ने कहा कि इसका कारण मैं नही बता सकता हूँ। बहुत दिन होने के कारण मुझे याद नहीं है। जो मेरी माता ने उच्चाधिकारियों को अपने हस्ताक्षर से पत्र भेजे थे जिसकी प्रति 156(3) के प्रार्थनापत्र में दाखिल किया हूँ, वह सही हैं। जब यह घटना घटी उसके एक सप्ताह पहले से ही मैं घर पर ही था। मैं दिनांक नहीं बता सकता कि किस दिनांक को मैं गाँव पर आया था। मैं पटना से गाँव पर आया था। हमलोगों का छुट्टी नहीं मिलता है हमलोग ऐसे ही सिक्यूरिटी चेंज होता है तो हमलोग चले आते है। मुझे वेतन मिलता है। मेरी पेस्लीप नहीं बनती है। हमको ऐसे ही वेतन मिल जाता है। हम ठेकेदार के माध्यम से कार्य करते है। मुझे ध्यान नहीं है कि घटना के समय मेरा ठेकेदार कौन था। मुझे वेतन ठेकेदार ही देते है। मुझे ठेकेदार 4,500/– महिने का वेतन देते थे। मेरी पत्नी और बच्चे मेरे साथ पटना में नहीं रहते है। वे घर पर रहते है।"

31.8– आगे इस साक्षी ने अभियुक्तगण पशुपति सिंह, पप्पू सिंह, रिशु सिंह, अजय सिंह और नीरज सिंह व हरेन्द्र सिंह के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में कहा कि "मुझे नहीं पता कि जब इस पत्रावली में सर्वप्रथम मुख्य परीक्षा अदालत में हुयी थी उस समय पत्रावली पर 156(3) की मूल पत्रावली नहीं थी। मुझे याद नहीं है कि मेरा बयान जिरह व मेरे भाई जयचंद व माँ विमला देवी के बयान जिरह के बाद में पुनः प्रार्थना पत्र देकर 156(3) की मूल पत्रावली को फिर से साबित करने हेतु तलब कराया गया। 156(3) का प्रार्थना पत्र मैं बोलकर टाईप कराया था। फिर उसको मैं पढ़ा तब उसपर मैं दस्तखत बनाया था। तब वह अदालत में दाखिल हुआ था। यह बात 156(3) की मूल पत्रावली में नहीं लिखा है कि मेरी माँ विमला देवी व भाई जयचंद को चोटें आयी थी। इसमें यह भी नहीं लिखा है कि मेरी माँ विमला देवी और भाई जयचंद को अभियुक्तगण पशुपति सिंह, पप्पू सिंह, नीरज सिंह, रिशु सिंह, हरेंद्र सिंह, अजय सिंह व अन्य द्वारा चोटें पहुँचायी है। 156(3) प्रार्थना पत्र के साथ जो मैं एस.पी. बलिया, डी.जी.पी. लखनऊ उत्तर प्रदेश, महामहीम राज्यपाल उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को प्रेषित प्रार्थना पत्र की प्रति प्रस्तुत किया हूँ उसमें भी यह नहीं लिखा है कि अभियुक्तगण पशुपति सिंह, पप्पू सिंह, नीरज सिंह, रिशु सिंह, हरेंद्र सिंह, अजय सिंह द्वारा मेरी माँ विमला देवी व भाई जयचंद को घटना के समय चोटे पहुँचायी गयी थी। घटना के एक सप्ताह बाद तक मैं गाँव पर ही था और मेरी माँ से और भाई से बातें होती रहती थी। घटना के लगभग 16 दिन बाद मैंने आदालत में 156(3) का प्रार्थना पत्र दिया था। उस दौरान

मैं घर पर ही था और अपने माँ और भाईयों के साथ था।"

31.9– बचाव पक्ष की ओर से अभियुक्तगण संजय सिंह, विनोद सिंह व राकेश सिंह के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने दिनांक–17.08.2024 को सशपथ बयान किया कि "मैं अपने 156(3) दं0 प्र0 सं0 के प्रार्थना पत्र में विजय सिंह, राकेश सिंह के पिता का नाम नहीं लिखवाया हूँ क्योंकि यह दूसरे गाँव के हैं। मैं दूसरे गाँव के होने की वजह से राकेश सिंह व विजय सिंह के पिता का नाम मालूम करने की कोशिश नहीं किया। **मैंने 156(3) दं0 प्र0 सं0 में संजय सिंह, विजय सिंह व राकेश सिंह द्वारा हम लोगों पर फायर कराना नहीं लिखा है। मैंने 156(3) दं0 प्र0 सं0 में जो लिखा है वह सही लिखा है।** यह बात सही है कि मैंने जो दरखास्त कागज सं0– 7 क/3 जो दिनांक 28.11.2006 को डी.जी.पी., लखनऊ उत्तर प्रदेश में दिया है उस आवेदन पत्र में यह नहीं लिखा है कि संजय सिंह, विजय सिंह, राकेश सिंह, पप्पू सिंह, सूर्यबली सिंह, रिंकू सिंह, अजय सिंह हम लोगों पर फायर नहीं किया है। यह बात भी सही है कि डी.जी.पी. पुलिस के यहाँ जो प्रार्थना पत्र दिया है उसमें विनोद सिंह का नाम ही नहीं दिया है, न लिखा है। **मैंने अपने प्रार्थना पत्र 156(3) दं0 प्र0 सं0 फौ0 मु0 0– 380/2006 कागत संख्या 6 क/1 में यह लिखा है कि उपरोक्त हमलावरों द्वारा बाहर से बुलाए गए संजय सिंह, विजय सिंह, राकेश सिंह, साकिन– परसिया थाना हल्दी के द्वारा चलाए गए गोली के छर्रे से दूसरे पक्ष के मिथिलेश सिंह, संजय सिंह, मणिशंकर सिंह तथा सूर्य बली सिंह तथा दो अज्ञात महिलाओं को चोटें आईं, यह सही है।** दो महिलाओं जिनको गोली लगी थी उनको मैं पहचानता नहीं हूँ, देख कर पहचान सकता हूँ। मैं उन दो महिलाओं को खोजने का प्रयास नहीं किया। मैं अपने काम पर चला गया। पत्रावली में दाखिल 5 क/1 जो सुनील कुमार गोड़ पुत्र रामानंद गोड़ द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया है उस पर मेरा हस्ताक्षर नहीं है, न ही दिनांक लिखा है। यह प्रार्थना पत्र खुद दिया था या रजिस्ट्री द्वारा दिया था, याद नहीं है। पुलिस अधीक्षक बलिया का मूल प्रार्थना पत्र जो दिया गया था, मूल कॉपी कहाँ है, मुझे नहीं पता है। मेरे द्वारा दिए गए पुलिस अधीक्षक व डी.जी.पी. को दिए गए प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। यह बात सही है कि घटना के दिन मिथिलेश सिंह द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र पर एफ.आई.आर. लिखा गया जिसमें मेरे भाई जवाहर वगैरह जो मेरे परिवार के लोगों पर ही दर्ज हुआ था। मैं थाना पर गया था, मैं दरखास्त दिया था लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। उस आवेदन पत्र की कोई प्रति मेरे पास नहीं है, न ही पत्रावली में है।"

32– प्रश्नगत मामले में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी PW–4 **मातादीन कनौजिया** ने दिनांक– 03.07.2024 को अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया कि "इस मुकदमे में गवाह की सूची में छठी नंबर पर मेरा नाम है। उ०प्र० राज्य बनाम मिथिलेश व उ०प्र० राज्य बनाम संजय सिंह जो दोनों फाइलें एक ही मुकदमा अपराध संख्या के 101A/2006 हैं, धारा– 147, 148,

307, 324 आई.पी.सी., थाना– बाँसडीह रोड है। टोटल इस केस में गवाह आठ हैं तथा केस में मेरे अलावा एक अन्य विवेचक और हैं। विवेचक विनीत मोहन पाठक द्वारा नक्शा नजरी, आरोप पत्र व केस डायरी में बयान गवाहान का बयान लिया गया था। मेरे द्वारा इस मुकदमे में कुछ नहीं किया गया है। गवाहान के सूची में छठे नंबर पर नाम होने के कारण आज मैं न्यायालय में हाजिर अदालत आया हूँ और न्यायालय में अपनी बात बता रहा हूँ, यही मेरा बयान है।"

33– प्रश्नगत मामले में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी PW–5 **निरीक्षक विनीत मोहन पाठक** ने दिनांक– 05.10.2024 को अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया कि "दिनांक 07.05.2008 को मैं थानाध्यक्ष बाँसडीह रोड के पद पर कार्यरत था। मुकदमा अपराध सं०–101A/2006, धारा– 147, 148, 324 भारतीय दंड संहिता की विवेचना मेरे द्वारा ग्रहण की गई। उक्त मुकदमे की विवेचना ग्रहण किया गया था। दिनांक 07.05.2008 को पर्चा नं०–3 मुझ विवेचक द्वारा किता किया गया था जिसमें पूर्व विवेचक द्वारा किता किए गए पर्चों का अवलोकन किया गया था तथा बयान चश्मदीद राजनारायण गोड़ व सुदामा पासवान का मजीद बयान मुझ विवेचक द्वारा अंकित किया गया था। मजरूबा विमला देवी के डॉक्टरी परीक्षण की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया था व दिनांक 07.05.2008 को ही अभियुक्तगण कुल 12 नफर के विरुद्ध आरोप पत्र सं०–50A/2007, अंतर्गत धारा– 147,148,324,307 आई.पी.सी. व मुकदमा अपराध सं०–101/2006 दिनांक– 07.05.2008 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया जिस पर मेरा हस्ताक्षर है। पत्रावली में संलग्न कागज सं०–3क जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया गया है जिसे मैं पहचान करता हूँ जिस पर **प्रदर्श क–2** डाला गया।"

33.1– बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता श्री भुवाल सिंह की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने बयान किया कि "मैं धारा– 147, 148, 324, आई.पी.सी. में विवेचना ग्रहण किया व आरोप पत्र प्रस्तुत किया लेकिन बाँसडीह सी.ओ. द्वारा मुझे आरोप पत्र में 307 की बढ़ोतरी करने व अभियुक्त विजय सिंह वगैरह, राजेश सिंह के पिता का नाम अंकित करने हेतु लिखित रूप में आदेशित व निर्देशित करने का आदेश मिला तब मैं आरोप पत्र के नीचे 324 के नीचे ऑब्लिक(/) करके 307 भा०दं०सं० की बढ़ोतरी किया। मुझे विवेचना के दौरान आघात आख्या तैयार करने वाले किसी भी डॉक्टर से मुलाकात नहीं हुई इसलिए मैं किसी डॉक्टर का न तो बयान लिया, न आघात आख्या के बावत कोई राय ही लिया था। मैंने आरोप पत्र में भी न तो किसी डॉक्टर को गवाह के रूप में नाम अंकित किया है, न तो किसी चोटहिल को गवाह के रूप में अंकित करके गवाह बनाया गया है। आघात आख्या किन–किन डॉक्टरों द्वारा तैयार किया गया था, मैं यह भी नहीं बता सकता। मैं डॉक्टर के बयान व राय लिए बिना ही केवल सी.ओ. साहब के आदेश व निर्देश पर 307

आई.पी.सी. में आरोप पत्र प्रेषित किया। मैं 156(3) दं०प्र०सं० के प्रार्थना पत्र जो अदालत द्वारा विवेचना हेतु प्रेषित की गई उसका अवलोकन किया। 156(3) प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने से भी स्पष्ट है कि कहीं भी विमला देवी, जयचंद को 156(3) में बनाए गए मुलजिमानों द्वारा घायल करना नहीं लिखा गया है। मैंने चिक एफ.आई.आर. का अवलोकन किया, उसमें भी अभियुक्तगुण मिथिलेश, भूपेंद्र, नीरज, अशोक सिंह, हरेंद्र, रिशु सिंह, पशुपति सिंह, अरविंद सिंह, विनोद, संजय सिंह, विजय सिंह द्वारा जयचंद व विमला को चोटें पहुँचाना नहीं अंकित है।"

33.2– आगे इस साक्षी ने बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश सिंह द्वारा की गयी प्रति परीक्षा में बयान किया कि "मैं राज नारायण गोड़ व सुदामा पासवान का साक्ष्य लिया था। इन दोनों ने अपने साक्ष्य में आरोप पत्र में दिए गए किसी मुल्जिमान का नाम नहीं बताया। मैंने किन उपरोक्त लोगों से प्रश्न पूछा है उस प्रश्न में आरोप दाखिल किसी अभियुक्त के बारे में नहीं पूछा है।"

33.3– आगे इस साक्षी ने अभियुक्त मिथिलेश सिंह के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी प्रति परीक्षा में बयान किया कि "थाना बाँसडीह रोड में मैं 2007 में था। समयावधि याद नहीं है। लगभग 4 माह रहा। मुझे इस मुकदमे की विवेचना जब मिली तब इसकी जानकारी हुई। उसके पहले इस घटना के बारे में कोई जानकारी थी या नहीं, याद नहीं है। इस घटना के क्रॉस केस के बारे में भी कोई जानकारी थी या नहीं, याद नहीं है। इस घटना की विवेचना के बारे में लगभग तीन–चार बार शेर गाँव में गए थे। जो तीन–चार बार मैं घटनास्थल पर गया था उस दौरान केवल राजनारायण गोड़ व सुदामा पासवान का ही बयान लिया था, अन्य किसी का नहीं लिया था। अन्य कोई गवाह इस मुकदमे में जो दो बयान अंकित किया था, इसके अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति ने घटना के संबंध में कोई बयान देने की चेष्टा नहीं किया। घटनास्थल पर नक्शा नजरी मेरे द्वारा नहीं बनाया गया है। घटनास्थल मैंने देखा था। इस पत्रावली में जो नक्शा नजरी बनाया गया है, उसे मैंने देखा था। वह नक्शा नजरी मेरे पूर्व विवेचक द्वारा बनाया गया था, उनका नाम मुझे याद नहीं है। उस समय थाना प्रभारी बाँसडीह रोड का घटना के समय कौन था, यह याद नहीं है। मेरे द्वारा की गई विवेचना में उस गाँव के या किसी भी साक्षीगण द्वारा इस घटना को घटित होने का समर्थन नहीं किया गया है। मेरे द्वारा जो भी साक्ष्य संकलित किया गया था उसके आलोक में मैंने धारा 307 भा०दं०सं० का अपराध गठित होना नहीं पाया गया था। परन्तु क्षेत्राधिकारी बाँसडीह द्वारा निर्देशित करने पर धारा–307 आई.पी.सी. की बढ़ोतरी कर आरोप पत्र प्रेषित किया था। धारा– 307 आई.पी.सी. की बढ़ोत्तरी के विषय में किसी भी साक्षी का मैंने बाद में बयान अंकित नहीं किया था।"

34– प्रश्नगत मामले में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी PW–6 **रमेश चन्द्र मिश्र** ने दिनांक– 25.11.2024 को अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया कि "दिनांक 19.01.2007

को पर्चा नं०–1 जिसके अवलोकन में नकल चिक, नकल रपट, नकल इंजरी रिपोर्ट का कायमी किता किया। दिनांक– 18.02.2007 को पर्चा नं०–2 जिसके अवलोकन में बयान वादी सुनील कुमार गोड़ व निरीक्षण घटनास्थल, बयान गवाह एफ.आई.आर. बरमेश्वर यादव, बयान गवाह एफ.आई.आर. तूफानी बिन्द, नकल इंतखाब हाई कोर्ट, तहरीर तथा बयान गवाह साधु बिन्द तथा नकल इंतखाब स्थगन आदेश माननीय उच्च न्यायालय रिट सं०–Misc. Appeal No. 1475 of 2007 दिनांक 03.02.2007 को हुआ था। उसके बाद मेरा स्थानान्तरण हो गया। पत्रावली में संलग्न कागज सं०– 4 क जो नक्शा नजरी है, मेरे लेख व हस्ताक्षर में तैयार की गई थी, जिस लेख व हस्ताक्षर को मैं पहचानता हूँ जिस पर **प्रदर्श क–3** डाला गया।"

34.1– इस साक्षी ने बचाव पक्ष की ओर से अभियुक्तगण पशुपति सिंह, हरेन्द्र सिंह, भूपेन्द्र सिंह उर्फ पप्पू, रिशू सिंह, नीरज उर्फ झंझट के विद्वान अधिवक्ता श्री भुवाल सिंह द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में बयान किया कि "कागज सं०–4 क नक्शा नजरी जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, व मेरे द्वारा तैयार किया गया है, उसमें घटनास्थल मथुरा सिंह के बैठका के सामने का है, न कि शेर में लगने वाले बाजार का है। शेर बाजार घटनास्थल से पश्चिम तरफ है जो लगभग 100 मीटर की दूरी पर है। चिक एफ.आई.आर. अदालत द्वारा 156(3) में पारित आदेश के आधार पर लिखा गया था। 156(3) में हुए आदेश के साथ 156(3) के प्रार्थना पत्र की जो प्रति अदालत द्वारा थाने पर प्रेषित की गई थी, उसमें मिथिलेश सिंह, भूपेंद्र सिंह उर्फ पप्पू सिंह, नीरज सिंह उर्फ झंझट, अशोक सिंह, अजय सिंह, हरेंद्र सिंह, रिशु सिंह, पशुपति सिंह, अरविंद सिंह, विनोद सिंह द्वारा विमला देवी व जयचंद को चोटे पहुँचाने का कोई तस्किरा नहीं था। चिक एफ.आई.आर. में भी उपरोक्त मुल्जिमानों द्वारा विमला देवी व जयचंद को चोट पहुँचाने का नहीं है। 156(3) के आदेश में भी उपरोक्त मुल्जिमान का विमला देवी व जयचंद को चोट पहुँचाने का नहीं था विवेचना के दौरान मुझे विमला देवी का आघात आख्या 156(3) के प्रार्थना पत्र के साथ नहीं मिला था। 156(3) के आदेश में भी विमला देवी के आघात आख्या का तस्किरा नहीं था। जयचंद की भी मूल आघात आख्या देखने को नहीं मिला था, छाया प्रति देखने को मिला था।"

34.2– आगे इस साक्षी ने बचाव पक्ष की ओर से अभियुक्त मिथिलेश सिंह के विद्वान अधिवक्तागण श्री केदार नाथ पाण्डेय व सुभाष चंद श्रीवास्तव द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में बयान किया कि "बांसडीह रोड थाने पर मैं 2006 से फरवरी 2007 तक कार्यरत रहा हूँ। इस मुकदमे में पर्चा नं०–1 लगायत पर्चा नं०–3 मेरे द्वारा किता किया गया है जिसमें बयान वादी सुनील कुमार गोड़, निरीक्षण घटनास्थल, बरमेश्वर व तूफानी का बयान मेरे द्वारा किता किया गया है। पर्चा नं०–2 में मैं निरीक्षण घटनास्थल किया था। नक्शा नजरी पर्चा नं०–2 में तैयार किया है। इस मुकदमे की जानकारी न्यायालय के आदेश 156(3) सी.आर.पी.सी. के प्राप्त होने के बाद हुई थी। मेरी

जानकारी में वादी मुकदमा सुनील कुमार गोड़ या उनके परिवार द्वारा इस घटना के संबंध में कोई दरखास्त मुकदमा दर्ज करने के बावत मेरे संज्ञान में नहीं दिया गया था। यदि सुनील कुमार गोड़ द्वारा थाना बाँसडीह रोड पर इस घटना के संबंध में कोई दरखास्त देना कहा जा रहा है तो मुझे इसके बावत कोई जानकारी नहीं है। न्यायालय से 156(3) सी.आर.पी.सी. के प्रार्थना पत्र दिए जाने पर न्यायालय द्वारा थाना बाँसडीह रोड से आख्या माँगा गया था और वह आख्या मैंने दिया है। मेरे द्वारा प्रेषित आख्या कागज सं०– 12क/1 जो पत्रावली में संलग्न मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। उक्त रिपोर्ट प्रेषित की गई जिसमें मैंने यह लिखा है कि आवेदक सुनील कुमार गोड़ पुत्र रामानंद गोड़, साकिन– शेर द्वारा थाना हाजा पर कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया है और न ही आवेदक द्वारा कोई अभियोग मिथिलेश सिंह आदि के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया है। यह रिपोर्ट मैं दिनांक 18.12.2006 को दिया है। दिनांक 27.11.2006 को 5:00 बजे शाम की घटना के बावत मिथिलेश सिंह द्वारा अंकित कराई गई रिपोर्ट(एफ.आई.आर.) में जवाहर गोड़ पुत्र रामानन्द गोड़, रामानंद पुत्र हरिहर, मुन्नीलाल उर्फ मुनील पुत्र रामानंद, जयचंद पुत्र रामानंद, विजेंद्र पुत्र रामानंद, विजेंद्र वर्मा पुत्र रमाशंकर वर्मा, शिवकुमार उर्फ फन्नी पुत्र परशुराम के विरुद्ध अपराध सं०– 101/2006, धारा– 147,148,149,307 आई.पी.सी. अंकित कराया गया है जिसके विवेचक तत्कालीन थाना प्रभारी सुरेश राय एस.आई. थे। उक्त मुकदमा के बारे में मैंने ही अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र दिनांक– 22.01.2007 को न्यायालय प्रेषित किया है। मुझे यह याद नहीं है कि थाना प्रभारी बाँसडीह रोड एस.आई. सुरेश राय का स्थानांतरण दिनांक– 28.11.2006 को रात को हो गया था। स्पष्ट रूप से याद नहीं है कि कब उनका ट्रांसफर हो गया था। उस मुकदमे की विवेचना मुझे मिली थी। दिनांक– 27.11.2006 को थाना प्रभारी बाँसडीह रोड सुरेश राय द्वारा उपरोक्त मुकदमा सरकार बनाम जवाहर गोड़ में जवाहर गोड़ की गिरफ्तारी की गई थी और उनके पास से घटना में प्रयुक्त बंदूक SBBL तथा गन नं०– BE 1931/2001, 12 बोर तथा 6 अदद जिंदा कारतूस मय लाइसेंस नं०–954 कब्जा पुलिस में लेकर फर्द बनाया गया था। दिनांक 27.12.2006 को मेरे द्वारा जरिये कांस्टेबल आशिक हुसैन के माध्यम से विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ भेजा गया था। उक्त कांस्टेबल आशिक हुसैन का बयान मेरे द्वारा अंकित कराया गया था। विधि विज्ञान प्रयोगशाला से रिपोर्ट मेरे रहते हुए नहीं मिली थी। चूँकि मेरा स्थानांतरण एक महीने बाद हो गया था इस वजह से मैंने विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ से उक्त बंदूक के जांच रिपोर्ट के बावत कोई पत्राचार विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ से नहीं किया था। सत्र परीक्षण सं०– 105/2007 सरकार बनाम जवाहर वगैरह, अपराध सं०– 101/2006, धारा– 147,148,149,307 की पत्रावली मेरे समक्ष है और उक्त पत्रावली में जब्त की गई बंदूक के बावत जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ भेजी गई थी उसकी परीक्षण रिपोर्ट पत्रावली में कागज सं०– 16क शामिल पत्रावली है और परीक्षण रिपोर्ट SBBL गन नं०– BE 1931/2001 की नाल में

फायरिंग के अवशेष नाइट्रेट व लेड की उपस्थिति पाई गई अंकित है। मैंने मिथिलेश सिंह के मुकदमे में विवेचना ग्रहण करने के उपरांत कथित चोटहिल जयचंद प्रसाद गोड़ का बयान अंकित नहीं किया है क्योंकि वह मेरे समक्ष साक्ष्य हेतु उपस्थित नहीं हुए थे। मैंने कथित चोटहिल जयचंद प्रसाद की आघात आख्या तैयार करने वाले प्रभारी चिकित्साधिकारी स्वास्थ्य केंद्र बसुधरपाह का भी बयान अंकित नहीं किया जा सका था क्योंकि मेरा स्थानांतरण अति शीघ्र हो गया था। मैंने अपने मुख्य परीक्षा में पर्चा नं०–1, 2 व 3 किता करना कहा है जबकि मैंने मात्र पर पर्चा नं०–1 व 2 किता किया है। पर्चा नं०–3 मेरे मुह से सहबन निकल गया है। पर्चा नं०–3 मैंने किता नहीं किया है। यह अभियोग धारा– 147, 148, 324 आई.पी.सी. के अंतर्गत अंकित किया गया था। मेरे द्वारा उक्त बाद में धारा– 307 की बढ़ोत्तरी नहीं की गई है। धारा– 307 की बढ़ोत्तरी कब की गई है, मुझे जानकारी नहीं है।"

34.3– आगे इस साक्षी ने बचाव पक्ष की ओर से अभियुक्तगण संजय सिंह, राकेश सिंह व विनोद सिंह के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश सिंह द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में बयान किया कि "मैं विवेचना के दौरान गाँव में गया था। मैं दो बार गाँव में गया था। मुझे इसकी जानकारी नहीं हुई थी कि जयचंद वगैरह संजय सिंह के बहनोई संतोष सिंह के हत्या में अभियुक्त थे या नहीं। मुझे अपने दौरान विवेचना विनोद सिंह, राकेश सिंह और संजय सिंह से किसी प्रकार की दुश्मनी के बावत कोई साक्ष्य नहीं मिला इसलिए मैंने अपने विवेचना में नहीं लिखा। मेरे नक्शा नजरी घटनास्थल पर कोई कारतूस, बंदूक नहीं मिला। मैंने अपने विवेचना के दौरान घटना में प्रयुक्त तथाकथित बंदूक के बारे में न तो खोजने की कोशिश की, न ही कुछ लिखा है।"

35– प्रश्नगत मामले में न्यायालय द्वारा प्रस्तुत साक्षी **C.W.–1** जयचन्द गोड़ ने दिनांक 11.06.2024 को अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया कि "मैं कक्षा दसवीं तक पास हूँ। घटना का दिनांक 27.11.2006 है। समय शाम 5:00 की है। मैं घटनास्थल पर था। मेरी माँ विमला देवी प्रधान पद की प्रत्याशी थीं। हम अपने माँ के साथ अन्य लोगों को लेकर प्रचार करके शेर बाजार में पहुँचे थे कि अचानक मिथिलेश सिंह, भूपेंद्र बहादुर सिंह उर्फ पप्पू सिंह, पशुपतिनाथ सिंह, रिशु सिंह, नीरज सिंह उर्फ झंझट सिंह, अजय सिंह, अशोक सिंह, विनोद सिंह, अरविंद सिंह, हरेंद्र प्रताप सिंह, संजय सिंह, विजय सिंह, राकेश सिंह एक राय होकर हम लोगों पर मिथिलेश सिंह अपने लाइसेंसी बंदूक से जान से मारने की नीयत से फायर कर दिए जिससे मेरी माता विमला देवी को गोली लगने से घायल हो गई और अन्य लोग हम लोगों पर नाजायज असलहे से जान से मारने की नीयत से फायर कर रहे थे। उपरोक्त लोग लाठी डंडे व ईंट पत्थर से मुझे व मेरी माँ तथा साथ रहे लोगों को मारे पीटे। भीड़ इकट्ठा देखकर उपरोक्त लोग भाग गए। मेरी माँ व मुझे लेकर मेरे घरवाले बसुधरपाह सोनवानी अस्पताल लेकर गए वहाँ पर मेरी माँ व मेरी चोटों का

दवा इलाज तथा मेडिकल हुआ। उपरोक्त लोग मुझे तथा मेरी माँ को जान से मार डालना चाहते थे। मुझे भी उपरोक्त लोगों द्वारा बुरी तरह से मारा पीटा गया था। घटना की रिपोर्ट थाने में मेरे भाई द्वारा किया गया था। दरोगा जी मुझसे पूछताछ किए थे।"

35.1– बचाव पक्ष की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने दिनांक 11.06.2024 को बयान किया कि "दरोगा जी मेरा बयान किस तिथि को लिए थे, मुझे याद नहीं है। घटना के कितने दिन बाद लिए थे, मुझे याद नहीं है। यह भी अंदाजा नहीं है कि दरोगा जी मेरा बयान किस दिन लिए थे। घटना के बाद मै थाने पर नहीं गया था। घटना के बाद भी मेरी माँ विमला देवी थाने पर नहीं गई थी। हम लोग घायल थे इसलिए थाने पर सूचना देने नहीं गए थे। थाने पर जो रिपोर्ट दर्ज हुआ था उसको मैंने देखा था। मेरा भाई जो रिपोर्ट लिखकर थाने पर ले गया मैं नहीं बता सकता क्योंकि जिस समय दरखास्त लिखा गया उस दिन मैं नहीं था मैं उस दिन दरखास्त लिखते समय नहीं था। मेरे भाई के रिपोर्ट लिखने के एक दिन बाद मेरी मुलाकात हुई थी। घटना की रिपोर्ट करने के बाद दूसरे दिन मेरे भाई से मुलाकात हुई थी। घटना के दिन दूसरे दिन कितने बजे मुलाकात हुई थी, नहीं बता सकता। सुबह, शाम व रात में कितने बजे मुलाकात हुई थी, यह भी नहीं बता सकता।"

35.2– बचाव पक्ष की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने दिनांक 12.06.2024 को बयान किया कि "घटना लगभग 5:00 बजे शाम में घटी थी। घटनास्थल पर घटना के बाद 10 मिनट तक रुके थे। इसके बाद मेरा भाई सुनील मुझे लेकर सोनवानी अस्पताल गया। घटनास्थल से सोनवानी अस्पताल की दूरी लगभग 8 किलोमीटर है। लगभग 5:30 बजे शाम को सोनवानी पहुँचे। वहाँ हम लोग लगभग 2 घण्टा रुके थे। दो घण्टा वहाँ रुकने के बाद जब मेरा और मेरी माँ विमला देवी का डॉक्टरी मुआइना हो गया तब हम सभी और कहीं नहीं गए, घर वापस लौट आए। मेरा और मेरी माँ का डॉक्टरी मुआइना जो सोनवानी अस्पताल में हुआ था, उसकी मूल प्रति कहाँ है, क्या हुआ, मुझे नहीं मालूम। मेरा भाई जब थाने में रिपोर्ट करके आया तो मुझे यह नहीं बताया था कि दरखास्त में किस मुल्जिम के हाथ में कौन सा हथियार था। मैं रिपोर्ट दर्ज होने के बाद दरोगा जी को बताया था व बयान दिया था कि मुल्जिम के हाथ में कौन सा हथियार था। रिपोर्ट में किस मुल्जिम के हाथ में लाठी था, मैं नहीं बता सकता। यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी इस बात का तस्किरा नहीं है कि मुल्जिम के हाथ में लाठी डंडा था तो इसकी वजह मैं नहीं बता सकता। यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट में मुल्जिमान द्वारा घूँसा व फैट से मारने वाली बात नहीं लिखी है तो इसकी वजह मैं नहीं बता सकता हूँ। यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह नहीं लिखा है कि सभी मुल्जिमान मुझे घेरकर लाठी डंडा से मारे थे तो इसकी वजह मैं नहीं बता सकता हूँ। यह कहना सही है कि सभी मुल्जिमान मुझे घेर कर लाठी डंडा से मारे। मुल्जिमान लगभग 12–13 की संख्या में थे। सभी लोग कैसे ताबड़तोड़

लाठी चलाएँगे, ये मैं कैसे बता सकता हूँ। मुझे नहीं मालूम कि मुझे कितनी लाठी लगी थी क्योंकि मैं भागते समय पीठ के बल गिर गया था और मेरे पीठ के चोट से खून बहने लगा तब मुल्जिमान ऊपर से मारना शुरू कर दिये। यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह बात नहीं लिखा है कि मुझे और मेरी माँ को भी घटनास्थल पर चोटें आईं तो इसकी वजह मैं नहीं बता सकता। इस मुकदमे में जिस मिथिलेश कुमार सिंह को मुल्जिम बनाया गया है उनके द्वारा थाना बाँसडीह रोड में घटना के दिन ही लगभग 6:40 बजे मेरे भाई जवाहर गोड़, पिता रामानंद, भाई मुन्नीलाल व मुझे व विजेंद्र वर्मा व शिवकुमार उर्फ फन्नी के विरुद्ध किस धारा में मुकदमा लिखवाये थे, मुझे मालूम नहीं है, उसमें मैं जेल गया था। मैं धारा 307 में जेल गया था इसका मतलब जिस दफा में एफ.आई.आर. हुआ था उसी दफा में जेल गया था। उसे मुकदमे में गवाह सूर्यबली सिंह, विश्वनाथ सिंह, पशुपतिनाथ सिंह हैं। इस मुकदमे के अभियुक्त भूपेंद्र सिंह बनाए गए हैं, वह सूर्यबली सिंह के लड़के हैं और नीरज सिंह उर्फ झंझट विश्वनाथ सिंह गवाह के लड़के हैं।"

35.3– आगे इस साक्षी ने बचाव पक्ष की ओर से अभियुक्तगण संजय, विनोद व राकेश के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में बयान किया कि "हम चार भाई हैं। बड़ा जवाहरलाल गोड़, उसके बाद सुनील गोड़ फिर मैं और उसके बाद मुनील उर्फ मुन्नीलाल है। जवाहर गाँव पर रहते हैं, खेती करते हैं। जवाहर के पास एक लाइसेंसी बंदूक है। यह मुझे जानकारी नहीं है कि इस मुकदमे के घटना के दिन ही हम लोगों के ऊपर भी मुकदमा हुआ है या नहीं। पुलिस आने पर हमें जानकारी हुआ कि मिथिलेश ने हम लोगों के ऊपर घटना दिनांक– 27.11.2006 समय 4:30 बजे शाम को थाना बाँसडीह रोड पर किया है जिसमें मैं जमानत करा लिया हूँ। हमलोग कोर्ट से मुकदमा किए थे, थाने पर दर्ज नहीं हुआ था। घटना के दो–तीन दिन बाद सुनील कुमार गोड़ ने कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया था। मैं और मेरी माता विमला देवी कभी भी थाने पर नहीं गए। मेरा और मेरी माता जी का डॉक्टरी एक ही साथ हुआ था। सोनवानी और बसुधरपाह एक ही पी.एच.सी. है, अलग–अलग नहीं है। वह पी.एच.सी. सोनवानी के नाम से जाना जाता है। मुझे यह जानकारी नहीं है कि मेरी माताजी विमला देवी का डॉक्टरी कितने देर बाद हुआ। संजय सिंह व राकेश सिंह का गाँव परसिया थाना हल्दी है। मैं संतोष सिंह को जानता हूँ जो पूर्व प्रधान थे जिनकी हत्या हो चुकी है जिसमें मेरे पिता रामानंद गोड़ अभियुक्त थे। संतोष सिंह जब जिंदा थे, मेरे पिता रामानंद के विरुद्ध चुनाव लड़े थे और संतोष सिंह जीते थे। संतोष सिंह की हत्या के बाद संतोष सिंह की पत्नी, संजय सिंह की बहन, मेरी माता विमला देवी के विरुद्ध चुनाव लड़ी थीं और जीत गई थीं। मेरी माता विमला देवी हार गई थी। मेरे शरीर पर खून गिरा था, गोली के चोट से खून गिरा था। मैं घटना के दिन ब्लू कलर का शर्ट पहना था। पुलिस हमसे शर्ट नहीं माँगी थी इसलिए पुलिस को नहीं दिया था। शर्ट में गोली का छेद था। मेरा एक्स–रे हुआ था। वह एक्स–रे मेरे पास अभी नहीं है। पुलिस मुझसे

एक बार पूछताछ की थीष मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि इस मुकदमे में कोई हथियार पुलिस बरामद की थी या नहीं। जिस समय की घटना है उस समय विजय सिंह की उम्र 50–55 वर्ष रही होगी। विजय सिंह परसिया के रहने वाले हैं। विजय सिंह, संजय सिंह, राकेश सिंह, संतोष सिंह के यहाँ आते जाते थे। रिश्तेदार थे इसलिए मैं उन्हें जानता पहचानता हूँ।"

35.4– आगे इस साक्षी ने बचाव पक्ष की ओर से अभियुक्त मिथिलेश सिंह के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में बयान किया कि "जिस समय घटना घटित हुई थी उस समय ग्राम पंचायत के चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी। ग्राम प्रधान के उपचुनाव में मेरी माता ग्राम प्रधान पद की प्रत्याशी थीं। घटना के समय दुधिपुर पूर्वा (टोला) से प्रचार करके बाजार होते हुए घर जा रहे थे। दुधिपुर बाजार से दक्षिण दिशा में है। उसी दिशा से होकर हम लोग शेर बाजार की तरफ आ रहे थे। बाजार में चौक में पहुँचे थे। चौक में जहाँ मैं मौजूद था उसके पूरब धोबी लोगों का घर है। मुझे धोबी लोगों में किसी का नाम नहीं पता है। उससे सटा हुआ मिथिलेश सिंह का मकान है। पश्चिम में सब दुकानें हैं। किन–किन लोगों की दुकानें हैं, मुझे मालूम नहीं है। उत्तर दिशा में जहाँ मैं मौजूद था उसके सटे मिथिलेश सिंह का हाता है। दक्षिण दिशा में सटे प्राइमरी पाठशाला है। यह सब क्षेत्र और स्थान ग्राम सभा शेर का ही है जहाँ से मेरी माता जी ग्राम सभा की प्रधान पद की प्रत्याशी थीं। मेरे साथ चुनाव प्रचार में मेरे भाई जवाहर लाल, पिता जी रामानंद गोड़, मेरा भाई सुनील गोड़ और गाँव के बहुत से लोग थे, मुझे नाम याद नहीं है। लगभग 20–30 की संख्या में चुनाव प्रचार में मेरे साथ लोग थे। मैंने जिन–जिन लोगों का नाम अपने परिवार के विषय में बताया है उसके अलावा परिवार का और कोई नहीं था। मिथिलेश सिंह के अलावा जिन–जिन लोगों का नाम मैंने मुख्य परीक्षा में बताया है वह लोग अलग–अलग परिवार के हैं। मुझे गोली की चोट आई थी। गोली की चोट बाएँ कन्धे पर पीछे की तरफ लगी थी। गोली मिथिलेश सिंह की बंदूक से चली थी जो मुझे लगी थी। जिस समय मुझे गोली लगी मैं घटनास्थल पर था जहाँ मैं गिर गया था। घटनास्थल मिथिलेश सिंह के हाते के दरवाजे से 10 कदम पश्चिम तरफ और बाजार से 10 कदम पूरब की ओर थी। मिथिलेश सिंह के हाते के दरवाजे से बाजार 10 कदम पश्चिम की दूरी पर स्थित है। मेरे अलावा मेरी माता जी विमला देवी को भी गोली लगी थी जो बाएँ हाथ में केहुनी के ऊपर लगी थी। मिथिलेश सिंह के बंदूक से ही मेरी माता जी को गोली लगी थी। दोनों आदमी मुझे और मेरी माता जी को एक ही साथ मिथिलेश सिंह के बंदूक से गोली लगी थी, अन्य किसी की गोली की चोट नहीं आई थी। अभियुक्तगण चारों तरफ से घेर कर हम लोगों पर निशाना बनाकर फायर कर रहे थे। कुल लगभग 12–13 लोग निशाना बनाकर गोली चला रहे थे। 12–13 लोग गोली नहीं चला रहे थे, उसमें पाँच छः लोग गोली चला रहे थे उनका नाम मिथिलेश सिंह, भूपेंद्र बहादुर सिंह, नीरज सिंह, पशुपतिनाथ सिंह, अजय सिंह, संजय सिंह, राकेश सिंह है। सिर्फ यही लोग गोली चला रहे थे। मिथिलेश सिंह

अपने एक नाली बंदूक से गोली चला रहे थे। भूपेंद्र सिंह अपने पिता के लाइसेंसी बंदूक से दो नाली से गोली चल रहे थे। अजय सिंह अपने भाई के लाइसेंसी दो नाली बंदूक से गोली चला रहे थे। पशुपति सिंह कट्टा से गोली चला रहे थे। कट्टा कितने बोर का था, मुझे मालूम नहीं है। संजय और राकेश कट्टा से गोली चला रहे थे। दोनों कितने बोर के कट्टे से फायर कर रहे थे, मैं नहीं बता सकता। मिथिलेश सिंह मुझे और मेरी माँ को लक्ष्य बनाकर गोली चलाए थे। मिथिलेश सिंह एक बार गोली चलाए थे। भूपेंद्र सिंह अपने दो नाली बंदूक से कितनी गोली चलाए, मुझे नहीं पता। भूपेंद्र सिंह उसी दिशा में गोली मार रहे थे, किसको लक्ष्य बनाकर मार रहे थे मुझे नहीं पता है। भूपेंद्र सिंह कितनी बार गोली चलाए यह मैं नहीं बता सकता। अजय सिंह अपने दो नाली बंदूक से गोली चला रहे थे। किसे लक्ष्य लिए थे मुझे नहीं पता है। संजय सिंह गोली चला रहे थे, गोली किसको लगी, मुझे नहीं मालूम। राकेश सिंह जिस कट्टे से हम लोगों को लक्ष्य लगाकर गोली चला रहे थे, वही मिथिलेश सिंह को लगी। जिस समय यह छः लोग गोली चला रहे थे उस समय हम लोग उनसे 10 कदम की दूरी पर थे। हम लोगों में केवल दो लोगों को ही गोलियाँ लगीं। गोली लगने के बाद हम लोग गिर गए और जैसे–तैसे भाग कर अपनी जान बचाए। जान बचाने के लिए हम अपने घर की तरफ भागे। घटनास्थल से मेरा घर पूरब दिशा में है। घटनास्थल पर जहाँ मुझे गोली लगी थी वहाँ से 200 मीटर दूर मेरा घर है। गिरते हुए उठते हुए वहाँ से घर नहीं पहुँचे, बीच में ही गाड़ी मँगवा कर अस्पताल गए। अस्पताल मैं, मेरा भाई सुनील, मेरी माता जी और पूर्वे के दो चार लोग सोनवानी वसुधरपाह हॉस्पिटल गए। अस्पताल हम सभी लोग टेंपो से गए थे। टेंपो में मैं, मेरी माता जी और मेरा भाई सुनील बैठा था और दो चार पांच लोग जिनका नाम मुझे मालूम नहीं है। वसुधरपाह के नाम से ही सोनवानी पी.एच.सी. था। मेडिकल कराने सोनवानी अस्पताल के अलावा हम लोग कहीं और नहीं गए थे, सीधा घर आ गए थे। सोनवानी सी.एच.सी. और वसुधरपाह पी.एच.सी. की दूरी 3 से 4 किलोमीटर है। वह पहले एक ही में हुआ करता था। मेरी माता को लेकर भाई गया था, हम लोग साथ ही गए थे। मेरे मेडिकल रिपोर्ट में डॉक्टर ने एक्स–रे के लिए सलाह दिया था, जिला अस्पताल बलिया में कराने के लिए। लेकिन मेरा एक्स–रे नहीं हुआ। मैंने एक्स–रे इसलिए नहीं कराया क्योंकि डॉक्टर साहब ने मना कर दिया था"

35.5– बचाव पक्ष की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने दिनांक–14.06.2024 को बयान किया कि "पत्रावली में जो मेडिकल शामिल है जो गंगापुर में बना है, वह सही है। जो जी.डी. का पर्चा कागज सं०– 8क जो इस पत्रावली में दाखिल है, वह सही है या गलत, वह मेरा भाई बतायेगा। प्रार्थना पत्र 156(3) में मेरी माँ का मेडिकल वसुधरपाह पी.एच.सी. का जो मेडिकल लगा है, वह सही है। मैं दिनांक 27.11.2006 को समय 7:15pm बजे केवल बसुधरपाह पर था, गंगापुर पी.एच.सी. पर नहीं था। वसुधरपाह से गंगापुर की दूरी कितनी है, मुझे मालूम नहीं है। मैंने

अपनी माता जी का मेडिकल अपने भाई को नहीं दिया था। एस.पी. को प्रार्थना पत्र हमारे भाई सुनील ने दिया था। सुनील ने किस तारीख को एस.पी. को प्रार्थना पत्र दिया था, मुझे मालूम नहीं है। हमें मालूम नहीं है कि जो सुनील ने प्रार्थना पत्र एस.पी., बलिया को दिया है उसमें मुझे और मेरी माता जी को घायल होना नहीं बताया है। यह मुझे मालूम नहीं है कि सरकार बनाम जवाहर जो मुकदमा चल रहा है उसमें घायल लोगों का नाम बताया है जो प्रार्थना पत्र उसने पुलिस अधीक्षक बलिया को दिया है उसमें और हम लोगों को उसमें घायल होना नहीं बताया है। हम मेडिकल दिए थे परंतु मेरे भाई सुनील ने मेडिकल नहीं लगाया है तो मैं इसका कारण नहीं बता सकता हूँ। मुझे यह मालूम नहीं है कि मेरे भाई सुनील ने 156(3) सी.आर.पी.सी. में मेरी माता जी का मेडिकल मुकदमा दाखिल करते समय क्यों नहीं दाखिल किया। मुझे मालूम नहीं है कि जो मेडिकल 156(3) सी.आर.पी.सी. के प्रार्थना पत्र में दिनांक– 03.11.2007 को दाखिल किया गया है जो पेपर सं०–13क/1 है, वह मेरा था या नहीं। दिनांक 25.01.2007 को जो मेडिकल दाखिल किया गया है जो पेपर सं०– 15क/1 पर लिखा है, वह किसका है, मैं नहीं बता सकता, मेरा भाई सुनील बता सकता है।"

36– प्रश्नगत मामले में न्यायालय द्वारा प्रस्तुत साक्षी **C.W.–2 विमला देवी** ने दिनांक 24.07.2024 को अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया कि "मैं पढ़ी–लिखी नहीं हूँ। घटना का दिनांक 27.11.2006 समय शाम 5:00 बजे की है। घटना आज से लगभग 18 साल पहले की है। मैं प्रधान पद की प्रत्याशी थी। उपचुनाव लड़ रही थी। मैं जब गाँव में वोट माँग कर बाजार में पहुँची ही थी कि सभी लोग बाजार में बैठे थे। सभी लोगों में मिथिलेश सिंह, उपेंद्र सिंह, नीरज सिंह, अशोक सिंह, अजय सिंह, हरेंद्र प्रताप सिंह, रिशु सिंह, पशुपति सिंह, अरविंद सिंह, विनोद सिंह, संजय सिंह, राकेश सिंह एक राय होकर मुझे निशाना बनाकर जान से मारने की नीयत से मेरे ऊपर गोली चलाने लगे। मैं गोली की चोट से जमीन पर गिर गई। मेरे लड़के जयचंद को भी गोली लग गई। मेरे साथ रहे अन्य लोग भाग कर किसी तरह अपनी जान बचाए और मेरे परिवार के लोग मुझे लेकर सोनवानी प्राथमिक केंद्र गए जहाँ मेरा दवा इलाज और मेडिकल मुआइना हुआ। मैं एक कमजोर जाति की महिला हूँ, उपरोक्त लोग सामंती विचारधाराओं के लोग हैं, मुझे चुनाव लड़ने से रोकना चाह रहे थे। दरोगा जी मेरे घर आए थे। मेरी चोटों को भी देखे थे। उपरोक्त लोग जान से मारने की धमकी दे रहे थे। दरोगा जी पूछताछ किए थे।"

36.1– बचाव पक्ष की ओर से अभियुक्त मिथिलेश सिंह के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने दिनांक– 24.07.2024 को बयान किया कि "मेरे चार लड़के हैं। मेरे चारों लड़कों का नाम क्रमशः जवाहर, सुनील, जयचंद व मुनील है। मेरे साथ मेरे छोटे लड़के मुनील घर पर रहते हैं। बाकी लोग बाहर रहते हैं और कुछ लोग यहाँ भी रहते हैं। सुनील बाहर रहते हैं।

सुनील आरा में रहते हैं। जवाहर एक ही घर में अलग रहते हैं। जयचंद उसी घर में रहते हैं परंतु मुझसे अलग रहते हैं। गोली जवाहर नहीं चलाए थे। मैं पढ़ी–लिखी नहीं हूँ। मैं अपना हस्ताक्षर नहीं बनाती हूँ। मैं केवल अपना अंगूठा निशान लगाती हूँ। जे.एम., प्रथम के यहाँ 156(3) सी.आर.पी.सी. के प्रार्थना पत्र में जो मेरे पुत्र सुनील द्वारा दाखिल किया गया था उसके कागज सं0–9 क/2 पर जो विमला का हस्ताक्षर बना हुआ है, वह मैंने नहीं किया है। मैं नहीं जानती हूँ कि किसने मेरे नाम से महामहीम राज्यपाल को उक्त प्रार्थना पत्र प्रेषित किया है। उक्त पत्रावली में पेपर सं0– 9 क/2 जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का नाम लिखकर भेजा गया है, मैं अध्यक्ष का नाम नहीं जानती हूँ, इस पर मैंने अपना हस्ताक्षर नहीं किया है। यह प्रार्थना पत्र मैंने नहीं भेजा था। सरकार बनाम मिथिलेश में कागज सं0– 12 क जो लगा है वह देखकर गवाह ने कहा कि मैं पढ़ी–लिखी नहीं हूँ कि मैं बता सकूँ कि मेरा मेडिकल है या नहीं। इस मेडिकल रिपोर्ट पर मेरा नाम है। मैंने मेडिकल रिपोर्ट पर अपना अंगूठा निशान नहीं दिया था। **ओ.पी.डी. पर्चे पर जो कागज सं0– 8 क है, पर बना अंगूठा निशान मेरा है। मेरे लड़के ने एक मेडिकल रिपोर्ट जे.एम., प्रथम के यहाँ दर्ज पत्रावली में दाखिल किया है जिसका पेपर संख्या 6 क/2 है उस पर मेरा अंगूठा निशान है।** मैं नहीं जानती हूँ कि यह मेडिकल दो हॉस्पिटल का है। मुझे नहीं पता है कि मैं गंगापुर अस्पताल पर गई थी या नहीं। मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैं किस अस्पताल पर गई थी। मेरे लड़के लोग अस्पताल पर ले गए थे। मैं नहीं जानती हूँ कि किस अस्पताल पर ले गए थे। मुझे सुनील और जयचंद अस्पताल लेकर गए थे। मुझे मालूम नहीं है कि और कोई मेरे साथ गया था या नहीं। मैं यह नहीं बता सकती कि सुनील और जयचंद किस साधन से मुझे लेकर गए थे। मुझे साधन से ही लेकर गए थे, पैदल नहीं ले गए थे। साधन मुझे मालूम नहीं है। उस साधन से मेरे साथ कोई और अन्य आदमी नहीं था। मेरे घर के लोग मुझे ही लड़ाये थे, कोई और मेरे घर से चुनाव नहीं लड़ा था। मेरे लड़के जवाहर भी चुनाव लड़े थे। दोनों आदमी हम लोग अपना अलग–अलग प्रचार कर रहे थे। मुझे नहीं पता है कि जवाहर को उस वोट में कितने मत मिले थे। मुझे नहीं पता है कि उस चुनाव में मुझे कितने मत मिले। मैं नहीं जानती हूँ कि किसे पता है कि मुझे और जवाहर को कितना वोट मिला। जिस दिन यह घटना घटी उस दिन जवाहर घर पर थे। मेरा चुनाव प्रचार करने के लिए सुनील थे, जयचन्द थे, मुनील थे और चार–पाँच औरतें मेरे साथ थीं। मैं औरतों के साथ थी। मैं इन औरतों के साथ अपना चुनाव प्रचार कर रही थी। जयचंद, मुनील और सुनील भी मेरे साथ थे। दूधीपुर से वोट माँग के आ रहे थे। बाजार में साथ थे। दूधिपुर मैं और मेरे साथ पाँच महिलाएँ, जयचंद, सुनील और मुनील थे। इनके अलावा और कोई नहीं था। बाजार लगी थी, बाजार के 10 कदम इधर मैं मौजूद थी। मुझे दिशा नहीं मालूम है कि किस दिशा में बाजार से 10 कदम दूर मैं खड़ी थी। मैं बाहर नहीं निकलती हूँ इसलिए मुझे गाँव की दिशा का ज्ञान नहीं है। दूधिपुर की दूरी एक कोस है जहाँ पर मैं बाजार में खड़ी थी वहाँ से। मैं दुधिपुर कई बार नहीं आई–गई हूँ। मैं नहीं जाती हूँ। हाँ हमारे लड़के

लोग ही दूधिपुर गए थे। मैं भी गई थी। जहाँ मैं बाजार में खड़ी थी मिथिलेश सिंह, पप्पू सिंह, पशुपति सिंह, झंझट सिंह वहीं पर खड़े थे। और कुछ नहीं हुआ था। मुझे जानकारी नहीं है कि जब मैं हॉस्पिटल गई थी तो कौन डॉक्टर मेरा इलाज किया था। डॉक्टर साहब ने जब मुझे देखा तो मुझसे कुछ नहीं कहा। डॉक्टर साहब दो–तीन खुराक दवा दी थी। पहले बोली थी कि डॉक्टर साहब कोई दवा नहीं दी थी। डॉक्टर साहब मिथिलेश सिंह सटा के जो मारे थे, उसी की दवा दिए थे। डॉक्टर साहब कुछ और नहीं बोले थे सिर्फ दवा ही दिए थे। डॉक्टर साहब ने मुझे एक्स–रे कराने के लिए नहीं कहा था। मुझे पता नहीं है कि डॉक्टर साहब ने मुझे आगे की इलाज के लिए किसी अस्पताल में रेफर किया कि नहीं। मेरे लड़के लोगों से कहे होंगे। मैं वहाँ पर थी परन्तु होश नहीं था। मिथिलेश सिंह ने मेरे पति और मेरे बच्चों के ऊपर केस किया है जिसकी जानकारी मुझे है।"

36.2– बचाव पक्ष की ओर से अभियुक्तगण विनोद, संजय व राकेश के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने दिनांक– 26.07.2024 को बयान किया कि "मैं दो बार प्रधानी के लिए इलेक्शन लड़ी हूँ। दोनों बार हार गई हूँ। मैं घर में रहने वाली महिला हूँ, बाहर निकल घूमती नहीं हूँ। गाँव में मैं सबको नहीं पहचानती हूँ। संजय, राकेश, विनोद का घर मेरे घर से किधर है, मैं नहीं जानती। विजय सिंह, राकेश, संजय, विनोद को मैं नहीं देखी हूँ, न ही पहचानती हूँ। संजय सिंह का गाँव कहाँ है, नहीं जानती। मैं संतोष सिंह को जानती हूँ। संतोष सिंह के साले संजय सिंह हैं। यह मुझे मालूम नहीं है कि संजय सिंह का गाँव कहाँ है। यह मालूम है कि संतोष सिंह की हत्या हो गई है जिसमें मेरे पति रामानंद मुल्जिम थे। संतोष की पत्नी का नाम मैं नहीं जानती। मैं सीमा सिंह के विरोध में चुनाव लड़ रही थी। सीमा सिंह के पति का नाम संतोष सिंह है जिसकी हत्या हो गई है। जहाँ घटना हो रही थी वहाँ दोनों ओर से एक डेढ़ घण्टे तक फायरिंग हो रही थी। घटनास्थल बाजार है। उस बाजार में सौ–डेढ़ सौ से अधिक दुकानें हैं, वहाँ हमेशा भीड़ लगी रहती है। घटना के समय काफी भीड़ थी। मेरे घर में लाइसेंसी बंदूक जवाहर के नाम से थी। घटना के समय लाइसेंसी बंदूक जवाहर के पास थी। जवाहर मेरे लड़के हैं, क्रॉस केस में जवाहर मल्जिम हैं। पहली बार चुनाव मैं किसके विरुद्ध लड़ी थी, मैं नहीं बता सकती। मुझे यह नहीं मालूम है कि संतोष के खिलाफ प्रधानी का चुनाव कौन लड़ा था। संतोष की मृत्यु के बाद उक्त चुनाव में उनकी पत्नी सीमा व मैं, जवाहर चुनाव लड़े थे जिसमें हम दोनों लोग सीमा सिंह से हार गए। मेरे चोट से खून निकला था। मेरी साड़ी खून से भीग गई थी। मैं उस साड़ी को पुलिस को नहीं दी थी। उस साड़ी का क्या हुआ, नहीं बता सकती। मेरे लड़के किस रंग का कपड़ा पहने थे, याद नहीं है। यह मुझे मालूम है कि राकेश व संजय का घर परसिया है जो थाना हल्दी में पड़ता है। मुझसे कभी पुलिस ने पूछताछ किया न ही संपर्क किया है। मेरे सामने किसी के पास से कट्टा या बंदूक की बरामदगी नहीं हुई है।"

36.3– आगे इस साक्षी ने बचाव पक्ष की ओर से अभियुक्तगण पशुपति सिंह, भूपेन्द्र सिंह

उर्फ पप्पू, नीरज, अजय, हरेन्द्र, रिशू के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में बयान किया कि "घटना के आधे घंटे बाद लगभग सूर्यास्त हुआ। घटना के 2 मिनट बाद मुझे अस्पताल के लिए लेकर लोग चले गए। फिर लगभग 2 घंटे बाद अस्पताल से मेरे लड़के मुझे घर लेकर चले आए। मुझे नहीं मालूम कि मेरे लड़के थाने पर लेकर गए कि नहीं। मिथिलेश के दरवाजे से बाजार लगभग 100 गज की दूरी पर पश्चिम की तरफ है। उसी बाजार में ये मुल्जिमान खड़े थे। बाजार में पशुपति सिंह, भूपेंद्र, नीरज, अजय, हरेंद्र व रिशु खड़े थे। बाजार में 10–12 अभियुक्तगण चारों ओर से घेर लिए थे। सभी मुल्जिमान मेरे चारों तरफ एक कदम की दूरी पर घेरे हुए थे। सभी मुल्जिमान निशाना लेकर मुझ पर फायर किए लेकिन सबकी गोली मुझे नहीं लगी। **थाने से सुनील कुमार गोड़ मेरा लड़का कब रिपोर्ट करके लौटा, हमें मालूम नहीं है। घटना के बाद सुनील गोड़ कहीं गए नहीं थे, मेरे साथ ही थे। घटना के बाद 10–12 दिन तक मेरे साथ ही थे। मैं सुनील से 10–12 दिन तक नहीं बताई थी कि मुझे किसने गोली मारी। आज तक किसी से नहीं बताई हूँ कि मुझे किसने गोली मारी।** जयचंद से घटना के 10–12 दिन तक लगातार बातचीत होती रहती थी। जयचंद हमें बताए थे कि जयचंद को मिथिलेश गोली मारे थे। यदि थाने में सुनील गोड़ द्वारा दर्ज कराए गए रिपोर्ट में यह बात सुनील गोड़ द्वारा नहीं लिखवाया गया है कि मुल्जिमान पशुपति सिंह, भूपेंद्र, नीरज, अजय, हरेंद्र, रिशु व मिथिलेश सिंह वगैरह द्वारा मुझे(विमला) व जयचन्द को चोटें पहुँचाई गई थीं तो इसकी कोई वजह नहीं बता सकती। मिथिलेश सिंह के घर से लगभग 100 कदम जो पश्चिम में बाजार बताई हूँ वहीं पर अभियुक्तगण नीरज, पशुपति सिंह, अजय, भूपेंद्र सिंह का दुकान व मकान है, जहाँ ये लोग मौजूद थे। घटना मिथिलेश सिंह के घर के सामने एक कदम की दूरी पर हुआ। घटना के तुरंत बाद पुलिस आई थी व मेरे लड़के जवाहर को पकड़ कर ले गई। मिथिलेश सिंह जो मेरे लड़के व मेरे आदमी पर मुकदमा किए हैं, उसमें सूर्यबली सिंह व विश्वनाथ सिंह गवाह हैं। पशुपति सिंह को भी गवाह बनाया गया था। इस मुकदमे में नीरज व पप्पू जो मुल्जिम बनाए गए हैं वो क्रमशः विश्वनाथ सिंह व सूर्यबली सिंह के लड़के हैं।"

37– प्रश्नगत मामले में न्यायालय द्वारा प्रस्तुत साक्षी **C.W.–4 फार्मासिस्ट दयाशंकर त्रिपाठी** ने दिनांक 04.02.2025 को अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया कि "दिनांक 27.11.2006 को शाम को 7:00pm बजे श्रीमती विमला देवी, उम्र– 50 वर्ष, पत्नी रामानंद गोड़, साकिन– शेर, थाना बांसडीह रोड, जनपद बलिया जो विमला देवी के पुत्र सुनील गोड़ हैं उनके द्वारा लाया जाना जिक्र है।" आघात आख्या को देखकर पत्रावली में संलग्न कागज सं0– 12क को दिखाकर पूछा गया तो गवाह द्वारा मेडिको लीगल रजिस्टर साथ में लाया गया है जो 28.09.2006 से 27.12.2006 जो साथ लेकर आए हैं, को देखकर बताए कि "इस तरह का कोई आघात आख्या तैयार किए जाने के बावत या डाक्टरी मुआयना कराए जाने के बावत कोई भी मेडिकल रजिस्टर में

दर्ज नहीं है तथा दिनांक– 27.11.2006 को मेडिको लीगल रजिस्टर में कोई आघात आख्या बनाए जाने का कोई तस्किरा दर्ज नहीं है।" कागज सं0– 12 क आघात आख्या को गवाह को दिखाकर पूछा गया कि क्या इस लेख व हस्ताक्षर को पहचानते हैं तो गवाह ने कहा कि "मैं नहीं पहचानता हूॅं क्योंकि उस समय मैं वहाँ पर नहीं था। सोनवानी सी.एच.सी. पर दिनांक– 17.10.2020 से कार्यरत हूँ, मैं वर्तमान में भी वहीं पर कार्यरत हूँ तथा कोर्ट के द्वारा आहूत किये जाने पर मेडिको लीगल रजिस्टर के साथ उपस्थित हूँ।"

37.1– बचाव पक्ष की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी को कागज सं0–12 क को दिखाकर पूछा गया कि आघात आख्या तैयार करने वाले का लेख व हस्ताक्षर पहचानते हैं तो गवाह ने कहा कि "जी नहीं, मैं डॉक्टर ए.के. मिश्रा को न जानता हूँ, न पहचानता हूँ।"

38– प्रश्नगत मामले में न्यायालय द्वारा प्रस्तुत साक्षी **C.W.–5 फार्मासिस्ट शैलेन्द्र कुमार तिवारी** ने दिनांक 14.02.2025 को अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया कि "मैं वर्तमान में सी.एच.सी. बसुधरपाह में फार्मासिस्ट के पद पर कार्यरत हूँ। मैं बसुधरपाह में सन् 2020 से कार्यरत हूँ। चोटिहल विमला देवी, उम्र– 50 वर्ष, पत्नी रामानंद गोड़, साकिन– शेर, थाना– बाँसडीह रोड व जयचंद्र प्रसाद पुत्र रामानंद प्रसाद, उम्र– 24 वर्ष थाना बांसडीह रोड इन दोनों चोटहिल का मेडिकल सन् 2006 में दिनांक– 27.11.2006 को समय 7:00 pm पर व 7:15 pm पर दोनों का मेडिकल रिपोर्ट पत्रावली में शामिल मिसिल है। पत्रावली में संलग्न कागज सं0– 12 क व जयचंद की छाया प्रति मेडिकल रिपोर्ट शामिल पत्रावली कागज सं0– 9 क है जिसकी मूल प्रति 6 क/1 है जो 156(3) Cr.P.C. की पत्रावली में संलग्न है। उपरोक्त मेडिकल द्वारा मेडिकल रिपोर्ट के संबंध में प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसुधरपाह पर कोई रिकॉर्ड इस समय उपलब्ध नहीं है। मैं डॉक्टर अशोक मिश्रा का नाम नहीं सुना हूँ, न ही जानता पहचानता हूँ। उस समय कौन मेडिकल ऑफिसर उक्त सी.एच.सी. अस्पताल पर था, मैं नहीं बता सकता। विमला देवी व जयचंद प्रसाद का मेडिकल जिस समय हुआ था उस समय कौन सा डॉक्टर कार्यरत रहा इसकी जानकारी हमें नहीं है। मेडिकल रिपोर्ट पर लगी मुहर पर क्या अंकित है, देखकर बताया कि यह मुहर प्रभारी चिकित्साधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बसुधरपाह अंकित है। इस समय मेरे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोई डॉक्टर नहीं है, केवल डेंटिस्ट है।"

38.1– बचाव पक्ष की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कहा कि "बसुधरपाह सी.एच.सी. पर मेडिकल रिपोर्ट तैयार नहीं होता है।"

केस A– (सत्र परीक्षण सं०–105/2007 उ०प्र० राज्य बनाम जवाहर वगै० व सत्र परीक्षण सं०–201/2011 उ०प्र० राज्य बनाम रामानन्द गोड़ व अन्य)

तथा

केस B– (सत्र परीक्षण सं०–170/2017 उ०प्र० राज्य बनाम मिथिलेश सिंह वगै० व सत्र परीक्षण सं०–299/2017 उ०प्र० राज्य बनाम संजय सिंह)

के साक्ष्य का संयुक्त रूप से विश्लेषण

39– केस–A व केस–B दोनो एक ही घटना से घटित होना बताये जाते हैं। **केस–A** के तथ्य इस प्रकार हैं कि *"प्रार्थी मिथिलेश कुमार सिंह पुत्र श्री मथुरा सिंह, ग्राम शेर (बड़की शेरिया) थाना बाँसडीह रोड, जिला बलिया का निवासी हूँ। प्रार्थी के गाँव में विगत ग्राम पंचायत चुनाव में स्व० संतोष सिंह प्रधान निर्वाचित हुए थे। हम लोग उनका समर्थन किये थे। स्व० संतोष सिंह की हत्या होने के बाद इस समय रिक्त प्रधान पद के चुनाव में स्व० सतोष सिंह की पत्नी श्रीमती सीमा सिंह प्रधान पद की प्रत्याशी हैं। हम लोग इस समय उक्त सीमा सिंह के समर्थक हैं। मेरे गाँव के जवाहर पुत्र रामानन्द गोड़ संतोष सिंह के विरुद्ध प्रधान पद के प्रत्याशी थे तथा संतोष सिंह की हत्या में उसके पिता रामानन्द वगैरह अभियुक्त हैं। इस समय प्रधान पद के चुनाव में सीमा सिंह के विरुद्ध जवाहर गोड़ पुनः प्रत्याशी है। हम लोगों पर उक्त जवाहर वगैरह सीमा सिंह का समर्थन न करने के लिए दबाव डालते थे इसी रंजिशवश आतंक पैदा करने व दबाव डालने के लिए जान से मारने की नीयत से योजनाबद्ध तरीके से आज दिनांक 27.11.2006 को समय करीब 4.30 बजे जवाहर गोड़ पुत्र रामानन्द, रामानन्द पुत्र हरिहर गोड़, मुन्नीलाल उर्फ मुनील पुत्र रामानन्द, जयचन्द पुत्र रामानन्द, विजेन्द्र वर्मा पुत्र रामाशंकर वर्मा, शिवकुमार उर्फ फन्नी पुत्र परशुराम साकिन दुधीपुर शेर नाजायज गोल बनाकर बन्दूक व कट्टे के साथ मेरे दरवाजे पर चढ़ आये और सीमा सिंह का समर्थन न करने का दबाव देने लगे। विरोध करने पर कहासुनी के दौरान और लोगों के जुट जाने पर पीछे हटे और जान से मारने की नीयत से जवाहर ने अपनी लाइसेन्सी बन्दूक व मुन्नीलाल व जयचन्द ने कट्टे से रामानन्द, विजेन्द्र और शिवकुमार के ललकारने पर फायर कट्टा व बन्दूक दोनो से करने लगे जिससे हमलोग के बचते बचते प्रार्थी एवं परिवार के संजय सिंह, सूर्यबली सिंह, मणिशंकर सिह को चोटें आयीं। घटना को गाँव के विश्वनाथ सिंह पुत्र जगरनाथ सिंह, पशुपति नाथ सिंह पुत्र सुदामा सिंह वगै० गाँ व के काफी लोगों ने देखा है।"*

40– **केस–B** के तथ्य इस प्रकार हैं कि *"प्रार्थी सुनील कुमार गोड़ पुत्र रामानन्द गोड़ साकिन– शेर, थाना बांसडीह रोड जिला बलिया का रहने वाला हूँ। मेरी माता जी विमला देवी एवं भाई जवाहर लाल ग्राम पंचायत के उपचुनाव में ग्राम प्रधान के प्रत्याशी हैं। दिनांक 27.11.2006 को 5.00 बजे मैं तथा मेरे पिता रामानन्द गोड़ व गांव के बहुत सारे लोग मेरी माता जी के चुनाव के प्रचार में घूम रहे थे कि मेरे ही गांव के मिथिलेश सिंह पुत्र मथुरा सिंह, भूपेन्द्र सिंह उर्फ पप्पू सिंह पुत्र सूर्यबली सिंह, नीरज कुमार उर्फ झंझट पुत्र विश्वनाथ सिंह, अशोक सिंह पुत्र रामेश्वर सिंह, अजय*

सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह ने अपने लाईसेंसी बन्दुक से तथा उनके साथी हरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ गुप्ती सिंह पुत्र सुखपाल सिंह, रिशु सिंह पुत्र अरविन्द सिंह, पशुपति सिंह पुत्र सुदामा सिंह, अरविन्द सिंह पुत्र बैजू सिंह, विनोद सिंह पुत्र श्री राम सिंह अवैध कट्टे से हम लोगों के चुनावी जुलूस पर फायर करने लगे। हम लोग मकानों की ओर भागने लगे। इसी बीच हमलावरों के साथ बाहर से आए संजय सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह, विजय सिंह, राकेश सिंह निवासी परसिया थाना हल्दी जिला बलिया वालों द्वारा चलाये गये गोली के छर्रे से मिथिलेश सिंह, पप्पू सिंह, सूर्यबली सिंह व रिंकू सिंह, अजय सिंह एवं बाजार में सब्जी बेच रही महिलाएं भी घायल हुई। इस घटना को मेरे परिवार के अलावे कामेश्वर गोड़, तुफानी वर्मा, साधु बिंद, रामजी बिन्द तथा गांव व बाजार में स्थित कई लोगों ने देखा है। घटना के बारे में रिपोर्ट करने गये मेरे भाई जवाहर गोड़ को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना के बाद फायर से सभी लोग भाग खड़े हुए। उपरोक्त घटना की क्रास केस अपराध संख्या 101/2006, सरकार बनाम जवाहर वगैरह थाना स्थानीय पर दर्ज है तथा हम लोग रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु बार–बार थाने पर दौड़ते रहे परंतु हम लोगों की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी बल्कि हम प्रार्थी के भाई जवाहर को गिरफ्तार कर लिया गया। हम प्रार्थी ने घटना की सूचना जरिये रजिस्टर्ड डाक पुलिस अधीक्षक, बलिया को भी दिया परंतु प्रार्थी की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी और न पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही की गयी। चूंकि उपरोक्त अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध संज्ञेय प्रकृति का अपराध है जिसकी रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने का आदेश थानाध्यक्ष बांसडीह रोड को दिया जाना न्यायहित में आवश्यक है, अतः श्रीमान् जी से अनुरोध है कि उपरोक्त तथ्यों पर ध्यान देते हुए अन्तर्गत धारा–156(3) दं०प्र०सं० में निहित शक्तियों का प्रयोग कर उपरोक्त घटना की रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने हेतु थानाध्यक्ष बाँसडीह रोड, जनपद बलिया को आदेश देने की कृपा प्रदान की जाय।"

41– **केस–A** तथा **केस–B** का निस्तारण सुविधा की दृष्टि से एक साथ निस्तारण किया जा रहा है क्योंकि समान पक्षकारों के बीच एक घटना से सम्बन्ध है। उपरोक्त दोनों केस के निस्तारण के लिए अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं उभयपक्ष के द्वारा प्रस्तुत मौखिक तर्क के आधार पर निम्नलिखित अवधार्य बिन्दु निर्धारित कर विश्लेषण करते हुए उनका निस्तारण निम्नवत किया जा रहा हैः–

(i). केस–A के कथानक को साबित करने के लिए अभियोजन ने जो साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं, क्या वह साबित होते हैं।

(ii). केस–B के कथानक को साबित करने के लिए अभियोजन ने जो साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं, क्या वह साबित होते हैं।

(iii). क्या मजरूबान को आयी चोटें मेडिकल रिपोर्ट से साबित होती हैं?

(iv). केस–A तथा केस–B क्या अचानक झगड़ा जनित के परिणाम रहे हैं?

(v). क्या केस–A के आधार पर अभियुक्तगण संदेह से परे दोष–सिद्ध होने योग्य हैं।

(vi). क्या केस–B के आधार पर अभियुक्तगण संदेह से परे दोष–सिद्ध होने योग्य हैं।

<u>निर्धारित बिन्दु (i) का निस्तारण–</u>

(i). केस–A के कथानक को साबित करने के लिए अभियोजन ने जो साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं, क्या वह साबित होते हैं।

केस–A के वादी मिथिलेश कुमार ने तहरीर प्रदर्श क–1 प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया है कि *"प्रार्थी मिथिलेश कुमार सिंह पुत्र श्री मथुरा सिंह, ग्राम शेर (बड़की शेरिया) थाना बाँसडीह रोड, जिला बलिया का निवासी हूँ। प्रार्थी के गाँव में विगत ग्राम पंचायत चुनाव में स्व० संतोष सिंह प्रधान निर्वाचित हुए थे। हम लोग उनका समर्थन किये थे। स्व० संतोष सिंह की हत्या होने के बाद इस समय रिक्त प्रधान पद के चुनाव में स्व० सतोष सिंह की पत्नी श्रीमती सीमा सिंह प्रधान पद की प्रत्याशी हैं। हम लोग इस समय उक्त सीमा सिंह के समर्थक हैं। मेरे गाँव के जवाहर पुत्र रामानन्द गोड़ संतोष सिंह के विरुद्ध प्रधान पद के प्रत्याशी थे तथा संतोष सिंह की हत्या में उसके पिता रामानन्द वगैरह अभियुक्त हैं। इस समय प्रधान पद के चुनाव में सीमा सिंह के विरुद्ध जवाहर गोड़ पुनः प्रत्याशी है। हम लोगों पर उक्त जवाहर वगैरह सीमा सिंह का समर्थन न करने के लिए दबाव डालते थे इसी रंजिशवश आतंक पैदा करने व दबाव डालने के लिए जान से मारने की नीयत से योजनाबद्ध तरीके से आज दिनांक 27.11.2006 को समय करीब 4.30 बजे जवाहर गोड़ पुत्र रामानन्द, रामानन्द पुत्र हरिहर गोड़, मुन्नीलाल उर्फ मुनील पुत्र रामानन्द, जयचन्द पुत्र रामानन्द, विजेन्द्र वर्मा पुत्र रामाशंकर वर्मा, शिवकुमार उर्फ फन्नी पुत्र परशुराम साकिन दुधीपुर शेर नाजायज गोल बनाकर बन्दूक व कट्टे के साथ मेरे दरवाजे पर चढ़ आये और सीमा सिंह का समर्थन न करने का दबाव देने लगे। विरोध करने पर कहासुनी के दौरान और लोगों के जुट जाने पर पीछे हटे और जान से मारने की नीयत से जवाहर ने अपनी लाइसेन्सी बन्दूक व मुन्नीलाल व जयचन्द ने कट्टे से रामानन्द, विजेन्द्र और शिवकुमार के ललकारने पर फायर कट्टा व बन्दूक दोनो से करने लगे जिससे हमलोग के बचते बचते प्रार्थी एवं परिवार के संजय सिंह, सूर्यबली सिंह, मणिशंकर सिह को चोटें आयीं। घटना को गाँव के विश्वनाथ सिंह पुत्र जगरनाथ सिंह, पशुपति नाथ सिंह पुत्र सुदामा सिंह वगै० गाँव के काफी लोगों ने देखा है।"* **अब यह देखा जाना है कि अभियुक्तगण के द्वारा क्या उक्त घटना कारित की गयी थी और उक्त घटना कारित किये जाने में वादी पक्ष से कौन कौन घायल हुआ था और क्या हमला इस प्रकार से था कि जो हत्या के प्रयास की श्रेणी में आता हो।**

केस–A के वादी, अभियुक्तगण के विरुद्ध तहरीर देकर यह कथन किया है कि अभियुक्तगण चुनावी रंजिश में उनके ऊपर दबाव डाल रहे थे और घटना वाले दिन दरवाजे पर चढ़ आये और बंदूक तमन्चों से जान से मारने की नीयत से फायर करने लगे जिसमें संजय सिंह,

सूर्यबली सिंह, मणिशंकर सिंह को चोटे आयीं। वादी मुकदमा मिथिलेश ने बतौर गवाह P.W.–3 न्यायालय के समक्ष घटना का समर्थन किया।

तहरीर में मिथिलेश सिंह द्वारा घटना को गाँव के विश्वनाथ सिंह व पशुपति नाथ सिंह आदि द्वारा देखे जाने का कथन किया। उक्त दोनों गवाह न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुए। पशुपति नाथ सिंह ने बतौर P.W.–1 के रूप में यह कहा कि घटना वाले दिन मिथिलेश सिंह के दरवाजे के सामने शोरगुल की आवाज सुनाई दी। शोरगुल पर मै वहाँ पहुँचा तो काफी लोगों की भीड़ थी, काफी लोग इकट्ठा थे। वहाँ पर लोगों में वोट को लेकर आपस में कहासुनी हो रही थी। भीड़ मे किसी ने बन्दूक व कट्टे से फायर कर दिया जिससे मिथिलेश, संजय, सूर्यबली, व मणिशंकर को चोटें लगीं। गवाह ने कहा कि गोली चलाने वाले को उसने नहीं देखा और न ही किसी को गाली देते हुए सुना और न ही बन्दूक व लाठी डण्डा लेते हुए किसी को देखा। इस गवाह से घटना घटित होना साबित होती है कि मिथिलेश सिंह के दरवाजे के सामने शोरगुल हो रहा था और लोगों में कहासुनी हो रही थी एवं बन्दूक कट्टे के फायर से वादी पक्ष उपरोक्त को गोली की चोटें लगीं। गवाह ने अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित करने के सम्बन्ध में कहा कि उसने उनको नहीं देखा। गवाह P.W.–2 मजरूब सूर्यबली सिंह ने भी घटना का समर्थन करते हुए कहा कि घटना के समय दोनों प्रत्याशियों के लोग अपने समर्थकों के साथ दो दिशाओं से मेरे दरवाजे के सामने आ गये और उन दोनों लोगों के बीच में वोट की बात को लेकर वाद विवाद गाली गलौज शुरू हो गया। देखते ही देखते वहाँ पर फायर शुरू हो गया। हमलोग भी पास में खड़े थे कि मुझे भी फायर से चोट छर्रों से आयी थी। किसके फायर से चोटें आयी थीं, नहीं देखा। गवाह P.W.–1 व P.W.–2 यद्यपि पक्षद्रोही हो गये परन्तु किसी ने भी अभियुक्तगण के घायल होने की कोई बात नहीं कही। गवाह P.W.–4 मजरूब संजय कुमार सिंह ने भी घटना का समर्थन किया और अभियुक्तगण द्वारा फायर करने की बात कही जिससे वादीपक्ष उपरोक्त को चोटें आयीं। P.W.–6 मणिशंकर सिंह ने भी घटना का समर्थन किया।

केस–B के वादी ने भी न्यायालय के समक्ष धारा 156(3) सी.आर.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि चुनावी रंजिश को लेकर मिथिलेश सिंह व उनके साथीगण अवैध कट्टों से विमला देवी के चुनावी जुलूस पर फायर करने लगे। हमलावरों के साथ बाहर से आये संजय सिंह, सुरेन्द्र सिंह, विजेन्द्र सिंह व राकेश सिंह द्वारा चलयाी गयी गोली के छर्रो से मिथिलेश सिंह, पप्पू सिंह, सूर्यबली सिंह, रिशु सिंह, अजय सिंह व बाजार में सब्जी बेच रही दो महिलाएँ भी घायल हो गयीं। इस प्रकार से केस–B के वादी ने भी यह स्वीकार किया है कि गोली लगने से केस–A के वादी पक्ष को गोली लगी थी जिससे वह घायल हुए थे। केस–B में विवेचक रमेश चन्द्र मिश्रा ने यह स्वीकार किया है कि केस–A से सम्बन्धित जब्त की गयी बन्दूक के बावत जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ भेजी गयी थी उसकी परीक्षण रिपोर्ट कागज सं०–16 क शामिल पत्रावली है। उक्त परीक्षण रिपोर्ट में SBBL गन नं०–BE1931/2001 की नाल में फायरिंग के

अवशेष नाइट्रेट व लेड की उपस्थिति पायी गयी अंकित है। केस–B के गवाह C.W.–2 ने भी यह स्वीकार किया है कि घटना के समय लाइसेन्सी बन्दूक जवाहर के पास थी। इस प्रकार से परिस्थितियाँ यह स्पष्ट कर रही हैं कि जवाहर ने बंदूक से केस–A के वादी पक्ष के लोगों पर गोली चलाई थी जिससे वे घायल हो गये थे।

अब यह देखा जाना है कि क्या केस–A के वादी पक्ष के लोगों को आयी चोटें मेडिकल रिपोर्ट से साबित होतीं है। इस सम्बन्ध में P.W.–8 के रूप में डाक्टर अजीत सिंह परीक्षित कराये गये। उन्होंने मजरूबान संजय कुमार सिंह, मणिशंकर सिंह, मिथिलेश कुमार सिंह व सूर्यबली सिंह का मेडिकल किया। P.W.–8 का कथन है कि *"दिनांक 27.11.2006 को समय 08.30 बजे मेरी ड्यूटी आकस्मिक कक्ष में लगायी गयी थी उसी दिन रात के 09.00 बजे चोटहिल संजय कुमार सिंह, जिसकी उम्र 29 वर्ष पुत्र वशिष्ठ नारायण सिंह साकिन– बड़की शेर थाना बांसडीह रोड जिला बलिया के निवासी थे। जिसे कॉ० 894 लालबहादुर सिंह थाना बांसडीह रोड, जिला बलिया द्वारा लाया गया था। ओ.पी.डी. स्लिप लेकर नहीं गये थे। चोट का विवरण निम्न है–*

चोट सं०–1 *फायर आर्म द्वारा उत्पन्न घाव 0.2 सेमी x 0.2 सेमी मांसपेशी तक गहरा प्रवेश का घाव बाये हाथ की बाहरी सतह पर इन्डेक्स फिंगर के आधार पर किनारे अन्दर की ओर मुडे हुए।* ***<u>ओपिनियन</u>***– *फायर आर्म का घाव ताजा था। जिसे निगरानी में रखते हुए बायें हाथ के एक्स–रे की सलाह देते हुए सर्जन को रेफर किया गया। पत्रावली में संलग्न कागज संख्या–8 क/1 मेरे लेख व हस्ताक्षर में की गयी जिस पर चोटहिल संजय कुमार सिंह का निशान अंगूठा मेरे द्वारा प्रमाणित है जिस पर* ***प्रदर्श क–13*** *डाला गया।*

उसी दिन मजरूब मणिशंकर सिंह उम्र 14 वर्ष पुत्र मिथिलेश कुमार सिंह साकिन–बड़की शेर, थाना बांसडीह रोड, जनपद बलिया को कॉ० लालबहादुर सिंह द्वारा लाया गया था। दिनांक 27.11.2006 समय 08.50 pm पर लाया गया था। चोट का विवरण निम्न है–

चोट सं०–1 *फायर आर्म का घाव 0.2 सेमी x 0.2 सेमी मांसपेशी तक गहरा दाहिने कनपटी पर दाहिने कान से 4 सेनी ऊपर किनारे अन्दर की ओर मुड़े हुए।* ***<u>ओपिनियन–</u>*** *मेरी राय में चोट किसी फायर आर्म द्वारा पहुँचाई गयी ताजी थी। जिसे निगरानी में रखते हुए सर्जन को रेफर की गयी और सिर के एक्स–रे की सलाह दी गयी। पत्रावली में संलग्न कागज सं०–8 क/2 मेरे लेख व हस्ताक्षर में है चोटहिल मणिशंकर का निशान अंगूठा मेरे द्वारा प्रमाणित है जिसे मैं पहचान करता हूं जिस पर* ***प्रदर्श क–14*** *डाला गया।*

उसी दिन मजरूब मिथिलेश कुमार सिंह उम्र 42 वर्ष पुत्र मथुरा सिंह साकिन–बड़की शेर, थाना बांसडीह रोड, जनपद बलिया को कॉ० लालबहादुर सिंह द्वारा लाया गया था। दिनांक 27.11.2006 समय 08.40 pm पर लाया गया था। चोट का विवरण निम्न है–

चोट सं०–1 *फायर आर्म द्वारा उत्पन्न घाव 0.2 सेमी x 0.2 सेमी उसकी गहराई नापी नहीं गयी बायें चेस्ट के मध्य में मौजूद किनारे अन्दर की ओर मुड़े हुए।*

चोट सं०–2 *फायर आर्म द्वारा उत्पन्न घाव 0.2 सेमी x 0.2 सेमी गहराई का मापन नहीं किया गया। पीठ पर बायें शोल्डर प्लेट से 28 सेमी नीचे किनारे अन्दर की ओर मुड़े हुए।* ***<u>ओपिनियन–</u>*** *मेरी राय में दोनों चोटें फायर आर्म द्वारा पहुँचाई गयी थीं जो ताजी प्रकृति की थीं जिन्हें निगरानी में रखते हुए सीने एवं पेट के एक्स–रे की सलाह देकर सर्जन को रेफर किया गया। पत्रावली में सलंग्न कागज सं०– 8 क/3 मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। चोटहिल मिथिलेश कुमार सिंह का निशान अंगूठा मेरे द्वारा प्रमाणित है जिसे मैं पहचान करता हूँ जिस पर* ***प्रदर्श क–15*** *डाला गया।*

उसी दिन मजरूब सूर्यबली सिंह उम्र 70 वर्ष पुत्र स्व० मनबहाल सिंह साकिन–बडकी शेर, थाना बांसडीह रोड, जनपद बलिया को कॉ० लालबहादुर सिंह द्वारा लाया गया था। दिनांक 27.11.2006 समय 08.30 pm पर लाया गया था। चोट का विवरण निम्न है–

चोट सं0–1 *फायर आर्म द्वारा पहुँचाया गया घाव 0.2 सेमी x 0.2 सेमी x मांसपेशी तक गहरा प्रवेश का घाव दाहिने अग्र बाहू फोर आर्म के सामने की सतह पर दाहिने कलाई से 11 सेमी ऊपर किनारे अन्दर की ओर मुडे हुए।* ***<u>ओपिनियन–</u>*** *मेरी राय में यह चोट फायर आर्म द्वारा पहुँचाई गयी ताजी थी, जिसे निगरानी में रखते हुए दाहिने अग्र बाहू की एक्स–रे की राय देते हुए सर्जन को रेफर किया गया। पत्रावली में सलंग्न कागज सं०– 8 क/4 मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। चोटहिल सूर्यबली सिंह का निशान अंगूठा मेरे द्वारा प्रमाणित है जिसे मैं पहचान करता हूं जिस पर* ***प्रदर्श क–16*** *डाला गया। उपरोक्त मजरूबान की चोटें 5–6 बजे के लगभग पहुंचाया जाना सम्भव है।"*

गवाहों ने जो चोटों का विवरण दिया है वह दाखिल मेडिकल प्रपत्रों और P.W.–8 से साबित होता है और उसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। यद्यपि सूर्यहबली सिंह और संजय सिंह की चोटें जानलेवा होना प्रतीत नहीं होती हैं जबकि मणिशंकर सिहं व मिथिलेश सिंह जिनको कि कनपटी पर और बाये चेस्ट फायर आर्म्स इंजरी आयी है वह जानलेवा हो सकती थी। यह स्पष्ट हो रहा है कि फायर करने वाले ने इसी आशय से गोली चलायी है कि उसके छर्रे शरीर के ऊपरी भाग में लगे, इस प्रकार से उक्त प्रहार जानलेवा हो सकते हैं। मजरूब संजय कुमार सिंह और सूर्यबली सिंह की जो चोटे आयी हैं वह भी उसी जद में आयी हैं क्योंकि फायर करने वाले का आशय स्पष्ट हो रहा है कि वह फायर करके लोगों को जान से मार सके। अभियुक्तगण का न तो यह बचाव रहा है और न तो केस–B में उन्होने ऐसा कथन किया है कि वादी पक्ष के हमला करने के कारण उनके द्वारा बचाव में फायर किया गया। इस प्रकार से केस–A के अभियुक्तगण की मंशा साफ दिखायी दे रही है कि उनका आशय हत्या करने का था और उसी अनुक्रम में उनके द्वारा फायर किया गया था।

यद्यपि केस–A के अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने गवाहों द्वारा दिये गये बयान पर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि मिथिलेश की एफ.आई.आर दर्ज होने के बाद विवेचक से कोई मुलाकात नहीं हुई। नक्शा नजरी सही ढंग से नहीं बनाया गया है। घटना शाम 4.30 बजे की है और स्वयं विवेचक ने कहा है कि उसे विवेचना घटना वाली शाम समय 4.30 बजे मिल गयी थी। उक्त तथ्य ऐसे नहीं है कि अभियोजन के कथानक को संदिग्ध बनाते हों, यह स्लिप ऑफ टंग हैं और मौके के गवाह के साक्ष्य का खण्डन इस प्रकार की मामूली त्रुटियों से नहीं किया जा सकता है। अतः बयान में मामूली त्रुटियाँ केस–A के अभियुक्तगण को लाभ प्रदान नहीं कर सकतीं। उपरोक्त विश्लेषण से अभियोजन कथानक संदेह से परे साबित होता है।

<u>निर्धारित बिन्दु (ii) का निस्तारण–</u>

(ii). केस–B के कथानक को साबित करने के लिए अभियोजन ने जो साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं, क्या वह साबित होते हैं।

इस मुकदमे से सम्बन्धित घटना के बावत सुनील कुमार गोड़ द्वारा धारा– 156(3) Cr.P.C. के बावत मजिस्ट्रेट न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र दिया जिसमें यह कथन किया कि *"प्रार्थी सुनील कुमार गोड़ पुत्र रामानन्द गोड़ साकिन– शेर, थाना बांसडीह रोड जिला बलिया का रहने वाला हूँ। मेरी माता जी विमला देवी एवं भाई जवाहर लाल ग्राम पंचायत के उपचुनाव में ग्राम प्रधान के प्रत्याशी हैं। दिनांक 27.11.2006 को 5.00 बजे मैं तथा मेरे पिता रामानन्द गोड़ व गांव के बहुत सारे लोग मेरी माता जी के चुनाव के प्रचार में घूम रहे थे कि मेरे ही गांव के मिथिलेश सिंह पुत्र मथुरा सिंह, भूपेन्द्र सिंह उर्फ पप्पू सिंह पुत्र सूर्यबली सिंह, नीरज कुमार उर्फ झंझट पुत्र विश्वनाथ सिंह, अशोक सिंह पुत्र रामेश्वर सिंह, अजय सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह ने अपने लाईसेंसी बन्दुक से तथा उनके साथी हरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ गुप्ती सिंह पुत्र सुखपाल सिंह, रिशु सिंह पुत्र अरविन्द सिंह, पशुपति सिंह पुत्र सुदामा सिंह, अरविन्द सिंह पुत्र बैजू सिंह, विनोद सिंह पुत्र श्री राम सिंह अवैध कट्टे से हम लोगों के चुनावी जुलूस पर फायर करने लगे। हम लोग मकानों की ओर भागने लगे। इसी बीच हमलावरों के साथ बाहर से आए संजय सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह, विजय सिंह, राकेश सिंह निवासी परसिया थाना हल्दी जिला बलिया वालों द्वारा चलाये गये गोली के छर्रे से मिथिलेश सिंह, पप्पू सिंह, सूर्यबली सिंह व रिंकू सिंह, अजय सिंह एवं बाजार में सब्जी बेच रही महिलाएं भी घायल हुई। इस घटना को मेरे परिवार के अलावे कामेश्वर गोड़, तुफानी वर्मा, साधु बिंद, रामजी बिन्द तथा गांव व बाजार में स्थित कई लोगों ने देखा है। घटना के बारे में रिपोर्ट करने गये मेरे भाई जवाहर गोड़ को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना के बाद फायर से सभी लोग भाग खड़े हुए। उपरोक्त घटना की क्रास केस अपराध संख्या 101/2006, सरकार बनाम जवाहर वगैरह थाना स्थानीय पर दर्ज है तथा हम लोग रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु बार–बार थाने पर दौड़ते रहे परंतु हम लोगों की रिपोर्ट दर्ज*

नहीं की गयी बल्कि हम प्रार्थी के भाई जवाहर को गिरफ्तार कर लिया गया। हम प्रार्थी ने घटना की सूचना जरिये रजिस्टर्ड डाक पुलिस अधीक्षक, बलिया को भी दिया परंतु प्रार्थी की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी और न पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही की गयी। चूंकि उपरोक्त अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध संज्ञेय प्रकृति का अपराध है जिसकी रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने का आदेश थानाध्यक्ष बांसडीह रोड को दिया जाना न्यायहित में आवश्यक है, अतः श्रीमान् जी से अनुरोध है कि उपरोक्त तथ्यों पर ध्यान देते हुए अन्तर्गत धारा–156(3) दं०प्र०सं० में निहित शक्तियों का प्रयोग कर उपरोक्त घटना की रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने हेतु थानाध्यक्ष बाँसडीह रोड, जनपद बलिया को आदेश देने की कृपा प्रदान की जाय।" धारा– 156(3) Cr.P.C. के प्रार्थना पत्र में कहीं भी केस–B के वादी या उसके परिवार के किसी व्यक्ति के घायल होने का कथन नहीं है बल्कि यह भी स्वीकार किया गया है कि घटना का क्रास केस अपराध सं०–101/2006 सरकार बनाम जवाहर वगै० थाने पर दर्ज है। **अब यह देखा जाना है कि सुनील कुमार गोड़ द्वारा केस–B के बावत जो कथन किये गये हैं और उनके सम्बन्ध में जो साक्ष्य प्रस्तुत किये गयें हैं, क्या वह कथानक को साबित करते हैं?**

इस सम्बन्ध में तूफानी बिन्द को P.W.–1 के रूप में पेश किया गया जिसमें उसने कहा कि *"दिनांक– 27.11.2006 को समय करीब 05:00 बजे ग्राम पंचायत का चुनावी जुलूस निकल रहा था जिसमें गाँव के बहुत से लोग घूम रहे थे जिसमें मैं भी घूम रहा था। वादी मुकदमा सुनील कुमार की माँ विमला देवी तथा भाई जवाहर लाल भी प्रत्याशी थे। लोग एक दूसरे का प्रचार कर रहे थे। घटना के दिन मिथिलेश सिंह, भूपेंद्र सिंह उर्फ पप्पू, नीरज, अजय सिंह, हरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ गुप्ती, रिशु सिंह, पशुपति सिंह, विनोद, विजय, राकेश सिंह व संजय के अलावा चुनाव प्रचार में सुनील वादी मुकदमा की तरफ से भी बहुत लोग चुनाव प्रचार कर रहे थे। चुनाव प्रचार के दौरान दोनों लोग आपसी झगड़ा व विवाद किए थे। मैं घटनास्थल पर नहीं था। बाद में मुझे लोगों के द्वारा जानकारी प्राप्त हुई थी कि ये लोग आपस में झगड़ा किए थे। संजय सिंह, विजय सिंह व राकेश सिंह के हाथ में किसी प्रकार का असलहा नहीं देखा। मेरे सामने विमला देवी व जयचंद को उपरोक्त लोग बंदूक से फायर करके घायल किए थे तथा उनको कैसे चोट लगी, इस बात की जानकारी मुझे नहीं है।"* गवाह ने कहा कि वह घटनास्थल पर नहीं था, बाद में उसे पता चला कि झगड़ा हुआ है। चूँकि गवाह ने मौके पर न होने का कथन किया है अतः वह यह साबित नहीं कर सकता कि मौके पर किसके पास क्या हथियार थे और कौन क्या गालियाँ दे रहा था। उसका साक्ष्य अनुश्रुत साक्ष्य है जो कि इस प्रकरण में मायने नहीं रखता है। P.W.–2 बरमेशवर यादव का कथन है कि चूँकि घटना 5.00 बजे की है। अँधेरा हो गया था। परन्तु गवाह ने यह कहा कि घटना के समय गाँव के बहुत से व्यक्ति थे। भीड़ भाड़ में से किसी ने बंदूक से फायर कर दिया था जिससे विमला देवी व जयचन्द घायल हो गये थे। विमला व जयचन्द के घायल होने का कथन धारा 156(3) के प्रार्थना पत्र में नहीं रहा है। यद्यपि केस–B के वादी द्वारा मजिस्ट्रेट न्यायालय के समक्ष विमला देवी और जयचन्द प्रसाद का मेडिकल

रिपोर्ट दाखिल किया जिसको कि साबित कराने में अभियोजन असफल रहा जिसका विस्तृत विवरण आगे है। इस प्रकार से इस गवाह ने विमला देवी व जयचन्द के घायल होने का कथन किया जो कि अभियोजन के कथानक से इतर है। गवाह P.W.–3 वादी मुकदमा सुनील कुमार ने अपने बयान में कहा कि चुनाव प्रचार के लिए जब वह गाँव में सबके साथ जा रहा था तो *घात लगाकर मिथिलेश सिंह, भूपेंद्र सिंह उर्फ पप्पू सिंह, नीरज सिंह उर्फ झंझट सिंह, अशोक सिंह, अजय सिंह, हरेंद्र प्रताप सिंह, पशुपति सिंह, विनोद सिंह और रिशु सिंह व संजय सिंह निवासीगण– परसिया, थाना– हल्दी, विजय सिंह व राकेश सिंह निवासीगण– परसिया आदि लोग लाइससेंसी बन्दूक से मेरे ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर किये। कुछ लोगों के अवैध असलहे के फायर से मेरी माता जी के बाँये हाथ में गोली लगी थी और मुझे या मेरे पिता या भाई को गोली नहीं लगी।* वादी या उसके घरवालों को गोली लगने का कथन 156(3) के प्रार्थना पत्र में नहीं है जबकि घटना के लगभग 15 दिन बाद उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। इतना महत्वपूर्ण तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित न करना, जबकि प्रार्थना पत्र में यह वर्णित करना कि बाजार में सब्जी बेच रही दो महिलाएँ भी घायल हुईं, संदेह प्रकट करता है और गवाह की विश्वसनीयता भी संदिग्ध होने लगती है। P.W.–3 ने घटना के बाद स्वयं तथा अपनी माँ को डाक्टर के यहाँ ले जाने का कथन किया है। परन्तु उसमें काफी विरोधाभास है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि मजरूब जयचन्द गोड़ जो बतौर C.W.–1 पेश हुआ उसका कथन है कि *घटना वाले दिन अभियुक्तगण के नाजायज फायर से मेरी माता विमला देवी को गोली लगी जिससे वह घायल हो गयी व अन्य अभियुक्तगण लाठी डण्डे से मुझे व मेरी माँ तथा साथ रहे लोगों को मारे पीटे। मेरी माँ व मुझे लेकर मेरे घरवाले बसुधरपाह सोनवानी अस्पताल ले गये जहाँ पर मेरी माँ व मेरा मेडिकल व इलाज हुआ।* गवाह ने यह भी कहा कि *मेरा व मेरी माँ का डाक्टरी मुआयना हो गया तो हम कहीं और नहीं गये, घर वापस आ गये। मुआयना सोनवानी अस्पताल में हुआ था।* गवाह ने यह भी कहा कि *मेरे शरीर पर खून गिरा था। गोली की चोट से खून गिरा था। शर्ट में गोली का छेद था, मेरा एक्स–रे हुआ था।* जबकि पूर्व में दिये गये बयान में गवाह ने गोली लगने, शर्ट में छेद या एक्स–रे का कोई बयान नहीं दिया था। गवाह ने आगे यह भी कहा कि *गोली मिथिलेश सिंह की बन्दूक से चली थी जो मुझे लगी थी। मैं घटनास्थल पर था जहाँ गोली लगने के बाद मैं गिर गया। मुझे व मेरी माता जी को मिथिलेश सिंह की बन्दूक से गोली लगी थी, अन्य किसी की बन्दूक से चोट नहीं आयी थी।* इस प्रकार P.W.–3 व C.W.–1 के बयान में काफी विरोधाभास है और वह विरोधाभास ऐसा नहीं है जो कि स्लिप ऑफ टंग हो। दोनों गवाहों के गोली लगने के कथन का कोई भी विवरण 156(3) में नहीं है। जबकि गवाह यह कह रहे हैं कि उन्हें गोली लगी, खून बहा, कपड़े में छेद हो गया। इतने महत्वपूर्ण बिन्दु 156(3) के प्रार्थना पत्र में न देना और अन्य छोटी छोटी बातों का विवरण देना मामले को संदिग्ध बनाता है। P.W.–3 ने पेज 10 पर यह कहा है कि उसकी माता विमला देवी को

चोट कहाँ लगी थी उसने नहीं देखा और कितनी गोली लगी थी उसने नहीं देखा, जो कि संदेह उत्पन्न करता है। गवाह ने यह स्वीकार किया है कि क्रास केस मुकदमा अपराध सं०– 101/2006 दर्ज होने के पश्चात् गवाह के भाई जवाहर जब थाने पर अकेले गये थे तो वहीं गिरफ्तार हो गये। बाद में जिरह होने पर इस गवाह ने यह कहा कि मिथिलेश की बन्दूक से उसकी माता की बायी बाँह में गोली लगी। बाद में गवाह का इस प्रकार से उत्तर देना सिखाया पढ़ाया गया प्रतीत होता है। गवाहों के उपरोक्त बयान संदेह पैदा करते हैं और मामले को संदिग्ध करते हैं।

<u>निर्धारित बिन्दु (iii) का निस्तारण–</u>

(iii). क्या केस–B के मजरूबान को आयी चोटें मेडिकल रिपोर्ट से साबित होती हैं?

केस–B के गवाह P.W.–3 ने जिरह में यह स्वीकार किया है कि 156(3) के प्रार्थना पत्र के साथ उसने अपने घर के लोगों का मेडिकल रिपोर्ट दाखिल किया था। मुकदमे के दाखिले के दिन विमला देवी व जयचन्द का मेडिकल रिपोर्ट दाखिल किया था। इस गवाह ने यह भी कहा कि मुकदमा दाखिला के दिन उसकी माँ व उसके भाई का मेडिकल रिपोर्ट था। वादी मुकदमा का उक्त मेडिकल रिपोर्ट और माँ व भाई के घायल होने का कथन 156(3) Cr.P.C. में न करना यह संदेह उत्पन्न करता है कि दाखिला के समय मेडिकल रिपोर्ट था या नहीं। केस–B के विवेचक P.W.–5 ने यह कथन किया है कि विवेचना के दौरान आघात आख्या तैयार करने वाले किसी भी डाक्टर से मुलाकात नहीं हुई थी इसलिए किसी डाक्टर का बयान नहीं लिया और न ही आघात आख्या के बावत कोई राय ही लिया था और न ही किसी डाक्टर को गवाह के रूप में नामांकित किया और न ही किसी चोटहिल को गवाह के रूप में अंकित करके गवाह बनाया। इस गवाह ने कहा कि डाक्टर के बयान व राय के बिना ही केवल सी.ओ. साहब के आदेश व निर्देश पर 307 भा०दं०सं० में आरोप पत्र प्रेषित किया। इस सम्बन्ध में केस–B के C.W.–4 दयाशंकर त्रिपाठी फार्मासिस्ट सी.एच.सी. सोनवानी बलिया परीक्षित हुए जो अपने साथ दिनांक–28.09.2006 से 27.12.2006 के मेडिको लीगल रजिस्टर साथ लाये थे उन्होंने केस–B के मजरूबान की आघात आख्या मेडिकल रजिस्टर में दर्ज न होने का कथन किया और आघात आख्या किसके लेख व हस्ताक्षर में है, उसको भी गवाह नहीं बता सकता और न ही उस प्रपत्र पर अंकित डाक्टर ए.के. मिश्रा को जानने व पहचानने की बात कही। इसी प्रकार केस–B के C.W.–5 डॉ शैलेन्द्र उपस्थित आये उन्होंने यह बयान दिया कि उपरोक्त अवधि का मेडिको लीगल रजिस्टर उपलब्ध नहीं है और न ही वह डाक्टर अशोक मिश्रा को जानता पहचानता या उनके लेख हस्ताक्षर से परिचित है। मेडिको लीगल रजिस्टर में रिकार्ड उपलब्ध न होना और आघात आख्या जारी करने वाले डाक्टर ए.के. मिश्रा का कहीं कोई पता न चलना, मेडिको लीगल रजिस्टर को साबित नहीं करता है बल्कि संदिग्ध बनाता है। केस–B का मुकदमा प्रारम्भ होने के समय से लेकर न्यायालय के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने में उनके कंडक्ट

और उनके बदलते बयान, उनके द्वारा प्रस्तुत मेडिकल रिपोर्ट को नकारते हैं एवं जिसे साक्ष्य में बिल्कुल भी ग्राह्य नहीं किया जा सकता है।

न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर केस–B के वादी की माता विमला देवी बतौर C.W.–2 प्रस्तुत हुई जिन्होंने न्यायालय के समक्ष बयान दिया कि अभियुक्तगण उसको निशाना बनाकर उसपर गोली चलाने लगे। गोली की चोट से वह गिर गयी। उसके लड़के जयचन्द को भी गोली लगी। इस गवाह ने जिरह में यह कथन किया है कि *मैंने मेडिकल रिपोर्ट पर अपना अंगूठा निशान नहीं दिया था। ओ.पी.डी. कागज सं०–8 क पर बना अंगूठा निशान मेरा है।* गवाह ने कहा कि उसे नहीं पता कि दाखिल मेडिकल दो अस्पताल का है या नहीं। उसे यह भी नही पता कि वह गंगापुर अस्पताल कभी गयी थी या नहीं। इस गवाह ने यह भी कहा कि डाक्टर ने उसे एक्स–रे कराने के लिए नहीं कहा था। गवाह ने यह भी कहा कि "*धारा– 156(3) दं०प्र०सं० के प्रार्थना पत्र जो उसके पुत्र सुनील ने दाखिल किया था, उसके साथ कागज सं–9 क (अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को प्रेषित पत्र) पर जो* ***बीमला*** *का हस्ताक्षर बना हुआ है, वह मैंने नहीं किया है।*" इस प्रकार से स्पष्ट हो रहा है कि C.W.–2 गवाह न्यायालय के समक्ष जो बयान दे रही है वह अभियोजन का समर्थन नहीं करता है और उसका बयान भी विश्वसनीय नहीं है। इस प्रकार से केस–B के मजरूबान को आयी चोटें न तो मौखिक साक्ष्य से और न ही मेडिकल प्रपत्र से साबित होती है।

<u>निर्धारित बिन्दु (iv) का निस्तारण–</u>

(iv). केस–A तथा केस–B क्या अचानक झगड़ा जनित के परिणाम रहे हैं?

दो पक्षों के मध्य जब इस प्रकार के विवाद होते हैं तो यह देखा जाना होता है कि– **पहला–** क्या एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला किया, **दूसरा–** क्या एक पक्ष ने हमला किया और दूसरे पक्ष ने बचाव में प्रहार किया एवं **तीसरा–** क्या उक्त विवाद अचानक झगड़ा–जनित थे जिसके परिणामस्वरूप दोनों पक्षकार एक दूसरे के ऊपर हमलावर हो गये।

प्रस्तुत प्रकरण में केस–A के विश्लेषण से यह स्पष्ट हो चुका है कि मौके पर विवाद होने पर जवाहिर के पास लाइसेंसी बन्दूक थी। उसने केस–A के वादी पक्ष पर फायर कर दिया जिससे वादीपक्ष के लोग घायल हो गये। केस–B के विश्लेषण से यह साबित नहीं हो सका कि केस–B के वादी पक्ष से भी कोई घायल हुआ हो बल्कि केस–B के वादी पक्ष का तो यह कथन रहा है कि अभियुक्तगण के हमला करने और अभियुक्त पक्ष की ओर से ही फायर करने से अभियुक्त पक्ष ही घायल हो गये और सब्जी बेच रही दो महिलाएँ भी घायल हो गयीं। केस–B का वादी पक्ष मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य से यह साबित करने में असफल रहा है कि उनके किसी पक्ष को लाठी डण्डे या फायर आर्म से चोटें आयी हों। यदि दोनो पक्ष के लोग घायल होना साबित होते तो यह अचानक झगड़ा–जनित का मामला हो सकता था परन्तु अभियोजन ने जो साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं उससे

केवल एक पक्ष के लोगों का ही घायल होना साबित होता है जो कि केस–A के वादी पक्ष हैं। यदि मामला अचानक झगड़ा जनित का होता तो केस–B के वादी पक्ष के लोग भी घायल हुए होते, परन्तु अभियोजन यह साबित करने में असफल रहा है कि केस–B के वादी पक्ष के लोग भी किसी प्रकार से घायल हुए हों। अतः एक पक्ष के अभियुक्तगण अर्थात् केस–A के अभियुक्तगण ही हमलावर साबित होते हैं।

<u>निर्धारित बिन्दु (v) का निस्तारण–</u>

(v). क्या केस–A के आधार पर अभियुक्तगण संदेह से परे दोष–सिद्ध होने योग्य हैं?

केस–A के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित की गयी जिससे वादी पक्ष को गोली की चोटें आयीं। केस–A में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किसी भी साक्षी ने घटना से इन्कार नहीं किया है। वादी पक्ष की चोटों को P.W.–8 डॉ० अजीत सिंह ने भी साबित किया है। अभियोजन ने छः अभियुक्तगण के विरुद्ध घातक आयुध से सुसज्जित होकर बलवा करने के लिए धारा–147 व 149 भा०दं०सं० में आरोप पत्र प्रेषित किया है। केस–A तथा केस–B के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि उभयपक्ष की मौके पर भीड़ हो गयी थी, चुनावी माहौल था। केस–A के विश्लेषण से यह स्पष्ट हो रहा है कि अपने प्रत्याशी के पक्ष में समर्थन को लेकर अभियुक्तगण द्वारा दबाव बनाया गया और मारपीट शुरू कर दी तथा उसी अनुक्रम में जवाहिर के हाथ में लाइसेन्सी बंदूक व अन्य अभियुक्तगण के हाथों में कट्टा था उससे उन्होंने फायर कर दिया। चुनाव के समय पाँच से अधिक लोगों का जमाव तब तक विधि विरुद्ध नहीं होता है जब तक कि धारा–144 Cr.P.C. के अन्तर्गत ऐसा करने के लिए प्रशासन द्वारा मनाही हो या विधि पूर्ण जमाव होते हुए अविधिक कार्य प्रारम्भ करना विधि विरुद्ध जमाव में परिवर्तित हो जाता है। प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण द्वारा अपने पक्ष में समर्थन कराने के लिए वादी पक्ष पर दबाव बनाने का कार्य करना एक विधि विरुद्ध जमाव में परिवर्तित हो गया जिसको कि अभियोजन साक्षीगण ने साबित किया है। जवाहिर की बन्दूक तथा अन्य अभियुक्तगण के कट्टों से फायर होना तथा उससे घायल होना भी साबित हुआ है। इस प्रकार से केस–A के अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा–147 व 148 भा०दं०सं० का अपराध बखूबी साबित होता है। इसके अतिरिक्त अभियुक्तगण जिनकी संख्या छः थी। उनके पास बन्दूकें तथा कट्टा होने का तथ्य जरिये मौखिक साक्ष्य अभियोजन ने साबित किया है। बन्दूक तथा कट्टों की फायरिंग होने का कथन भी साक्षियों ने साबित किया है। उनके द्वारा विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होते हुए केस–A के वादी पक्ष पर बन्दूक व कट्टों से जानलेवा हमला किया गया। चूँकि उनका जमाव एक विधि विरुद्ध जमाव हो चुका था, अतः ऐसी परिस्थिति में विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा कोई अपराध कारित किया जाता है तो इसके लिए विधि विरुद्ध जमाव के प्रत्येक सदस्य द्वारा वह अपराध कारित किया गया है ऐसा माना जाता है। इस प्रकार से विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य

होने के नाते केस–A के अभियुक्तगण द्वारा धारा–307/149 भा०दं०सं० का अपराध करना बखूबी साबित होता है। गवाहान विश्ववसनीय तथा सत्यनिष्ठ प्रतीत हो रहे हैं। ऐसे में मामला संदेह से परे साबित होता है। अतः उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर केस–A के अभियुक्तगण दोषी पाये जाते हैं। अतः अभियुक्तगण दोष–सिद्ध किये जाने योग्य हैं।

<u>निर्धारित बिन्दु (vi) का निस्तारण–</u>

(vi). क्या केस–B के आधार पर अभियुक्तगण संदेह से परे दोष–सिद्ध होने योग्य हैं?

केस–B के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि केस–B के वादी पक्ष द्वारा अपने धारा–156(3) Cr.P.C. के प्रार्थना पत्र में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि वादी पक्ष को गोली की चोटें आयी हों जबकि बाजार में सब्जी बेच रही दो महिलाओं के चोटहिल हो जाने कथन तो किया परन्तु अपनी माता व भाई को गोली लगने के सम्बन्ध में कोई कथन नहीं किया गया है। केस–B के वादी ने भी यह स्वीकार किया है कि गोली लगने से केस–A के वादी पक्ष को गोली लगी थी जिससे वह घायल हुए थे। केस–B में विवेचक रमेश चन्द्र मिश्रा ने यह स्वीकार किया है कि केस–A से सम्बन्धित जब्त की गयी बन्दूक के बावत जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ भेजी गयी थी उसकी परीक्षण रिपोर्ट कागज सं०–16क शामिल पत्रावली है। उक्त परीक्षण रिपोर्ट में SBBL गन नं०–BE1931/2001 की नाल में फायरिंग के अवशेष नाइट्रेट व लेड की उपस्थिति पायी गयी अंकित है। केस–B के गवाह C.W.–2 ने भी यह स्वीकार किया है कि घटना के समय लाइसेन्सी बन्दूक जवाहर के पास थी। इस प्रकार से परिस्थितियाँ यह स्पष्ट कर रही हैं कि जवाहर ने बंदूक से केस–A के वादी पक्ष के लोगों पर गोली चलाई थी जिससे वे घायल हो गये थे।

केस–B का वादी पक्ष मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य से यह साबित करने में असफल रहा है कि उनके किसी पक्ष को लाठी डण्डे या फायर आर्म से चोटें आयी हों। यदि दोनो पक्ष के लोग घायल होना साबित होते तो यह अचानक झगड़ा–जनित का मामला हो सकता था परन्तु अभियोजन ने जो साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं उससे केवल एक पक्ष के लोगों का ही घायल होना साबित होता है जो कि केस–A वादी पक्ष हैं। यदि मामला अचानक झगड़ा जनित का होता तो केस–B के वादी पक्ष के लोग भी घायल हुए होते, परन्तु अभियोजन यह साबित करने में असफल रहा है कि केस–B के वादी पक्ष के लोग भी किसी प्रकार से घायल हुए हों। अतः अभियोजन केस–B के अभियुक्तगण के विरुद्ध मामला संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है।

माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **Criminal Appeal No. 25/2012 Ramniwas Vs. State of Haryana dated 11.08.2022** के **पैरा–19 व 20** में यह अवधारित किया गया है कि–

19. This Court has held that there has to be a chain of evidence so complete so as not to leave any reasonable ground for a conclusion consistent with the

innocence of the accused and must show that in all human probability the act must have been done by the accused. It has been held that the circumstances should be of a conclusive nature and tendency. This Court has held that the circumstances should exclude every possible hypothesis except the one to be proved. It has been held that the accused 'must be' and not merely 'may be' guilty before a Court can convict.

20. It is settled law that the suspicion, however strong it may be, cannot take the place of proof beyond reasonable doubt. An accused cannot be convicted on the ground of suspicion, no matter how strong it is. An accused is presumed to be innocent unless proved guilty beyond a reasonable doubt.

उपरोक्त विधि व्यवस्था में यह अवधारित किया गया है कि साक्ष्यों की ऐसी पूर्ण श्रृंखला होनी चाहिए जो अभियुक्त की निर्दोषता के अनुरूप किसी निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न छोड़े और यह दर्शाए कि सभी मानवीय संभावनाओं में यह कृत्य अभियुक्त द्वारा ही किया गया होगा। यह माना गया है कि परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए। परिस्थितियाँ सिद्ध किए जाने वाले निष्कर्ष के अलावा हर संभव परिकल्पना को बाहर कर देना चाहिए। यह माना गया है कि न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध करने से पहले अभियुक्त 'होना ही चाहिए' और केवल 'हो सकता है' दोषी नहीं होना चाहिए। संदेह, चाहे कितना भी प्रबल क्यों न हो, उचित संदेह से परे प्रमाण का स्थान नहीं ले सकता। किसी अभियुक्त को संदेह के आधार पर दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता, चाहे वह कितना भी प्रबल क्यों न हो। जब तक उचित संदेह से परे दोष सिद्ध न हो जाए, अभियुक्त को निर्दोष माना जाता है। माननीय उच्चतम न्यायालय की उपरोक्त विधि व्यवस्था के प्रकाश में अभियोजन केस–B के अभियुक्तगण के विरुद्ध मामला संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है जबकि केस–A के अभियुक्तगण के विरुद्ध मामला संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है।

आदेश

42– (केस–A) सत्र परीक्षण सं०–105/2007 उ०प्र० राज्य बनाम जवाहर वगै० व सत्र परीक्षण सं०–201/2011 उ०प्र० राज्य बनाम रामानन्द गोड़ व अन्य, मु०अ०सं०–101/2006, धारा– 147,148,307/149 भा०दं०सं०, थाना–बाँसडीह रोड, जिला–बलिया में अभियुक्तगण 1– जवाहर गोड़, 2– मुन्नीलाल उर्फ मुनील, 3– विजेन्द्र वर्मा, 4– शिवकुमार उर्फ फन्नी, 5– रामानन्द गोड़ व 6– जयचन्द गोड़ को उनके विरुद्ध लगाये गये सभी आरोपों अन्तर्गत धारा– 147,148,307/149 भा०दं०सं० मे **दोष–सिद्ध** किया जाता है।

43– केस–A के मुजरिमान प्रत्येक के जमानतनामें व बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं। मुजरिमान– 1– जवाहर गोड़, 2– मुन्नीलाल उर्फ मुनील, 3– विजेन्द्र वर्मा, 4– शिवकुमार उर्फ फन्नी, 5– रामानन्द

गोड़ व 6– जयचन्द गोड़ को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाय। दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु पत्रावली दिनांक 13.08.2026 को पेश हो। उपरोक्त सभी मुजरिमान जरिये वीडियो कांफ्रेंसिंग जेल से नियत तिथि को तलब हों।

44– **(केस–B)** सत्र परीक्षण सं०–170/2017 उ०प्र० राज्य बनाम मिथिलेश सिंह वगै० व सत्र परीक्षण सं०–299/2017 उ०प्र० राज्य बनाम संजय सिंह, मु०अ०सं०–101A/2006, धारा–147, 148, 307/149, 324/149 भा०दं०सं०, थाना–बाँसडीह रोड, जिला–बलिया में अभियुक्तगण– 1– मिथिलेश सिंह, 2– नीरज उर्फ झंझट, 3– अजय सिंह, 4– हरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ गुप्ती सिंह, 5– रिशु सिंह, 6– पशुपति सिंह, 7– विनोद सिंह, 8– राकेश सिंह व 9– संजय सिंह को उनके विरुद्ध लगाये गये सभी आरोपों अन्तर्गत धारा– 147,148,307/149, 324/149 भा०दं०सं० से **दोष–मुक्त** किया जाता है।

45– केस–B के अभियुक्तगण प्रत्येक के जमानतनामें व बन्धपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभू उन्मोचित किये जाते हैं।

46– केस–B के अभियुक्तगण प्रत्येक द्वारा अंतर्गत धारा– 437 ए दं०प्र०सं०, रू० 20,000/– का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समराशि की एक–एक प्रतिभू अन्दर सात दिन प्रस्तुत किया जाए जो कि अपील दाखिल करने की अवधि तक प्रभावी रहेंगे।

47– निर्णय की एक एक प्रति प्रत्येक सम्बन्धित सत्र परीक्षण में रखी जाय तथा निर्णय की एक–एक प्रति केस–A के मुजरिमान प्रत्येक को निःशुल्क प्रदान की जाय।

48– निर्णय की एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट, बलिया को प्रेषित हो।

दिनांकः 11.08.2026

(सैफ अहमद)
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ
बलिया
J.O. Code No. UP 6404

उपरोक्त निर्णय व आदेश मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांकः 11.08.2026

(सैफ अहमद)
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ
बलिया
J.O. Code No. UP 6404

Stenographer– Suryanshu Tiwari